हरियाणा विधानसभा

की

कार्यवाही

12 जुलाई, 1980

खंड 2, अंक 5

अधिकृत विवरण

विशय सूची

भानिवार, 12 जुलाई, 1980

पृश्ठ संख्या

ब्रीच आफ प्रिवलिज की सूचना	(5) 1
नियम 84 के अधीन सूचना	(5)7

चण्डीगढ़ अबोहर, फाजिल्का तथा एस0 वाई0 एल0 के पानी के बटंवारे सम्बन्धी	
ब्रीच आफ प्रिवलिज का प्र न डा0 मंगल सैन एम0 एल0 ए0 सम्बन्धी	(5)1
नियम 16 के अधी प्रस्ताव	(5) 12
वाक आऊट अध्यक्ष को हटाने के संकल्प की सूचना	(5) 22
ध्यानकर्शण सूचना	(5) 23
हरियाणा के किसानों को बाजरा के बीज न देने सम्बन्धी	(5) 24
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(5) 24
दि पंजाब ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किट्स (हरियाणा सैंकिड अमैंडमैंट एंड वैलिडे ान) 1980	(5) 29
वाक आउट	(5) 33
दि पंजाब ऐग्रीकचरल प्रोड्यूस मार्किट्स (हरियाणा सैंकिड अमैंडमैंट एंड वैलिडे ान) बिल, 1980	(5) 34

हरियाणा विधान सभा

भानिवार, 12 जुलाई, 1980

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9:00 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

अध्यक्ष द्वारा घोशणा–

बीच आफ प्रिवलिज की सूचना

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से अर्ज करना चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्षः आप एक मिनट बैठिए। (भाोर एंव विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमने आज सुबह 6 बज कर 20 मिनट पर एक प्रिविलिज मो ान का नोटिस दिया था। वह भाायद आप तक पहुंच गया होगा। आपके आफिस में तो रिसीव हो चुका हैं।

Mr. Speaker: I have been told that it was received at 6.20 a.m. and is being examined.

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मेरी आपसे एक गुजारि ा हैं कि यह एक बड़ा अर्जेंट मैटर हैं क्योंकि हाउस में बैठना मु ि कल हो गया हैं। कल जब हम वाक आउट करके जा रहे थे, उस वक्त ट्रेजरी बेन्चिज के मैंम्बरान ने बहुत अपमानजनक भाब्द कहे। हम हाउस के सभी मैंम्बरान का और सारे हाउस का आदर करते हैं लेकिन कुछ मैंम्बरान ने इतने अपमानजनक भाब्द कहे, जो बर्दा त करने योग्य नहीं हैं। उदाहरणार्थ श्री जगन नाथ जी ने भाब्द कहे उनको मैं कोट करता हूं। (ाोर एवं विघ्न)

Mr. Speaker: Unless the motion is put up to me and it is admitted, I cannot allow discussion on that motion.

श्री वीरेन्द्र सिंहः * * *

* * * * (ाोर एंव विघ्न)

Mr. Speaker: Nothing will be recorded.

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर हैं। मैं आपका ध्यान रूल 265 की और आकर्शित करना चाहता हूं। उसमें यह लिखा हुआ हैं कि–

"The speaker may, if he is satisfied about the urgency of the matter, allow a question of privilege to be raised .At any time during the course of a sitting. Such question shall be raised at the earliest opportunity and shall not ordinarily require notice.

स्पीकर साहब, इसके बावजूद भी हमने नोटिस दे दिया। इन्होंनें हमें * * *

* (ाोर एंव विघ्न)

Mr. Speaker: Everybody is speaking without my permission. You ay keep on speaking but I will keep quiet.

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, मैं तो आपकी परमि ान से बोल रहा हूं। भाोर एवं विघ्न

श्री अध्यक्षः आपने एक प्वायंट आफ आर्डर रेज किया हैं। अब आप बैठ जाईए, मैं अपनी रूलिंग दूंगा।

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, मैं तो इसी प्वायंट को ऐक्सप्लेन कर रहा हूं। भाोर एंव व्यवधान

श्री अध्यक्षः आपने प्वायंट आफ आर्डर रेज करके रूल कोट कर दिया हैं। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमैंट की कोई आव यकता नहीं हैं। (ाोर एवं विघ्न)

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, मैंने आपको यह बताना हैं कि * * * * *

* (ाोर एंव विघ्न)

Mr. Speaker: Nothing will be recorded. The incident which been referred to apparently took place yesterday or a day before .There was sufficient time to give notice of that motion yesterday or day before, The motion has been received

at 6.20 a.m. There is no war on that I should get u and examine it immediately. I have got other routine business also to do. It has not come to me so far. This is or the first time that I am bearings of this motion. When it will be put up to me, I will immediately take a decision on it and convey the same to the House. This is my ruling.

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, आज हाउस साइने–डाई ऐडवजर्न हो जाएगा, इसलिए आप मेहरबानी करके आज यह फैसला तो कर ही दें। (ाोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्षः जब मेरे को टाईम मिलेगा, मैं उसको देखूंगा।

स्वामी आदित्यवे Iः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं कि क्या दो मैंम्बर एक साथ खड़े हो कर बोल सकते हैं? जब भी हम देखते हैं चौधरी राम लाल वधवा और डा0 मंगल सैन दानों एक साथ खड़े होकर बोलने लग जाते हैं। (ाोर एवं विघ्न)

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पकीर साहब, स्वामी आदित्यवे I चार एम0 एल0 एज0 जितनी रोटी खाते हैं। (ाोर एवं हंसी)

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, चाहे आप इस बात की इंक्वायरी करवा लें। स्वामी जी चार आदमियों के बराबर रोटी अकेले खा जाते हैं। (ाोर एवं हंसी)

Mr. Speaker: A point of order has been raised and I am yet to give my ruling. If I am given an opportunity, I will give my ruling.

स्वामी जी ने जो प्वायंट आफ आर्डर रेज किया कि क्या दो मैंबर एक साथ खड़े हो कर बोल सकते हैं इस बात पर रूलिंग क्लीयर हैं कि नहीं बोल सकते। सिर्फ वही मैंबर बोल सकता हैं जिसको स्पीकर काल अपौन करता हैं लेकिन इस वक्त प्रथा यह पड़ी हुई हैं कि 10–20 मैंबर्ज भी एकदम खड़े हो कर बोलने लग जाते हैं। अगर मैं स्ट्रिक्ट ऐक ान ले ता हूं तो भी ब्लेम मेरे ऊपर आता हैं और अगर ऐक ान नहीं लेता हूं तो भी ब्लेम मेरे ऊपर आता हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया हैं कि आज चूकि सै ान का आाखिरी दिन हैं, I would like the House to adjourn wth a sense of good-will and peace on earth. चाहे सारे खड़े हो कर बोलें मुझे कोई एतराज नहीं हैं But without my permission, nothing will be recorded. आगे से जो भी मैंबर साहब प्वायंट आफ आर्डर रेज करें, वह पहले रूल कोट करें।

श्री कन्हैया लाल पोसवालः स्पीकर साहब, अभी झगड़ा पड़ा हुआ था कि कौन रोटी ज्यादा खाता हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि दलाल साहब, स्वामी जी और डा0 साहब को बुला कर आप डिन कर दीजिए िफर पता लग जायेगा कि कौन रोटी ज्यादा खाता हैं। (हंसी)

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, पोसवाल साहब को भी बुला लीजिए। (ाोर)

श्री कन्हैया लाल पोसवालः मैं तो आपका रैफरी बन जाऊंगा।

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, आप डिनर की क्यों तकलीफ करते हैं हम पोसवाल साहब के यहां ही पहुंच जायेंगे। (भाोर एवं विघ्न)

स्पीकर साहब, परसों यहां बड़ा ना–खु ागवार वाका हुआ मुण्े उसका बड़ा अफसोस हैं। तो स्पीकर साहब, आपको मेरे बारें में थोड़ी सी गलत फहमी हो गई और मुझे भी थोड़ी सी हो सकती हैं क्योंकि मैं भी इंसान हूं। मुझे इस हाउस में आते हुए चुनाव लड़ते हुए कोई 6 बार हो गए, 5 बार चुन कर आया हूं स्पीकर साहब और जिन्दगी में पहली बार आपके हाथों में यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं नेम हुआ हूं। मुझे इस पर कोई एतराज नहीं हैं। स्पीकर साहब, मैं आपको वि वास दिलाता हूं कि इस हाउस की डिगनिटी डैकोरम, डीसैंसी को मेनटेन करने में जितने आप इच्छुक हैं, मैं उससे कम नहीं हूं और हाउस के किसी आनरेबल मैंबर से कम नहीं हू। मेरे कहनें में स्पीकर साहब , कोई बात कई बार मैं भी मजाकिया अन्दाज में कह जाता हूं किसी मित्र को चोट लगी हो तो उसकी मैं जरूर सोचता हूं कि मुझे अफसोस जाहिर करना चाहिए। लेकिन स्पीकर साहब, मैं एक बात कहना

चाहता हूं कि वन वे ट्रैफिक नहीं होता, सब तरफ से बराबर बात हुआ करती हैं। यहां हम प्रदे ा के हित की बात करें न कि बिलो दि बैल्ट हिट करें। ये बिलो दि बैल्ट हिट करना भुरू करते हैं तो सब तरफ होता हैं। तो आपने जो जैस्चर फरमाई हैं, मैं आपकी इस बात का समर्थन करता हूं और आ वासन देता हूं, मैंने पहले भी आ वासन दिया था, मुझे अफसोस हैं कि मुझे ही वह तोड़ने का दुर्भाग्य हुआ।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मैं भी आपका भुक्रिया अदा करने के लिए खड़ा हुआ हूं और हाउस डैकोरम ठीक रखने के लिए मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। हम भी हाउस की डिगनिटि को मेनटेन करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अगर किसी किस्म की कोई बात हाउस में होती हैं तो उसके ऊपर बोलना तो पड़ता हैं। जैसे आज हमने सुबह 6 बज कर 20 मिनट पर एक प्रिवलिज मो ान दिया थां यह ठीक हैं कि आप उसको तभी देंखेग, जब आपको समय मिलेगा। लेकिन एक प्रिवलिज मो ान कीई दिन हुए भागी राम जी के मामले के सम्बन्ध में दिया। मैं समझता हूं आपने उसको ऐग्जामिन कर लिया होगा। इसका डिसीजन आज ही होना चाहिए क्याकि आज हाउस साइने–डाई ऐडजर्न होने जा रहा हैं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं हैं कि वह प्रिवलिज मो ानऐडमिट न किया जा। यह इम्पोंटैट मामला हैं, इसको ऐडमिट किया जाना चाहिए। इसके अलावा आपकी यह बात ठीक हैं कि हाउस को ठीक ढंग से

चलाया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी लोक दल की तरफ से आपको वि वास दिलाता हूं कि हाउस की डिगनिटी को मेनटेन करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जाएगा। डिगनिटी को मेनटेन करेन के लिए जितनी आपकी दिलचस्पी है, मेरी और मेरे दल के सदस्यों की इसमें कम नहीं हैं। इन भाब्दों के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उस प्रिविलिज मो ान को , जो भागी राम जी के बारे में हैं, ऐडमिट किया जाए। (Interruption & Noise).

Mr. Speaker: Order please, order. Please sit down. I indeed welcome the assurance given by sh. Hira Nand Arya though it has come late on the last day of the Session. I wish, it should have come on the first day of the Session. On the first day even before starting the Session, I had called ther Leader of the Oppostiion as also Dr. Mangal Sein to see of the Oppostition that from may side. I will do my utmost to uphold all the democratic traditions and I was assured by Sh. Mool Chand Jain of full cooperation. He had also given me assured tha the would speak to Dr. Mangal Sein, who was not present there, unfortunately.

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, मुझे नहीं बताया गया।

श्री अध्यक्षः बाबू मूलचन्द जैन ने मेरे से कहा था कि वे डा0 साहब से बात कर लेंगे। बात नहीं हुई होगी लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोि ा ा की हैं। जहां तक श्री भागी राम के बारे मैं आर्य साहब की प्रिवलिज मो ान का ताल्लुक हैं, वह मैं

हाउस में तीन दफा रिपीट कर चुका हूं और चौथी दफा अब फिर जो प्रैक्टिस हैं, उसे रिपीट करता हूं–

"The Speaker, before deciding whether the matter proposed to be raised as a question of privilege requires the intervention of the House and whether he should give his consent to the raising of the matter in the House, may give an opportunity to the person incriminated to explain his case before the Speaker."

In accordance with this rule/practice I have summoned the Deputy Commissioner, Sirsa to give him an opportunity and after hearing him, I will give my decision.

चौधरी सतवीर सिंह मलिकः स्पीकर साहब, जीरो आवर में मेरी एक सवमि ान है ंअगर आप इजाजत दें तो।

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, जीरो आवर मैंन ान करने की जरूरत नहीं हैं। आप मेरे फास्ट फ्रैंड हैं, मैंने आपको बोलने की अर्पोचनिटी कभी नहीं की हैं। (व्यवधान)

चौधरी सतबीर सिंह मलिकः स्पीकर साहब, सूर्य मैंग्जीन के अन्दर * * *

Mr. Speaker: Malik Sahib, this is not relevant. Please it down.

Local Government Minster (Ch. Khurshid Ahemed): Paper news cannot be allowed to be discussed in the House.

चौधरी सतवीर सिंह मलिकः * * *

Mr. Speaker: Nothing about it will be recorded.

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): आन एं प्वायंट आफ आर्डर। स्पीकर साहब, मलिक साहब काफी अच्छे और काबिल माननीय सदस्य हैं। मैं तो इन्हें काबिल ही काबिल कहूंगा। कम से इनको हाउस में सोच समझ कर बात करनी चाहिए।

* * * * *

* * * *

चौधरी सतबीर सिंह मलिकः * *

*

चौधरी भजन लालः * * *

Mr. Speaker: Anything that has appeared in the press, will not form the subject of discussion in the House.

चौधरी संत कंबीरः * * *

Mr. Speaker: Nothing will be recorded.

चौधरी उदय सिंह दलालः आन ए प्वायंट आफ आर्डर। स्पीकर साहब, मैंने दो तीन दिन पहले छारा गांव के बारे में क्वै चन दिया था लेकिन किसी वजह से मैं उस समय हाउस में नहीं आ सकां। यह क्वै चन बड़ा इम्पौंटैंट हैं। छारा का प्राईमरी हैल्थ सैन्टर दो साल पहले फ्लड आने की वजह से डैमेज हो गया हैं। उन लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा हैं क्योंकि उस प्राइमरी हैल्थ सैंटरी से काफी बडे एरिया के लोगों

का ताल्लुक हैं। उस हैंल्थ सन्टर में न दवाइयां हैं और न कोई डाक्टर हैं। 10–15 गांवो के लिए प्राइमरी हैल्थ सैंटर हैं। बरसात का सीजन भाुरू हो चुका हैं और कई प्रकार की बीमारियां फैलने का खतरा हैं। मैं मुख्य मंत्री महोदय से तथा कंन्सर्न्ड मिनिस्टर से रिक्वैस्ट कंरूगा कि उस हैल्थ सैन्टर में पूरी दवाइंया और स्टाफ का जल्दी से जल्दी इतजाम किया जाए। अगर कोई डाक्टर वहां जाता भी हैं तो अगले दिन बली करवाकर वापिस आ जाता हैं स्पीकर साहब, प्राईमरी हैल्थ सैंन्टर छारा की बहुत बुरी बात हालत हैं, आप इन्स्पैक ान करके देख ले उस सैन्टर के एरिये के अन्दर बोझड़े खड़े हुए हैं, सारी बिल्डिंग टूटी पड़ी हैं और कोई मरीज आने क लिए तैयार नहीं क्योंकि वे समझते हैं कि कहीं बिल्डिग के नीचे दब कर न मर जायें। (व्यवधान)

नियम 84 के अधीन सूचना

चण्डीगढ़ अबोहर, फाजिल्का तथा एस0 वाई0 एल0 के पानी के बटंवारे सम्बन्धी

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मैंने कल चण्डीगढ़ और अबोहर फाजिल्का के बारे में तथा एस0 वाई0 एल0 के पानी के बाटवारें के बारें में एक मो ान दिया था। कल पार्लियामेंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर साहब लाइब्रेरी रूम में बैठे थे और पंजाब के मुख्य मंत्री श्री दरबारा सिंह ने जो कुछ कहा था, उस

पर डिस्क ान कर रहे थे। स्पीकर साहब, चण्डीगढ़ पर हमारा हक हैं। स्पीकर साहब, एस0 वाई0 एल0 का बड़ा इम्पौंटैंट मामला हैं क्योंकि इसका हरियाणा की इकोनोमी के साथ गहरा सम्बन्ध हैं। हमारा सै ान चल रहा हैं और अगर इस वक्त हम इसको अनसुना करके चले जायेंगे और रैजोल्यू ान के जरिए अपने सैन्टिमेंट्स जाहिर नहीं करेंगे तो सैंन्ट्रल गवर्नमैंट यह समझेगी कि इन्होंनें इस बात का नोटिस नहीं लिया हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना हैं कि इसको एडमिट कर लिया जाए और हाउस को एक दिन के लिए ऐक्सटैंड कर लिया जायें ताकि इस बिल पर डिस्क ान हो सके और हमारी आवाज सैंन्ट्रल गवर्नमैंट तक पहुंच सकें।

Mr. Speaker: Hon. Member, yesterday I had admitted a notice of call attention motion given by Sh. Ram Lal Wadhawa which, I think, was on S.Y.L. It was a very-very important call attention motion. but, unfortunately, the Memeber concerned was not present to read cut the same at the approprate time. Now I cannot admit it for today.

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, अगर मुख्य मंत्री महोदय इस मामले को जरूरी नहीं समझते तो ये कह जरूरी नहीं हैं। (ाोर)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, अभी उधर से कुछ माननीय सदस्यों ने और खास कर श्री हीरा नन्द आर्य ने एस0 वाई0 एल0 का प्वायंट रेज किया। भाायद इनको इस बात काध्यान नहीं रहा होगा कि दो साल छः दिन तक जब चौधरी

देवी लाल जी हरियाणा के मुख्य मंत्री थें, उन्होंनें इस बारे में क्या कार्यवाही की? विधन एस0 वाई0 एल0 के बारैं मं मैंने क्या काम किया हैं इसके बारैं में तो मैं अपनी स्पीच में बता दूंगा और अगर आप इजाजत दें तो अीाी बता देता हूं लेकिन चूकि मामला कोर्ट मे हैं इसलिए तफसील में कुछ कहना मुनासिब नहीं रहेगा। फिर भी हमारी भरसक कोि ा ा हैं कि यह काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। (विघ्न)

चौधरी सतबीर सिंह मलिकः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर हैं।

Mr. Speaker: Under what rule?

चौधरी सतवीर सिंह मलिकः * * *

*

Mr. Speaker: Nothing will be recorded. मैंने यह कहा था कि प्वांयट आफ आर्डर रेज करते समय रूल कोट किया जाए जिसके महत प्वायंट आफ आर्डर रेज किया जा रहा हो। आप कृपया पहले रूल बतांए जिसके तहत आप प्वायंट आफ आर्डर रेज कर रहे हैं।

चौधरी सतवीर सिंहः * * *

श्री अध्यक्षः मैं हाउस से रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि जब लीडर आफ दि हाउस या लीडर आफ दि अपोजि ान अपने पैरों पर खड़े हो तो कृपया इंट्रप्ट न किया करें। स्पीकर जब खड़ा

होता हैं उसके बारें में आर्डर तो यह हैं कि खड़ा होता हैं उसके बारे में आर्डर तो यह हैं कि खड़ा हुआ व्यक्ति बैठ जाएगा लेकिन चूंकि उस बात को फालो नहीं कर रहा हैं इसलिए मैं उस बात पर ज्यादा इंसिस्ट नहीं करता लेकिन जब लीडर आफ दि हाउस या लीडर आफ दि अपोजी ान अपने पैंरो पर खड़े होते हैं तो सबका फर्ज बनता हैं कि बीच में इंट्र ान न करें। मैं देखता हूं कि जब बाबू जी खड़े होते हैं तो काफी इट्र ान उधर से होती हैं। यह हमें भाोभा नहीं देता क्योंकि खड़े होकर भाोर डालना कोई बहादुरी की बात नहीं हैं।

दूसरी बात यह हैं कि जब कोई साहेबान प्वायंट आफ आर्डर रेज करते हैं तो कृपया वे पहले रूल कोट किया करें जिसके तहत वे प्वायंट आफ आर्डर रेज करना चाहते । मुख्य मंत्री जी अब बात कहें।

चौधरी भजन लालः माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि एस0 वाई0 एल0 के बारें में हम पूरी ईमानदारी के साथ लगे हुए हैं। केस सुप्रीम कोर्ट में हैं जहां आजकल छुट्टियां के बाद फौरन वह केस लगाने वाला हैं। उससे पहले मैं पंजाब के मुख्य मंत्री जी से भी बात चीत क ंगा। बातचीत पहले भी की हैं। प्राईम मिनिस्टर के नोटिस में यह ममला लाया हूं ताकि जल्दी से जल्दी इस मसले का निपटारा हो और एस0 वाई0एल0 का काम भाुरू हो सके। अध्यक्ष महोदय, जितनी लग्न उस तरफ के साथियों को हैं उससे ज्यादा लग्न हमें हैं। हम

इस बारें में बड़े चिन्तित हैं क्योंकि एस0 वाई0 एल0 के साथ हरियाणा के किसान का ही नही बल्कि हर व्यक्ति के भविश्य का सवाल जुड़ा हैं। जब तक पंजाब के हिस्से में एस0 वाइ0 एल0 नहर नहीं बनेगी तब तक हरियाणा प्रान्त की बहुत सी समस्याए हल नहीं होगी। यहां का सारे का सारा बेस किसान हैं। भाहर में जो लोग बसते हैं, जिनके पास जमीन भी नहीं हैं, उन सबका काम किसान की खु ाहाली पर निर्भर करता हैं। किसान खु ाहाल तभी होगा जब उसे हम पर्याप्त मात्रा में पानी देंगे। इसके लिए हमने भरसक कोि ा ा की हैं और हम चाहते हैं कि जल्दी, जैसा मैंने पहले अर्ज किया, पंजाब के हिस्से में नहर का काम भाुरू हो। हम यह भी चाहते हैं और हमने भारत सरकार को लिखा हैं कि एस0 वाई0 एल0 को जल्दी से जल्दी बनाने के लिए हमारे इंजीनियर्ज को काम सौपा जाना चाहिए हालांकि कायदा यह हैं कि जिस स्टेट की टैरी टरी में काम होता हैं ताकि दो साल में बनने वाली नहर का काम 24 घंटे के आठ–आठ घंटो की तीन ि ाफ्ट्स में चालू रख कर एक साल के अन्दर पूरा किया जाए और हरयाणा की चप्पा चप्पा भूमि को पानी मिल सके।

इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए।

Mr. Speaker: Last speaker, Ch. Verender Singh.

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि वे एस0 वाई0 एल0 के लिए उतने ही चिन्तित हैं जितने सारे हरियाणा के लोग एक सां तौर पर चिन्तित हैं। इसका हम वैल्कम

करते हैं परन्तु एक कौमन चीज जिसके लिए हम सब बराबर तौर पर चिन्तित हैं, उसको व्यान करते हुए किया कि पिछली गवर्नमैंट के ऊपर रिफ्लेक ान डालना अच्छी बात नहीं हैं यह इसलिए भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि he was a member of that Government, he was a mmber of the Cabinet and he was a party to all the affirs of S.Y.L. स्पीकर साहब, फिर इन्होनें कहा कि हम एक साल के अन्दर नहर खुदा देंगे, हमने सैन्ट्रल गवर्नमैंट से कहा हैं कि हमारे इंजीनियर्ज नहर खुदवांए। इसके बारे में मेरी अर्ज यह हैं कि हमने जब केस सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया था उसमें यह सब रिलीफ मांगा था। इसलिए इनको इस बात का क्रैडिट नहीं जाता हैं।

स्पीकर साहब, इसके अलावा भी और इम्पोर्टैंट मसले हैं जैसे चण्डीगढ़ और अबोहर, फाजिल्का आदि का मसला हैं। यह मसला भी पंजाब असैम्बली के अन्दर तीन चार दिन पहले रेज हुआ। इन मसलों पर भी डिस्क ान निहायत जरूरी हैं। हाउस सै ान में हैं। अगर हमने डिस्क ान नहीं की तो जनता हमें क्या कहेगी, इस बात का हमें भी ख्याल रखना चाहिए? यह गवर्नमैंट की भलाई की बात हैं और सारी जनता की भलाई की बात हैं। मैं तो समझता था कि मुख्य मंत्री महोदय जी खुद चाहेंगे कि इस पर डिस्क ान हो, मैंबर्ज के सैंटिमैंटस ये सुनेंगे ताकि सैन्टर तक हरियाणा की आवाज पंहुचे लेकिन अफसोस की बात हैं कि यह डिस्क ान नहीं कराना चाहते। मैं फिर आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी

से निवेदन करूंगा कि वे इस पर डिस्क ान होने दे चाहे हमें सै ान का टाईम क्यों न बढ़ाना पड़े।

Mr. Speaker: Under the rules, for a sustantifve motion, one week's notice is necessay. सभी मैंम्बर, साहेबान को पता था कि सै ान हो रहा हैं and a proper notice could be given. (विघ्न)

चौधरी राम लाल वधवाः आप इस पीरियड को कंडोल कर सकते हैं।

श्री अध्यक्षः आप बोल लीजिए, मैं चुप हो जाता हूं।

डा0 मंगल सैनः आज तो आपने गांधी जी की पालिसी अख्तियार कर ली। (विघ्न)

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर हैं।

Mr. Speaker: Under what rule?

Ch. Ram Lal Wadhwa: Under rule 78. It says-

"Save as otherwise provided in these rules aq member who wishes to move a motion, shall give in the case of a substantive motion, at least seven clear day and in the case of an amendment at least two clear day' notice in writing of his iatention to the Secretray:

Provided that the Speaker may in his discretion, allow a motion or amendment to be moved at shorter notice or without notice."

सर, यदि कोई इम्पोर्टैंट मैंटर हो तो उसे आप भाौर्टर और बगैर नोटिस के भी अलाउ कर सकते हैं। इसलिए मेरी रिक्वैस्ट हैं कि जब आपने गवर्नमैंट के सारे बिल्ज भाौर्टर नोटिस पर मंजूर कर लिए हैं, इस मसले पर भी आप विचार होनें दे। इसमें सारे हरियाणा का इंट्रैस्ट इनवालब्ड हैं।

श्री अध्यक्षः मैंम्बर साहेबान, बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी का जो फैसला हैं उस पर मैं कायम हूं। मैं पहले भी कह चूका हूं कि रूल्ज के अनुसार चलूंगा और अपनी डिसक्रि ान का मिनियम इस्तेमाल करूंगा। यह अहम मामला हैं हम सब इ बात को जानते हैं लेकिन यह अहम मामला पिछले दो–अढ़ाई साल से हैं और इसके लिए नोटिस दिया जाता था। डिसक्रि ान मैं उस वक्त इस्तेमाल करना चाहूंगा जब कोई मामला आज या कल में अहम बना हो। यह तो पुराना मामला हैं। इसमें अगर मैंम्बर्ज ऐक्साइटिड थे तो पहले नोटिस बना हो। यह तो पुराना मामला हैं। इसमें अगर मैंम्बर्ज ऐक्साइटिड थे तो पहले नोटिस दे सकते थे। इसलिए मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि इसमें मैं अपनी डिसक्रि न इस्तेमाल नहीं करूंगा।

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, मेरी सरदार दरबारा सिंह जी ने हाल ही में स्टेटमैंट दिया हैं।

श्री अध्यक्षः जीरो पावर तो अब खत्म होता हैं लेकिन लीडर आफ दि अपोजी ान चूकिं अपनी सीट पर खड़े हैं इसलिए अगर वे कुछ कहना चाहते हैं तो कहें।

श्री मूल चन्द जैंनः स्पीकर साहब, मेरी भी एक काल–अटैन ान मो ान थी जिसको आपने एडमिट कर लिया था। काल अटैन ान मो ान नहीं हैं इसलिए आप मेरी काल–अटैन ान मो ान आज टेक अप कर लें।

श्री अध्यक्षः आज तो चौधरी गंगाराम जी की काल–अटैन ान मो ान वहीं आज के लिए ऐडमिट हुई हैं।

श्री मूल चन्द जैंनः स्पीकर साहब, आपने कल भी कहा था कि ऐडमिट हो चुकी हैं इसलिए आज आप टैक अप कर लें।

श्री अध्यक्षः काल–अटैन ान के मामले को मैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वड के बेसिज पर लेता हूं। इसलिए जिसकी पहले आयी हैं, वह पहले आयेगी।

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, मैंने एक क्वै चन का नोटिस दिया था। मेरा वह क्वै चन 10–7–80 की अन–स्टार्ड में आया हैं। उस क्वै चन का नम्बर 373 हैं।

श्री अध्यक्षः आपका सवाल किस बात के बारे में हैं?

चौधरी राम लाल वधवाः मैंने अपने सवाल में यह पूछा था कि हाल के तथा पहले के मिनिस्टर्ज, डिप्टी मिनिस्टर्ज, चीफ

पार्लियामैंटरी सैक्रटरी के रि तेदार से कहां कहां पर वेयर हाउसिज लिए हैं और अगर लिए हैं तो कैसे लिए हैं, इसकी सारी इन्फर्मे ान दी जाये।

स्पीकर साहब, उस सवाल का जो जवाब दिया वह यह था कि उस पर जितनी लेबर खर्च होगी, उसका उतना लाभ नहीं होगा। स्पीकर साहब, यह बड़ा सीरियस मामला हैं। मिनिस्टरों और उसके रि तेदारों के वेयर हाउसिज लिए गये हैं। इसके लिए मैंने हाफ एम आवर डिस्क ान का नोटिस भी दिया था। आज सै ान खत्म होने जा रहा हैं और यह बड़ा इम्पोर्टैंट मैटर हैं, इनमें बड़ा भ्रश्टाचार हुआ हैं। उनको इसके लिए लाखों रूपया कर्जा भी दिया गया और आज ये उन्हीं का पांच पांच हजार रूपया किराया ले रहे हैं।

श्री अध्यक्षः जो प्वायंट आफ आर्डर रेज किया जाए, उसका ऐक्सप्लेनेटरी स्टेटमैंट नहीं होना चाहिए।

चौधरी राम लाल वधवाः इसके साथ ऐक्सप्लेनेटरी की कोई आव यकता नहीं होती।

श्री अध्यक्षः इस पर ऐक्सप्लेनेटरी स्टेटमैंट की कोई आव यकता नहीं होती।

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब जो मैंने हाफ एन आवर डिसक ान का नोटिस दिया हैं, यह बड़े इम्पोर्टैंट मामले से सम्बन्धित हैं। इसमें सारे मैंम्बर इन्ट्रस्टिड हैं।

श्री अध्यक्षः आप कहते हैं। कि यह बड़ा इम्पोंटेट मैंटर हैं। उसकी इम्पीटैंन्स को मैंने इस बात से जज किया हैं कि आपने उसे अन–स्टार्ड क्वै ाचन के रूप में दिया हैं। भाोर अगर आप इस सवाल को महत्व देते तो आप स्टार्ड क्वै चन देते। अगर आप इसको स्टार्ड क्वै ान के रूप में दे तो मैं भी गवर्नमैंट को जमबूर करता कि इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। जब आपने स्वंय अन–स्टार्ड क्वै चन ही दिया हैं तो इसको इन्होंनें इतना इम्पौर्टैंट नहीं समझा। जहां तक हाफ एन आवर डिसक ान का सवाल हैं, वह मैंने डिस–अलाऊ कर दी।

चौधरी राम लाल वधवाः जहां तक मुझे याद हैं यह मैंने स्टार्ड क्वै चन ही दिया था। मेरी याददा त के मुताबिक मैंने स्टार्ड दिया था। मैं गल्त भी हो सकता हू क्योंकि मैं अपने क्वै चन्ज का रिकार्ड नहीं लाया इसलिए आप चैक करवा लें।

Mr. Speaker: Wadhwa Sahib, I underwstand your point. If it has been coverted by the office from a starred quesxtion to an um-starred question, I will take strictest action against the offcial concerned.

वैसे मैंने अपने आफिस वालों को हिदायतें दे रखी हैं कि जो एम0 एल0 एज0 साहेबान क्वै चन फ्रेम में हैल्प चाहते हैं, उनको जरूर हैल्प दी जाये। मैंने यह भी कह रखा हैं कि जो पुराने ऐक्सपीरियंस्ड लेजिस्लेटर हैं जैसे रामलाल वधवा जी, उनके

सवालों को यों का यो पुट–अप किया जाये। उनके अन्दर कोई चेन्ज न की जाये। अगर मेरे दफ्तर वालों ने कोई गलती की हैं तो मैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट ऐक ान लूंगा।

परिवहन मंत्री (श्री जगन नाथ): स्पीकर साहब अन–स्टार्ड क्वे चन के बारें * * *

श्री अध्यक्षः जो कुछ श्री जगन नाथ जी ने कहा हैं इसको रिकार्ड न किया जाये।

ब्रीच आफ प्रिवलिज का प्र न–

डा0 मंगल सैन, एम0 एल0 ए0 सम्बन्धी

स्थानीय भाासन मंत्री (चौधरी खुर ाीद अहमद): स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से याद दिलाता हूं कि मैंने दो प्रिवलिज मो ान दीं थी। एक जो आपको परसों दिया था....

श्री अध्यक्षः आपके दो प्रिवलिज मो ान आयीं थीं। मैंने एक प्रिवलिज मो ान रिजेक्ट कर दिया हैं और एक प्रिवलिज मो ान के बारें में पढ़ देता हूं।

Hon, Members, I have received a notice of question of breach of pricvilege from Sarvshri Mange Ram, Khurshid Ahemd, Capt. Mange Ram, Sardar Sukhde Singh, Sardar Khan, Devender Sharma, M.l.as, concerning the alleged use of abusvie and derogatory words “scoundrels and rascals” by Dr.

Mangal Sein, hon, Member while withedrawingfrm the House on 10-7-1980. According to Practice and Procedure of Parliament by Kaul & Shakhder, (Page 221):

"Disrespect of the Houses collectively is the original and fundamental form of breachof privilege, and almost all breaches of privilege, and almost all breaches of privileges can be reduced to this. Any mis-condduct i9n the presence of the House or a committee thereof, whether by Members of Parliament or by Members of the pbulic who have been admitted ot the galleries of the House or to sittings of Committees as witnesses will constitute a co9ntemp of the House.Such misconduct may be defined as a disorderly, contumacious disrespectful or contemptuous behaviour in the p-resence of the House."

However, according to Practice &Procedure of Parlament by Kaul & Shakdher, (page239):

"When a Member seeks to raise a question of privilege against another member, the Speaker, before giving his consent to the raising of the matter in the House, always gives an opportunity to the member complaned against to place before the Speaker or the House such facts as may be pertinent to the matter".

In accordance with this, I would like to give an opportunity to Dr. Mangal Seinm, if he woled like to utilise it, he may say briefly, if he likes to say anything in the matter.

डा0 मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, आपका बड़ा आभारी हूं आपने अवसर दिया और भाई खुर ीद जी भाई जगन

नाथ, सरदार सुखदेव सिंह, श्री मांगेराम जी ने यह बात कही हैं कि मैंने सदन की प्रतिश्ठा को, उसकी गरिमा को अपमान करने के लिये, अन्डरमाईन करने के लिये कोई भाब्द कहे हैं। स्पीकर साहब मैंने भाुरू में प्रार्थना की थी, और सदन को भी यह आ वासन दिलाया था कि मेरे इतने लम्बे पोलिटीकलन केरियर में विधान सभा का सदस्य होने के नाते मुझे परसों ही एक ऐसा अवसर आया जकि यह बात अन्यथा और ह्यूमर में ही सारी बातों होती रही हैं। मेरे से यह आ ाा करनी सरासर गलती होगी कि मैं ऐसे भाब्द कह सकता हूं। मैं कभी सदन का अपमान नहीं कर सकता। माननयी सदस्यौं के अपमान का तो प्र न ही पैदा नहीं होता। माजक में तो जैसे अभी कह रहे थे भाई जगन नाथ जी कि उंगली दे दी। बहिनें बैठी हैं यहां पर भाोर अब देखिए ये कह रहे हैं कि नहीं कहा। अब`य ऐसी मजाक की बात कहते हैं, ये क्या समझते हैं कि वन वे ट्रैफिक होना चाहिये। इतना तो हमें भी जंग लगा हुआ दिमाग न समझो। स्पीकर साहब मैं इफस एंड बटस न लगाता हुआ मैंने यह बात बिल्कुल नहीं कहीं। इस हाउस की निगनिटी, डेकोरेम को जैसे और मेनटेन करता चाहते हैं, मैं उनसे ज्यादा चाहता हूं मेनटेन करना और उल्टा यह कि हमने एक प्रिवलिज मो ान आज आपको दी हैं स्पीकर साहब और ये उल्आ इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने तो आपके जैस्चर को खुद उठ कर के पहले भी यह कहा कि यह अन–प्रसिडेन्टिड बात हुई, आपने कहा कि आज हम जा रहे हैं और छः महीने बाद मिलेंगे और हो सकता हैं कि कोई मैंम्बरान मिलेगा या नहीं मिलेगा बीच मे चुनाव भी हो

सकते हैं। तो स्पीकर साहब, हमें अच्छे मूड में जाना चाहिए। मुझे पूरा सम्मान हैं सदन के प्रति और सदयों के प्रति भी।

चौधरीी खुर ीद अहमदः अभी डाक्टर मंगल सैन साहब ने अपने पुराने तजुर्बे के बारे में कहा और यह कहा कि मेंने कुछ ऐसा नहीं कहा और दूसरे काउन्टर एलीगे ान उन्होंनें यह किया हैं जबकि हमारे मुहं से काई ऐसे भाब्द नहीं निकले जो लफज अपनी जुबान से निकाले जिन्हें में रिपीट नही करना चाहता जो मो ान में लिखे हए हैं और इस हाउस में रिपीट न होने चाहिये, खुद अपनी जुबान से वह हमारे खिलाफ ला कर यहा दे दिया। तो मैं यह नहीं समझता कि इन हालात में हम कोई भी ऐसी चीज रेज करें जो इस हाउस में इस तरह की इजाजत दे कि गलत बात भी कहो और उस गलत बात को दूसरे के मुहं में डाल कर उलटा उसी को मुलजिम बना दो। यह तो वह ही पुरानी कहावत हो जायेगी जिस तरह से कहा करते हैं कि उलटा चोर कोतवाल को डाटें। ऐसी प्रथा अगर इस हाउस में डाली जाये कि खुद गुनाह करे और दूसरे बेगुनाह आदमियों पर उसको लाद दिया जाये, यह बिल्कुल गलत बात होगी। यह बहुत सीरियस मैटर हैं। यहों सारे हाउस का अपमान किया गया हैं और सबे के लिये वे लफज इस्तेमाल किये गये हैं और न सिर्फ वो किये गए बल्कि जब विदड्राअलज करने के लिये चले तो चैलेन्ज किया गया स्पीकर की औनर को, चेयर को और ये भाब्द कहे गए जो गुर्ज इस हाल में 'आई विल्ल सी यू' इस तरह के लफ्ज कहना किसी भी हाउस

में किसी भी मैंम्बर को कोई अख्त्यार नहीं हैं कि वह क्या कुछ नही कह पायेगा और मैं यह बड़ी यकीन से कहता हूं, एम्फैटीकली कहता हूं कि डाक्टर मंगल सैन ने रास्कल और स्काउन्ड्रलज दोनों अलफाज चलते हुए यहां पर कई बार रिपीट किये और मैंम्बर्ज की तरफ से इ ाारा करते रहे तो एक मैम्बर अपनी लिबर्टी को इस तरह इस्तेमाल करें कि बाकी मैम्बरों को इस तरह से डिग्रेड करे तो ऐसे मैंम्बर के लिये और कोई चारा हमारे पास सिवाय इसके कि हम प्रिवलिज मो ान लायें। मैं यही बात कह कर आप की इजाजत से अपनी मो ान को पढ़ना चाहता हूं जो मैंने आपके हवाले की हैं। (भाोर) आपकी इजाजत से मैंने यह कहा हैं (ाोर)

श्री मूल चन्द जैंन (सम्भालखा): स्पीकर साहब, ये जो मो ान प्रिवलिज की हमारे साथी खुर ाीद अहमद और दूसरे कुछ साथियों ने दी हैं, मुझे यह जानकर बहुत ही ताज्जुब हुआ वह यह कह सकते हैं जहां तक हमारा ताल्लुक हैं कि भई ये तो सब सारे हाउस को इसमें भाामिल कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे किसी आदमी को यह ि ाकायत नहीं हैं कि डाक्टर मंगल सैन ने हमें स्काउन्ड्रलज या रास्कल कहा हो और न हमने ये भाब्द सुने। लेकिन डाक्टर मंगल सैन की जवाब देही से पहले आपसे यह दरख्वास्त करता हं कि आप रिकार्ड में कोई ऐसी एक भी चीज हैं कि इन्होंनें कहा हैं । अगर रिकार्ड में कोई ऐसी चीज जाते हुए एक आदमी ने डिनाई किया हैं, उनकी डिनाईल काफी हैं इस बात के लिए लेकिन अगर रिकार्ड मे ही यह चीज नहीं हैं तो

कैसे कह सकते हैं कि इन्होंनें यह बात कही और फिर खास तौर पर इन्होंनें आपको भी प्रोवोक करने के लिएये आपको भी बीच में घसीटा लिया हैं। यह भी मैं बिल्कुल अनफेयर समझता हूं फार ए मैम्बर कि मौ ान कोई पार्ट न हो प्रिवलिज मो ान का भी और उसमें भी एक और चीज जोड़ देते हैं या अपोजी ान का कोआप्रे ान चाहते हैं। बातों को ऐसे बेकार में छोड़ना और इस तरीके से करना यह बिल्कुल गलत सा लगता है और आपसे यह प्रार्थना करूगा कि बजाये यह मामला भाान्त हो तो इस तरीके से जबउनकी डिनाइल हैं तो उनकी डिनाइल काफी समझी जानी चाहिए और इस मो ान को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए।

इस समय सरदार सुखदेव सिे बोलने के लिए खड़े हुए

श्री अध्यक्षः आप भी एक सिगनेटरी हैं इस मो ान के?

सरदार सुखदेव सिंह (रोड़ी): स्पीकर साहब, जो मो ान जनाब के पे ा किया गया हैं, वैसे तो वह लिखित रूप में हैं, मगर एक बात मैं अर्ज करूंगा कि यहा सामने खम्बे पर लिखा हुआ हैं कि सभा में या तो प्रवे ा किया जाये या यदि प्रवे ा किया जाये तो वहां स्पश्ट और सच्च बात कही जाये। भाोर) जहां हमारे फर्ज हैं, हमारी जिम्मेवारियां हैं बे ाक किसी हालत में (भाोर) बोलने या गल्त बोलने में दोनो स्थितियों में मनुश्य पाप का भागी बन जाता हैं। मैं यह सच्च कहता हूं, ये जो लफ्ज कहे

गये हैं मैंने अपने कानों से सुने हैं और इससे बड़ी बात मैं आपसे कह सकता हूं। लिखकर भी दिया हैं (ाोर)

Mr. Speaker: According to the rules, I am supposed to give an opportunity to the member against who, the compaint is made to put his point before the House. As a special case, I gae permission to the Leader of the Oppostion also but I don not hink therie is any occasion ofr everybnody to take part in the debate.I the motion in order and ask one of the movers to pelase ask for leave to raise uqestion of privilege.

चौधरी राम लाल वधवाः आन ए प्वायंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्षः अन्डर व्हट रूल (ाोर)

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, आप जो इनको लीच दे रहे हैं उसके ऊपर मैं अपना प्वायंट आफ आर्डर रज कर रहा हूं।

श्री अध्यक्षः अन्डर व्हट रूल ?(ाोर)

चौधरी राम लाल वधवाः रूल 112 (ाोर)

एक आवाजः रूल 112 जनरल प्वायंट आफ आर्डर के बारें में हैं। (ाोर)

चौधरी राम लाल वधवाः जो आप लीव दे रहे हैं जो (ाोर) यह जो जीव आप दे रहे हैं, उस पर मैं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्षः आप कौन से रूल के आनुसार कह रहे हैं?

चौधरी राम लाल वधवाः रूल आप 266 देख लें (ाोर)

श्री अध्यक्षः मैं पढ़ लेता हूं। (ाोर)

"If leave under rule 264 is granted the question shall be referred to Committee of Privileges on a motin made either by the member who has raised the question of privilege or by any other member."

वधवा साहब, आप कौन सा रूल पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल में यह रूल लागू नहीं होता।

चौधरी राम लाल वधवाः 264 जो इस पर लागू होता हैं, वह मैं पढ़ देता हूं–

"The Speaker , if he gives consent under rule 261 and holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall, after shall, after the question and before the list of businessis entred upon, call the member concerned who shall riese in his place and, while asking.....

यह सारा लम्बा चौड़ा रूल हैं जी। मैं इसमें यह प्वायंट आर्डर करना चाहता हूं जी, इस पर चौधरी खुर ाीद अहमद जी ने खुद माना हैं कि काउन्टर एलीगे ान्ज हैं कि उधर के मैम्बर ने कहा हैं कि ये अलफाज कहे गये हैं तो जब प्रिवलिज मो ान जा रहा हैं तो दोनों तरफ के अलजाम हैं तो दोंनों ही प्रिवलिज कमेटी.....

श्री अध्यक्षः 264 में आप कौन से प्वायंट के ऊपर बोल रहे है?

(भाोर)

चौधरी रामलाल वधवाः इनको यह जो लीव दे रहे है, उस पर मैं बता रहा हूं। (विघ्न)

Mr. Speaker: Leave is there.

चौधरी राम लाल वधवाः यह लीव अगर आप दे रहे है. .....

Mr. Speaker: I will read rule 264.

"The Speaker, if he gives consent under rule....."

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Sir, rule 264 (2).

"If objection to leave being granted is taken, the Speaker shall request those members, who are in favour of leave being granted to rise in their places and if not less than fifteen members rise accordingly, the Speaker shall intimate that leave is granted. If less than fifteen members rise, the Speaker shall inform the member that he has not the leave of the House."

Mr. Speaker: Are you raising an objection to the leave being granted?

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Yes, Sir.

Mr. Speaker: All right. Then you can move the thing.

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मेरी प्रार्थना.....

.....

Mr. Speaker: Those in favour of the leave being granted, please rise in their seats.

चौधरी राम लाल वधवा: मैं आब्जैक ान दे रहा हूं। मेरी बात तो सुन लें। मेरा आब्जैक ान तो आपने सुना ही नहीं। स्पीकर साहब, मेरा आब्जैक ान है और आब्जैक ान वाले को मौका तो मिलना चाहिए ना बोलने का?.....

श्री अध्यक्ष: हां आब्जैक ान दे रहे है ना?

चौधरी राम लाल वधवा: हां, आब्जैक ान कर रहा हूं, जी, आब्जैक ान क्यों कर रहा हूं, यह तो मुझे आप अपर्चुनिटी देंगे कि आब्जैक ान क्या है What is the objection?

Mr. Speaker: Wadhwa Sahib, if objection is taken, then the consent of the House is necessary. (Interruptions) If not less than 15 members rise, then the leave is granted.

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Sir, my humble submission is this that I am objecting to the leave. आप पढ़कर देखें कि जब तक हम ग्राउंड हाउस के सामने नहीं रखेंगे तो आपको क्या मालूम पड़ेगा कि हमें खड़ा होना है या नही, इसलिये आप मुझे अपर्चुनिटी दें That is my objection.

Mr. Speaker: On what ground? Under what rule, can I give you (Interruptions).

चौधरी राम लाल वधवा: मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि इसके बारे में तो पार्लियामैंट क्वैन् ान है। इस बारे में रूल तो कोई होगा नहीं। हरेक बात के लिये कोई रूल नहीं कोट किया जा सकता। स्पीकर साहब, आप इजाजत देंगे तो यह अन्डरस्टुड है। (ाोर व व्यवधान) Sir, I would request you to please allow me to explain my point as to why I am objecting.

Mr. Speaker: All right, I give you the opportunity.

चौधरी राम लाल वधवा(करनाल): स्पीकर साहब, मेरी प्रार्थना यह है और मेरा आब्जैक् ान यह है कि इस प्रिवलिज मो ान को इजाजत न दी जाये क्योंकि एक दूसरा इसी तरह का सिमिलर मो ान सारी अपोजि ान ने मिलकर दिया हुआ है। उस में यह कहा गया है कि ट्रजरी बैंचिज के कुछ मैंम्बरों ने इस किस्म के अपमानजनक भाब्द हमारे बारे में कहे हैं जो कभी नहीं कहे जाने चाहिएं। आपने उस प्रिवलिज मो ान के बारे में कहा है कि वह मेरे अन्डर कंसीडरे ान और एग्जामिने ान है। दूसरी तरफ आप इस प्रिवलिज मो ान को इजाजत देने जा रहे हो, जिसमे सिर्फ काउन्टर एलीगे ान्ज के सिवाय कोई नयी चीज नहीं है। मेरी प्रार्थना एक और है। जैसे आते ही डाक्टर साहब ने कहा कि आज हम अपने अपने घरौं को जा रहे है, उन्होंनें यह भी कहा कि उन्होंने ऐसे भाब्द नहीं कहे, और अगर कहे भी गये

हों तो मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है, मैं यह समझता हूं कि जब डाक्टर साहब ने भ्रुरू में ही कह दिया था तो ट्रेजरी बैंचिज को ग्रैस दिखानी चाहिए थी। (ाोर व व्यवधान)

Dr. Mangal Sein: Sir, I do not ask for any mercy. (Interruptions).

एक आवाजः नहीं, नहीं। (ाोर व व्यवधान)

चौधरी राम लाल वधवाः (ाोर) आप मत दिखाइये और उसके बाद सर, उसके बाद दोनों मो ान्ज एक से है। मेरी प्रार्थना है मैंने भ्रुरू में भी यही कहा था मैं आब्जैक्ट ान इसलिये कर रहा हूं कि लीव न दी जाये इसका मतलबग होगा कि एक व र्ान तो प्रिवजिल कमेटी के पास चला जायेगा दूसरा व र्ान आज रह जाएगा अन्डर एग्जामिने ान में क्योंकि आज हाउस खत्म हो रहा है और दोनों ही एक से है, इसलिये मेहरबानी करके मेरी यह रिक्वैस्ट है कि उसको भी मंगवा करके लीव आप दे दीजिए। दोनों प्रिवलिज कमेटी को चले जायें। दोनों पक्ष का अपना राईट होगा अपनी अपनी बात कहने का, अपनी बात साबित करने का और जो आपके पास रिपोर्ट आ जायेगी, हाउस उसके मुताबिक एक्ट ान ले लेगा। इसलिये मैं आब्जैक्ट ान कर रहा हूं कि अगर भेजना है तो दोनों को ही लीव मिल जानी चाहिए और वैसे मैं रिक्वैस्ट करूंगा सारे हाउस से अपोजि ान की तरफ से भी जिन्होंने दिया है, मैं समझता हूं आखिरी दिन है, बहुत इसमें बातें हुई है। हमने एक दूसरे पर बहुत कुछ कहा होगा, हाउस में इस

तरीके से चलता भी है, जैसा स्पीकर साहब कहते रहे है गुड विल किएट करने के लिये मैं तो दोनों साइडज को कहूंगा कि दोनों ही प्रिवलिज मो ान जो है, वह वापिस ले लेने चाहिये। आपस में नोंक झोंक इस प्रकार से चलती है हमें गुड विल किएट कर के हाउस से जाना चाहिए। कोई बिटरनैस ले के जायें, अच्छा नहीं। मैं स्पीकर साहब, से भी कहूंगा कि अपने आगस्ट आफिस को इसके लिये वह इस्तेमाल करें और हाउस में गुड विल किएट करने के लिये यह दोनों प्रिवलिज मो ान जो है, इनको समाप्त किया जाये और अगर लीव दी जानी है तो दोनों को इकट्ठी दी जाये इतनी ही मेरी सबमि ान है।

Mr. Speaker: As far as the question of two or three privilege motions is concerned, I will not link one thing with another. I will deal with each problem as it is presented to me and as it arises. I cannot link one with another जैसे मेरे सामने यह आयी, यह मेरे सामने पहले आयी थी, इसको पहले डीव विद कर रहा हूं। कोई जो बाद में आयी थी, उसको बाद में डील विद कर रहा हूं। कोई मेरे को फरदर एवीडैंस या डाकुमैंटस अपने आपको प्राइमा सैटिसफाई करने के लिये चाहिए होंगे तो मैं वह मांगूगा। जब वह आ जायेगी तो मैं उसको डील विद करूंगा।

So the question of linking of the two does not arise. As far as the question of keeping of spirit of peace on earth and good-will towards fellowmen is concerned, इसके बारे में तो

मैंने पहले ही आप साहेबान से रिक्वैस्ट की है। Now it is upto everybody to take that at its face value other-wise I have got to proceed according to the rules. (Interruptions & Noise).

Shri Verender Singh: On a point of order, sir.

Mr. Speaker: Under what rule?

श्री वीरेंद्र सिंहः रूल यही है 264 और 265 है। रूल 112 के नीचे प्वायंट आफ आर्डर रेज करते है। रूल 264 व रूल 265 का मुलाहजा फरमाइये। 265 रूल के तहत स्पीकर साहब, सै ान भ्ारू होते ही, हमने यह रिक्वैस्ट की थी कि, जरूरी नहीं कि, अगर मैटर अरजैंट है तो आप किसी वक्त भी उस प्रिवलिज मो ान को एडमिट कर सकते है।

श्री अध्यक्षः कौन सी प्रिवलिज मो ान की बात कर रहे है?

श्री बीरेंद्र सिंहः हमेन सुबह जो 6.20 पर आपकों दी थी।

Mr. Speaker: This is not the way. (Interruptions) I have given my ruling. (Interruptions). Nothing will be recorded. आप बोल जाइये। I have given my ruling on that privilege motion. सवा छः बजे या छः बीस पर सुबह आया है बीरेंद्र सिंह जी, वह एग्जामिन किया जा रहा है? मैंने अभी तक उसको देखा तक नहीं।

श्री बीरेंद्र सिंहः स्पीकर साहब, आपने मुझे अब यह इजाजत तो दे दी है हक मैं बोलता रहूं, यह तो इजाजत दे दी? (विघ्न)

Mr. Speaker: I have given the ruling that you cannot introduce anothe rprivilege motion in the middle of one that is going on. (Interruptions)

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, इस मो ान को एक घंटे के बाद ले लीजिए।

श्री बीरेंद्र सिंहः मैं तो यह गुजारि ा कर रहा था..... .....(व्यवधान व भाोर)

Mr. Speaker: Any way kindly sit down. (Interruptions). Kindly sit down.

श्री बीरेंद्र सिंहः एक घंटे बाद ले लीजिए। दोनों प्रिवलिज मो ान की नौईअत एक है। (ाोर व व्यवधान)

चौधरी खुर ीद अहमदः दोनों का क्या मतलब? That should come at its own proper stage. (Interruptions).

श्री अध्यक्षः मेरे पास इस वक्त कमअजकम चार पांच प्रिवलिज मो ान पड़े है। (श्री बीरेंद्र सिंह की ओर से विघ्न) मैं सब को एक–एक करके एग्जामिन कर सकता हूं। सब को इक्ट्ठा एग्जामिन नहीं कर सकता।

श्री बीरेंद्र सिंहः सर, इन्साफ का तकाजा है, इन्सीडैंट is the same and occurrence is the same. आप दोनों को इकट्ठा एग्जामिन कर लीजिए।

Chaudhri Khurshid Ahmed: Incident is not the same. It is a thought of incident which you have invented. (Interruptions.)

Shri Verender Singh: No, no.

Chaudhri Khurshid Ahmed: Sir, I beg to move the question of privilege.

Dr. Mangal Sen: Mr. Speaker, on a point of order.

Mr. Speaker: Point of order, under.....

Dr. Mangal Sen: Under rules 112,65 and 266, Sir. (Interruptions)

261 स्पीकर साहब, हम आपकी रूलिंग यह चाहते है कि जैसे ट्रेजरी बैंचिज वाले इस मामले पर बजिद है कि यह मामला प्रिवलिज कमेटी को जाना चाहिए, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है, स्पीकर साहब.....(व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्षः नहीं एतराज की बात नहीं है। (व्यवधान व भाोर)

डा0 मंगल सैनः मैं आपकी रूलिंग यह चाहता हूं

****

* Not recorded as ordered by the Chair.

चौधरी खुर ीद अहमदः किसने?

डा0 मंगल सैनः जगन नाथ। सुबह से लेकर भााम तक बहिन सुशमा जी की भाान में कहे, सब के बारे में कहे, उनको तो लाईसैंस मिला हुआ है और हम यहां जाते हुए, हम पर थोप दिए जब हम हाउस में नहीं थे। एबसैंट थे। और स्पीकर साहब.....

Mr. Speaker: Nothing will be recorded लाइसैंस मिला हुआ है। I have not given from my side any licence to anybody to misbehave in this House. डाक्टर साहब, आपका इतना कहना मेरा ख्याल यह है कि भाोभा नहीं देता कि मैंने जगन नाथ को लाइसैंस दे रखा है?

डा0 मंगल सैनः आने नहीं जी, किसने दे रखा है? I am not alleging you, Sir. (Interruptions).

Chaudhri Khurshid Ahmed: Who else can? (Interruptions).

Mr. Speaker: Nothing will be recorded.

Chaudhri Khurshid Ahmed: Sir, I beg to move the question of breach of privilege that on 10-07-1980 Dr. Mangal Sein, M.L.A. did not resume his seat in spite of the fact that

the Hon'ble Speaker had asked him to resume his seat and when he continued difiance of the Chair then the Speaker ultimately had to name him and Fr. Mangal Sein was asked by the Hon'ble Speaker to withdraw from the House. While withdrawing from the House he firstly challenged the Speaker by threatening him "I shall see you" and then used abusive and derogatory language for the Members who were in Session sitting in the House and were discharging their constitutional duties by partgicipating in the business of the House. Among other words he used the words scoundrels and rascals for the Hon'ble Members of this august House and he repeated these words several times refering to the Members of the Treasury Benches which were heard by su and other Members of this august House. This is a very grave breach of the privilege of the Members of this House because this action of Dr. mangal Sein has individually and collectively lowered the image of the Hon'ble Members of this House in particular and the prestige of this august House in general. If such language is used against the Members of this august House they would be unable to perform their constitutional duties enjoined upon them as the Members of this august House. This also constitutes a grave breach of the privilege and the contempt of this House.

It is a very serious matter and it has given great shock and embarassment to all the Members sitting at that time in the House and thus constitues a great impediment in the discharge of their duties and functions as Members of this august House and also in their functioning outside the House.

2. Whilst naming Dr. Brij Mohan, another Hon'ble Member, for the defiance of the Chair, the Hon'ble Speaker also took note of the offensive words used by Dr. Mangal Sein with regard to other Hon'ble Members.

3. This whole matter constitutes a grave breach of the privilege and contempt of this House and of its Members. I, therefore, request that this whole question of breach of privilege may be referred to the Committee of privilege for further determination and report to this august House before the first sitting of the next Session (Noise & Interruptions).

Mr. Speaker: Is there any objection to leave being granted to raise this question of privilege?

Voices: Yes.

Mr. Speaker: Those Hon'ble Members who are in favour of leave being granted may please rise in their seats.

(At this stage Members from the Treasury Benches rose in their seats).

Mr. Speaker: As not less than 15 members have risen, the leave is granted. Now the mover may please move the motion.

Local Government Minister(Chaudhri Khurshid Ahmed): Sir, I beg to move

That the question of alleged breach of privilege by Dr. Mangal Sein, M.L.A. on 10-07-1980, while withdrawing from the House, be referred to the Committee of Privileges for

further determination and report to this august House before the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the question of alleged breach of privilege by Dr. Mangal Sein, M.L.A. on 10-07-1980, while withdrawing from the House, be referred to the Committee of Privileges for further determination and report to this august House before the first sitting of the next Session.

(Interruptions.)

Mr. Speaker: Question is-

That the question of alleged breach of privilege by Dr. Mangal Sein, M.L.A. on 10-07-1980, while withdrawing from the House, be referred to the Committee of Privileges for further determination and report to this august House before the first sitting of the next Session.

The Motion was carried.

वाक आऊट

विपक्ष की ओर से आवाजें: इनकी प्रिवलिज मो ान तो रैफर की जा रही है लेकिन जो हमने प्रिवलिज मो ान दी हुई है, उसे एडमिट भी नहीं किया गया है, इसलिये हम एज ए प्रोटैस्ट वाक–आऊट करते है।

(इस समय विपक्ष के सभी सदस्य वाक–आऊट कर गयें)

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मेरी एक सबमि ान है

10.00बजे

Mr. Speaker: Wadhwa Sahib, I have the file before me. आपने जो क्वै चन सबमिट किया था that was unstarred.

चौधरी राम लाल वधवा: इसके लिये मैंने पहले भी कहा था कि मैं गलत भी हो सकता हूं। (ाोर) I am sorry for that.

Mr. Speaker: That is alright.

अध्यक्ष को हटाने के संकल्प की सूचना

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मेरी सबमि ान रूल्ज के बारे में है। हमने एक नो कांफिडेंस मो ान का नोटिस स्पीकर साहब के खिलाफ दिया है। दसमें हमने कहा है कि हमारे साथ डिसक्रिमिने ान हो रही है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। उस नोकांफिडेंस मो ान के लिये चौदह दिन का नोटिस होता है। आज चूंकि हाउस खत्म हो रहा है इसलिये मेरी प्रार्थना है कि उसको ऐडमिट कर लिया जाये और चौदह दिन आज से फिक्स कर दिए जाएं.....

श्री अध्यक्ष: कितने बजे दिया है?

चौधरी राम लाल वधवाः सैक्रेटरी साहब नहीं थे, डिप्टी सैक्रैटरी नहीं थे, जब वे आए तब दिया है।

श्री अध्यक्षः कब दिया है?

चौधरी राम लाल वधवाः आज ही दिया है।

श्री अध्यक्षः आज कितने बजे दिया है?

चौधरी राम लाल वधवाः आज सवेरे ही दिया है। स्पीकर साहब, हम यहां पर साढ़े सात बजे आ गये थे। यहां पर न सैक्रेटरी साहब थे और न ही डिप्टी सैक्रेटरी थे। जब से आए तो उस समय हमने वह उनको दे दिया था।

श्री अध्यक्षः मैं पूछ रहा हूं कि कितने बजे आपने दिया है?

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, साढ़े सात बजे से इन्जार कर रहे थे आपके कमरें में आदमी भेजा। आपने कहा कि सैक्रेटरी साहब को दो। सैक्रेटरी साहब और डिप्टी सैक्रेटरी पौने नौ बजे आए तब हमने वह दी है।

श्री अध्यक्षः मेरे सामने अभी तक वह मो ान नहीं आयी है। आते ही मैं उसका फैसला कर दूंगा।

ध्यानकर्शण सूचना–

हरियाणा के किसानों को बाजरा के बीज न देने संबंधी

श्री अध्यक्षः मुझे चौधरी गंगा राम एम0एल0ए0 की ओर से हरियाणा के फार्मर्ज को बाजारे का सीड न मिलने के बारे में एक काल अटैन्‍ ान मो ान का नोटिस प्राप्त हुआ है। मैं इसे मंजूर करता हूं। आनरेबल मैंबर अपना मो ान पढ़ दें।

(मो ान पढ़ा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य में उपस्थित नहीं थे)

Mr. Speaker: Since the Hon'ble Member is not present, the notice lapses.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्षः अब पार्लियामेंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर रूल 16 के तहत मो ान मूव करेंगे।

Local Government Minister(Chaudhri Khurshid Ahmed): Sir, I beg to move-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

चौधरी राम लाल वधवा(करनाल): स्पीकर साहब, मेरा आब्जैक ान है। स्पीकर साहब, मेरी प्रार्थना है कि मैंने अभी अर्ज किया कि दो तीन मसले आपके पास पैंडिंग है। एक मसला तो ब्रीच आफ प्रिविलज का है जो कि अपोजि ान की तरफ से दिया गया है। दूसरा मामला एस. वाई. एल. तथा फाजिल्का, अबोहर और चंडीगढ़ का है जिसके बारे में मैंने नोटिस दिया है और

तीसरा मामला जैसा कि मैंने अर्ज किया कि स्पीकर साहब के खिलाफ नो कांफिडेंस मों ान से संबंधित है ये तीन मामले हाउस के सामने है। ये काफी अहम मसले है और आपकी खिदमत में हमने ये दिए हुए है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि हाउस को साइने डाई ऐडर्जन न किया जाए। मैं इसकी मुखालिफत करता हूं। जो भी अपना डिसिजन या रूलिंग आप देना चाहते है वह दे दें। मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि इनको आप ऐडमिट कर लें।

श्री अध्यक्षः मो ान के ऊपर मैं अभी कोई डिसिजन नहीं दे सकता।

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, मेरी प्रार्थना है कि हाउस आज साईने–डाई ऐडजर्न नहीं होना चाहिए। हाउस में मो ान आई है और उसमें कहा गया है कि हाउस को आज साईने डाई ऐडजर्न कर दिया जाए। (विघ्न) मैं आपके सामने अर्ज कर रहा था कि आज हाउस–डाई ऐडजर्न न किया जाए। मैंने जैसा कि पहले अर्ज किया कि तीन अहम मसले आपके सामने है और इन मसलों के बारे में आने खुद कहा है कि अभी मैंने विचार करना है। अगर हाउस साइने–डाई ऐडजर्न हो जाता है तो उसके बाद प्रोरोग हो जाएगा और प्रोरोग होने कै बाद गवर्नमैंट की मर्जी है कि चाहे छः महीने तक सै ान न बुलाए। प्रोरोग होने के बाद जो मसले हाउस के सामने है वे खत्म हो जाएंगे। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि साइने–डाई का जो मो ान है उसको आप अलाउ न करें।

चौधरी बीरेंद्र सिंह(उचाना कलां): स्पीकर साहब, वधवा साहब की ओर से एस.वाई.एल. के बारे में जो मो ान आया है और पंजाब असैम्बली में जिसके बारे में पिछले दो हफतों से बहुत भारी चर्चा हो रही है, उसके बारे मे मैं यह कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस पार्टी के सदस्य अपोजि ान में बैठते थे तो हमने चौधरी देवी लाल की सरकार से और बाद में मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल की सरकार से अनुरोध किया था कि अगर यह मसला सुप्रीम कोर्ट में या किसी और कोर्ट में जाएगा तो लिंगर आन हो जाएगा। जब भजन लाल जी की सरकार आई, तब हमने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट से इसको विदड्रा कर लिया जाए तो यह आपसी बातचीत द्वारा जल्दी ऐक्सपिडाइट हो सकता है। स्पीकर साहब, इस प्रौबलम को हल करना गवर्नमैंट और ऐग्जैक्टिव का ही काम नहीं है, बल्कि इसको हल करने की लेजिस्लैचर की भी बहुत बड़ी रिस्पौंसिबिलिटी तो बहुत ही ज्यादा है। इस मामले को हल करने की लेजिस्लेटिव विंग की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि गवर्नमैंट की ऐक्टीविटीज गवर्नमैंट लैवल पर इस बारे में जो डिवेलपमैंट हो रही है उसके बारे में जांच पड़ताल करने के लिये हाउस की एक जांच कमेटी बनाई जाए।

Mr. Speaker: I would request you to please speak on the motion before the House.

Chaudhri Birinder Singh: Speaker Sahib, there was a motion from one opposition member. It is a very

important matter and taking into consideration the importance of that motion, I am speaking on it.

स्पीकर साहब, मैं आपको तजवीज कर रहा हूं कि आप एक कमेटी कांस्टीचयूट करें, खासतौर पर एस.वाई.एल. के कम्पील ान के बारे में, ऐग्रीमैंट के बारे में या सुप्रीम कोर्ट में हम गये, वहां हमें जाना चाहिए था या नहीं या केस को विदड्रा किया जाए या न किया जाए, इन सब बातों को कंसिडर करने के लिये। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ, क्योंकि आप ने मुझे बोलने का समय दिया अपना स्थान लेता हूं।

चौधरी खुर ाीद अहमदः स्पीकर साहब, यह जो साइने–डाई का मो ान अब हमारे सामने है, इसका फैसला बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी ने जिस दिन हाउस का बिजनैस भाुरू किया हुआ था उस दिन किया था कि आज की तारीख में हाउस को मुलतवी करने के लिये यह मो ान आएगा। बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की रिकमैंडे ान इस हाउस के सामने आई, यह हाउस उस रिकमैंडे ान को पहले ही मान चुका है और उसी के अनुसार मैंने यह मो ान आपके सामने रखा है। इसके लिये यह जस्टीफाई कराना कि आज हाउस भाुरू होने से एक मिनट पहले अगर कोई दूसरा मसला आ गया है तो उसको देखते हुए तमाम हाउस की कंसैंट को नजर अंदाज कर दिया जाए और बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट को इग्नोर किया जाए, उचित नहीं है। मेरे विचार से हाउस के सामने कोई ऐसा बिजनैस नहीं है,

जिसकी वजह से इन तमाम चीजों को इग्नोर किया जाए इसलिये बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट और उसके फैसले के मुताबिक ही हाउस को चलाया जाना चाहिए और यह साईने डाई–का मो ान पास होना चाहिए। (ाोर)

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब मेरा प्वायंट आफ आर्डर है ऐसा कोई मसला हाउस के सामने आने के बाद बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग दोबारा बुलाई जा सकती है। दोबारा काल की जा सकती है, इसमें कोई आपति की बात नहीं है। (ाोर)

श्री अध्यक्षः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है (ाोर)

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, आप मेरी बात तो सुनिये.....(ाोर)

****

Mr. Speaker: Nothing will be recorded. (Interruptions)

श्री बीरेंद्र सिंह(नारनौंद): स्पीकर साहब, भाुरू भाुरू में चौधरी अहमद साहब ने.....(ाोर)

Mr. Speaker: Actually the Minister has already wound up the debate. As a special case, I am giving an opportunity to Chaudhri Verender Singh and he will be the last speaker on this subject. (Interruptions)

श्री बीरेंद्र सिंहः स्पीकर साहब, मैं कह रहा था चौधरी खुर ाीद अहमद साहब ने हाउस को साईने डाई ऐडजर्न करने का मो ान मूव किया है। (चौधरी रिजक राम जी की ओर से विघ्न) स्पीकर साहब मुझे समझ में नहीं आता कि चौधरी रिजक राम जी बीच में क्यों यूं ही बोल रहे है? (ाोर)

श्री अध्यक्षः आपकी कोई पुरानी मुहब्बत होगी (हंसी एवं भाोर)

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरा तो केवल इतना ही कहना है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह हर बार यूहीं बोलने के लिये खड़े हो जाते है वरना इनकी बातों का कोई मतलब नहीं होता। ये यूं ही खड़े हो जाते है और हाउस का टाईम खामखाह जाया कर रहे है। (ाोर एवं व्यवधान)

चेयर के आदे ाानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री बीरेंद्र सिंहः स्पीकर साहब, चौधरी खुर ाीद अहमद साहब ने हाउस को साईने डाई ऐडर्जन करने का मो ान मूव किया है और साथ ही उन्होंने कहा कि बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसको भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। इस बारे में मेरा इतना ही कहना है और भाायद वे रिकलैक्ट भी करेंगे कि जब बिजनैंस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग

हुई थी उस वक्त यह मसला पंजाब असैम्बली में नहीं उठा था अब चूंकि दोनों असैम्बलियां बराबर बराबर चल रही है, इन हालात में यह जरूरी हो जाता है कि पब्लिक एट लार्ज के जो विचार हैं, फिलिंग्ज है, उनका भी ध्यान रखा जाए। पंजाब के मिनिस्टरों ने जो मुखतलिफ ब्यान दिये है और खास तौर पर पंजाब के मुख्य मंत्री सरदार दरबारा सिंह जी ने जो ब्यान दिये है, उन से पब्लिक एट लार्ज की फीलिंग्ज जो थी वह परटर्बड हुई। फिर जबकि हम सै ान में हों और यह कह दिया जाए कि यहां पर ऐसे अहम मुद्दे डिसक्स नहीं हो सकते तो यह कहना भाोभा की बात नहीं है। मैं तो स्पीकर साहब समझता था कि ये मो ान मूव करेंगे और सरकार हमें ऐनकरेज करेगी। मेरा निवेदन है कि इस मो ान पर थौरो डिसक ान होनी चाहिए ऐसा करने से बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट को इग्नोर करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि यह मसला भाुरू में न तो अखबारात में था और न ही असैम्बली में था। किसी जगह पर नहीं था। (ाोर)

Mr. Speaker: I must point out that I had already admitted a call attention notice on this subject keeping in view the urgency of the matter but, unfortunately, the hon. Member concerned was not present to call the attention of the Government. (Interruptions.)

Shri Verender Singh: That is correct, Sir. But unfortunately we had to boycott the Session yesterday. स्पीकर

साहब, इसका मतलब यह नहीं है कि इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं। जितना कंसर्न इनका है उतना ही हमारा है और उतना ही हरियाणा की जनता का भी है। अगर एक दिन के लिये सै ान और बढ़ जाए तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वैस्ट करूंगा कि वह इस पर दोबारा गौर करें, जरा ठण्डे दिमाग से इस पर विचार करें क्योंकि यह बड़ा इम्पौर्टैंट मैटर है, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री हीरा नंद आर्य(लोहारू): स्पीकर साहब, बीरेंद्र सिंह जी के सुझाव पर सरकार को दोबारा विचार करना चाहिए, इसमें किसी की प्रैसटिज का सवाल नहीं है। इसमें सारे हरियाणा की जनता के हित की बात है। इसलिये सरकार को अपने फैसले पर दोबारा विचार करना होगा। (ाोर)

चौधरी रिजक राम(राई): स्पीकर साहब, यह तो एस. वाई.एल. का मसला है, यह पहले भी हाउस में कई बार डिसकस हो चुका है। इसके लिये हाउस के सभी मैंबरों ने अपना कंसर्न जाहिर किया था और इस बारे में सरकार से अनुरोध किया था कि वह ज्यादा से ज्यादा इस मसले पर अपनी भाक्ति लगाकर, इसकी पैरवी करे। उसके बाद हरियाणा सरकार की तरफ से इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में सूट भी दायर हो गयी और उधर दूसरी तरफ पंजाब सरकार ने अलग से दावा कर दिया। स्पीकर साहब, मैं सरकार को आपके माध्यम से सुझाव देता हूं कि इस बात को

ऐग्जामिन किया जाए कि आया इस दावे को वापिस लेना मुनासिब होगा या नहीं क्योंकि इसमें कानूनी अड़चन है कि अगर एक बाद दावा वापिस ले लिया तो फिर हम दोबारा यह दावा नहीं कर सकते। दावा वापिस लेने से हमारे खिलाफ भी फैसला हो सकता है दूसरे अगर पंजाब सरकार अपने दावे को वापिस नहीं लेती तो हमें भी वापिस लेने का क्या फायदा है? इसलिए मैं कहूंगा कि इस के लिय हमें पैरवी करनी चाहिए। जहां तक दावे का सवाल है, हमने तो दो तीन बार सुप्रीम कोर्ट में लिखकर भी दिया है कि इसकी जल्द से जल्द सुनवाई की जाए मेरा विचार है और जैसे मुख्य मंत्री महादेय ने भी फरमाया है कि इन छुट्टियों के बाद भाायद सुनवाई हो जाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अन्दर पहले ही दारियाओं के पानी के झगड़ों के बारे में कहा जा रहा है कि इन झगड़ों को 6 महीनों के अन्दर अन्दर निपटाया जाना चाहिए इसलिये इस मामले की भी जल्दी सुनवाई हो जाएगी। इस मसले के बारे में कोई दो राय नहीं है और न ही किसी का कोई मतभेद है। हरियाणा का एक एक बच्चा, अपोजि ान के सभी माननीय सदस्य इस सरकार के साथ है और उन सब की सहमति सरकार के साथ है कि एस.वाई.एल. का फैसला हरियाणा के हक में ही होना चाहिए। हरियाणा को अपने पानी का हिस्सा मिलना ही चाहिए। यह मसला हरियाणा के लिए जिन्दगी और मौत के बराबर है और इसी सिलसिले में चौधरी बीरेंद्र सिंह और मुख्य मंत्री महोदय, ने भी अपने सैन्टीमैंटस जाहिर किये है। इस मामले में हम सब की सहमति भी उनके साथ है। इसलिये मैं समझता

हूं कि जो आज का बिजनैस है, उसको ट्रांजैक्ट करने के लिये पूरा टाईम मिलना चाहिए और जो एस.वाई.एल. का मसला है, इसका भी कोई न कोई हल हमारी सरकार को अव य और जल्दी ही निकालना चाहिए जिससे कि हरियाणा का भला हो सके। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने का समय दिया तथा अपना स्थान लेता हूं।

Mr. Speaker: Hon. Members, I think, we have had sufficient discussion on this subject. (Interruption.) Now I will put the motion to the vote of the House.

Question is-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

आवाजें: स्पीकर साहब, इस पर हम डिवीजन चाहते है।

Mr. Speaker: All right. Those who are in favour of the motion, they may please rise in their places.

(At this stage, the members from the Treasury benches rose in their places.)

दि पंजाब ऐग्रीकल्चरल प्रोडयूस मार्किटस (हरियाणा सैंकिंड अमैंडमैंट एंड वैलिडे ान) बिल

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डिवीजन से पहले

आपने बैल नहीं बजाई। आपको बैल बजा कर फिर डिवीजन करवानी चाहिए थी।

(At this stage, the division bells were rung)

After a scertaining the votes of the Members by voices, Mr. Speaker announced the "the Ayes have it." This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker after calling upon those members who were for "Aye" and those who were for "No" respectively, to rise in their places and on a count having been taken declared that the motion was carried.

The motion was carried.

(At this stage, Mr. Deputy Speaker occupied the Chair)

Dr. Mangal Sein: Mr. Deputy Speaker, Sir, under rule 94(4) (c) we want division in the respective lobbies. It is obligatory on your part, Sir.

Mr. Deputy Speaker: Sub-rule (3) of Rule 94 reads-

"If the opinion of the Speaker as to the decision of a question is challenged, he may, if he thinks that the division is unnecessarily claimed, ask the members who are for "Aye" and those for "No" respectively to rise in their places and, on acount being taken, he may delcare that determination of the Assembly. In such a case the names of the voters shall not be recorded."

The Hon'ble Speaker has adopted the above method and there will be no further discussion on it.

दि पंजाब ऐग्रीकल्चर प्रोडयूस मार्किटस (हरियाणा सैकिंड अमैंडमैंट एंड वैलिडे ान) बिल, 1980

कृशि मंत्री (सरदार तारा सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं दि पंजाब ऐग्रीकल्चरल प्रोडयूस मार्किटस (हरियाणा सैकिंड अमैंडमैंट एंड वैलिडे ान) बिल पे ा करता हूं।

श्री उपाध्यक्षः मुझे श्री रामलाल वधवा द्वारा पंजाब ऐग्रीकल्चरल प्रोडयूस मार्किटस (हरियाणा सैकिंड अमैंडमैंट एंड वैलिडे ान) आर्डिनैंस 1980 (हरियाणा आर्डिनैंस नं 2 आफ 1980) की डिस्ऐप्रूवल का नोटिस मिला है। हाउस का समय बचाने के लिये यदि सदन सहमल हो तो इस मो ान पर तथा बिल की कंसिड्रे ान की मो ान पर इक्ट्ठा विचार कर लिया जाए but at the conclusion of the debate these will be put to the vote of the House separately.

आवाजें: ठीक है, जी।

श्री भाम ोर सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। सभी हाउस में डिवीजन हुआ। मैं अपने विरोधी पक्ष के भाइयों का आदर करता हूं लेकिन इन विरोधी पक्ष के भाइयों ने हाउस को किस तरह से मिसलीड करने की कोि ा ा की और किस तरह से गैलरीज को प्ले–अप करने की कोि ा ा की। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं कि क्या

यह डिवीजन इस बात को लेकर हुई थी कि बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार हाउस आज की कार्यवाही के बाद साइने–डाई ऐडजर्न किया जाए या एस.वाई.एल के मसले को लेकर डिवीजन हुई थी? वे कहते है कि एस.वाई.एल. के बारे में रैजोल्यू ान असैम्बली के सामने था और उस पर यह डिवीजन हुई है। आज एस.वाई.एल का कोई इ ू हमारे सामने नहीं था। (ाोर) उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विरोधी पक्ष के भाइयों ने जो सवाल रेज करके एस.वाई.एल. का जिक्र किया है, इस बारे में मेरी सबमि ान यह है कि 1977 के इलैक ान के बाद जब चौधरी देवी लाल जी मुख्य मंत्री बने (ाोर व विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, अब इन विरोधी पक्ष के भाइयों में मेरी बात सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। जब चौधरी देवी लाल जी इस प्रदे ा के मुख्य मंत्री थे उस वक्त उन्होंने हाउस में इस बात का आ वासन दिया था कि..... ...(ाोर एव विघ्न)

श्री कंवल सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। (ाोर एवं विघ्न)

श्री हीरा नंद आर्यः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि इनका प्वायंट आफ आर्डर इतना लम्बा नहीं होना चाहिए। (ाोर एवं व्यवधान)

Mr. Deputy Speaker: Arya Sahib, please sit down, I will give my ruling on this.

चौधरी गंगा रामः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैंने एक काल अटैं ान मो ान दिया था वह ऐडमिट हो चुका है। (ाोर एवं विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः चौधरी गंगा राम जी आप बैठ जाइए। यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। (ाोर एवं विघ्न)

चौधरी राम लाल वधवाः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं कि श्री भाम ोर सिंह जी अपना प्वायंट आफ आर्डर रेज कर रहे है या भाशण दे रहे है? (ाोर एवं विघ्न)

Mr. Deputy Speaker: Wadhwa Sahib, please sit down. As I stated earlier, I will give my ruling on this.

श्री कन्हैया लाल पोसवालः डिप्टी स्पीकर साहब, किसी मैंबर को बोलने नहीं दिया जा रहा है। यह तो बहुत गलत बात है। (ाोर एवं विघ्न)

श्री भाम ोर सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी यह सबमि ान है कि .....(ाोर एवं विघ्न)

Shri Verender Singh: Deputy Speaker Sahib, this is not a point of order. (Interruptions). It is disorder. (Interruptions)

Mr. Deputy Speaker: Please sit down. This I will decide, you are nobody to decide. (Interruptions.)

चौधरी उदय सिंह दलालः डिप्टी स्पीकर साहब, सुरजेवाला जी कौन से रूल के तहत प्वायंट आफ आर्डर रेज कर रहे है? (ाोर एवं विघ्न)

चौधरी राम लाल वधवाः डिप्टी स्पीकर साहब, ये कौन से रूल्ज के तहत बोल रहे है, आप इनसे रूल तो पूछे। (ाोर एवं विघ्न) ये रूल कोट करें। (ाोर)

श्री मूल चंद जैनः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। प्वायंट आफ आर्डर तो एक फिकरे का होता है, उस में भाशण नहीं होता है लेकिन श्री भाम ोर सिंह जी तो भाशण दे रहे है। (ाोर एवं विघ्न)

श्री भाम ोर सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, अगर मेरे विरोधी पक्ष के भाई मुझे इंट्रप्ट न करते तो मैं अपनी सबमि ान एक मिनट में खत्म कर देता। इसलिये कसूर इनका है मेरा नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कह रहा था कि 1977 के बाद जब चौधरी देवी लाल जी इस प्रदे ा के मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने इस हाउस में कहा था कि फलां तारीख को एस.वाई.एल. का उद्घाटन किया जाएगा। (ाोर एवं विघ्न)

चौधरी उदय सिंह दलालः डिप्टी स्पीकर साहब, आप इनसे पूछे कि ये कौन से रूल के तहत बोल रहे है? आप हमसे तो रूल पूछते हो। इनसे भी तो पूछे कि ये कौन से रूल के तहत बोल रहे है? (ाोर एवं विघ्न)

Mr. Deputy Speaker: Order please. No interruptions. (Interruptions)

श्री भाम ोर सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक मिनट में अपनी सबमि ान खत्म करता हूं लेकिन मेरे विरोधी पक्ष के भाइयों में सुनने की हिम्मत तो है नहीं क्योंकि सुनने में इनका पर्दा फा ा होता है। डिप्टी स्पीकर साहब, जब चौधरी देवी लाल जी इस प्रदे ा के मुख्य मंत्री थे उस वक्त एस.वाई.एल. के बारे में जो रैजोल्यू ान मैं लेकर आया था। (ाोर एवं विघ्न)

श्री मूलचंद जैनः डिप्टी स्पीकर साहब, प्वायंट आफ आर्डर उसी सब्जैक्ट पर हो सकता है जिस पर डिसक ान हो रही हो। यह मसला तो इस समय अन्डर डिसक ान नहीं है। यह प्वायंट आफ आर्डर किस बात का रेज कर रहे है? (ाोर एवं विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः अगर आपका प्वायंट आफ आर्डर इस मामले से संबंधित नहीं है जो अन्डर डिसक ान है तो मैं उसे डिस–अलाऊ करता हूं। (ाोर एवं विघ्न)

चौधरी संत कंवरः डिप्टी स्पीकर साहब, एस.वाई.एल. का पानी इन्होंने बेच दिया है इसलिये ये इस बारे में डिस्क ान नहीं करना चाहते है। (ाोर एवं विघ्न)

Mr. Deputy Speaker: Sant Kanwar ji, please sit down otherwise I will be compelled to name you.

Chaudhri Sant Kanwar: Yes, you can.

Mr. Deputy Speaker: The business before the House is the punjab Agricultural Produce Market (haryana Second Amendment and Validation) Bill. If your point of order is not concerning this bill then I disallow it.

चौधरी गंगा रामः डिप्टी स्पीकर साहब, आज के लिये मेरा काल अटैन् ान मो ान ऐडमिट हुआ था। मुझे अपना काल अटैं ान मो ान पढ़ना है इसलिये मुझे टाईम दिया जाए। (ोर)

श्री उपाध्यक्षः चौधरी गंगा राम जी मैं आपको बैठने के लिये कह रहा हूं बोलने के लिए अलाऊ नहीं कर रहा हूं। इसलिये मेहरबानी करके आप बैठ जाएं। (ोर एवं विघ्न)

मुख्य मंत्री(चौधरी भजन लाल): डिप्टी स्पीकर साहब, जो अभी डिवीजन हुआ क्या वह एस.वाई.एल. के बारे में हुआ या हाउस उठने के बारे में हुआ? (ोर एवं विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः हाउस उठने के बारे में। (ोर)

चौधरी गंगा रामः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी भी बात सुन लीजिए। आज के लिये मेरा एक काल अटैं ान मो ान एडमिट हुआ है।(ोर एवं विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः चौधरी गंगा राम जी जब आपको स्पीकर साहब ने काल अपोन किया था, उस समय आप हाउस में नहीं थे

इसलिये वह रिजैक्ट हो चुका है। अब आप भाांति से बैठ जाएं। (ाोर एवं विघ्न)

चौधरी गंगा रामः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा काल अटैं ान मो ान बहुत जरूरी हैं क्योंकि बाजरे के बीज का घोटाला हो रहा है।(ाोर एवं विघ्न)

Mr. Deputy Speaker: Chaudhri Ganga Ram Ji, I will not allow you to speak. (Interruptions.)

Shri Verender Singh: Deputy Speaker Sahib, kindly give him a chance to speak. (Interruptions)

श्री उपाध्यक्षः अब चौधरी राम लाल वधवा अपना मो ान मूव करेंगे।

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Sir, I beg to move-

That this House disapproves the Punjab Agricultural Produce markets (Haryana Second Amendment and Validation) Ordinance, 1980 (Haryana Ordinance No. 2 of 1980.)

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That this House disapproves the Punjab Agricultural Produce markets (Haryana Second Amendment and Validation) Ordinance, 1980 (Haryana Ordinance No. 2 of 1980.)

Agriculture Minister (Sardar Tara Singh): Sir, I beg to move-

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Second Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved- That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Second Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

परिवहन मंत्री (श्री जगन नाथ): डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मेरे विरोधी पक्ष के भाइयों ने आज सूर्य मैगजीन का जिक्र किया लेकिन इनके बारे में आज अखबारों में आया हुआ है कि हरियाणा के अपोजि ान के विधायक इस्तीफा दे रहे है। (ाोर एवं विघ्न)

Mr. Deputy Speaker: No interruptions please.

वाक आउट

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, मेरा काल अटैं ान मो ान एडमिट हुआ था परन्तु मुझे उसे पढ़ने के लिये समय नहीं दिया जा रहा है। प्रजातंत्र का गला घोंटा जा रहा है और बोलने का जो अधिकार है वह खत्म किया जा रहा है। इसलिये मैं प्रोटैस्ट के तौर पर वाक–आउट करता हूं। (ाोर एवं विघ्न)

(इस समय चौधरी गंगा राम सदने से वाक–आउट कर गये)

चौधरी राम लाल वधवाः उपाध्यक्ष महोदय, श्री जगन नाथ जी बहुत बोलते है इन को कहें कि जब वे प्वायंट आफ आर्डर पर बोलें तो रूल कोट करें कि किस रूल के तहत प्वायंट आफ आर्डर रेज कर रहे है। (व्यवधान)

Mr. Deputy Speaker: I would request the hon'ble Members not to interrupt please.

दि पंजाब ऐग्रीकल्चर प्रोडयूस मार्किटस (हरियाणा सैकिंड अमैंडमैंट एंड वैलिडे ान) बिल, 1980 (पुनरारम्भ)

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल): डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने पंजाब ऐग्रीकल्चरल प्रोडयूस मार्किटस आर्डिनैंस जिस के ऊपर सदन में बिल पे ा हुआ है को डिस–एप्रूव करने का नोटिस दिया है। सबसे पहले मैं आपके नोटिस में जो मुख्य बात लाना चाहता हूं वह यह है कि वह जुलम तो हमने सह लिया कि बिल रात को हमारे पास आये लेकिन सुबह हाउस में यह कहा जाये कि इन पर डिस्क ान भी आज ही होगी। यह गलत बात है। रूल्ज के मुताबिक बिल पर डिस्क ान करने के लिये 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। सरकार ने हमारे साथ ज्यादती की है कि 14 दिन का नोटिस न देकर आज लास्ट डे को बिल ऐडमिट कर लिया और कह दिया कि यह आज ही आयेगा और इस पर आज ही डिस्क ान होगी। डिप्टी स्पीकर साहब, एक बात आपकी परमि ान से अर्ज करना चाहता हूं क्योंकि यह चेयर से बिलोंग करती है। जो बिल सदन में पे ा किये जाते है, कम से कम

उनको देख लिया जाए कि वे इन–आर्डर भी हैं या नहीं। बिल इन आर्डर होने चाहिएं और ढंग से सदन में पे ा किये जाएं। ऐसे बिल जिनमें प्रिंटींग मिस्टेक हो और बिल में पूर फैक्टस न दिए जाएं, कम से कम उनकी डिले कंडोन नहीं करनी चाहिए। (व्यवधान) इस बिल की स्टेटमैंट आफ आब्जैक्टस एंड रीजंज में लिखा है–

"There has been substantial increase in the work of the Haryana Agricultural Marketing Board in the last few years. In order that the Board is able to handle the increased work-load with efficiency, close, effective administrative supervision and co-ordination would be necessary. It is, therefore, proposed to provide the haryana Agricultural Marketing Board with a Senior Officer with the status of a Head of the Department from the State Government. This officer will be designated as Chief Administratior.

The rate of market fee was raised from Rs. 2/ to Rs. 3/- per cent with effect from September 5, 1977. The Supreme Court of India struck down the said enhancement vide its judgement, dated the May, 4, 1979. As a consequence of the said judgement of the Supremen Court , the market fee which roughly amounts to more than Rs. 8 crores, was required to be refunded. In reality in almost all the cases dealers had passed on the burden of the market fees to the next purchaser. The refund is likely to result in heavy financial burden to Market Committees extending undue benefit toa small number of traders. Besider, huge development activities are being taken

in the various Market Committees. Hence, It is necessary to validate the recovery of the enhanced market fee.

There has been found a lacuna in the definition of "Processing". To remove this lacuna, necessary provision has also been made."

तीन चीजें स्टेटमैंट आफ औब्जैक्टस एंड रीजन्ज में दी हुई है। पहली चीज यह है कि काम बढ़ गया है जिसके लिये चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है। दूसरे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि एनहांसड रेटस पर मार्किट फीस वसूल नहीं कर सकते लेकिन ये जबरन वसूल करते रहे। तीसरे प्रोसैसिंग की डैफिनि ान बदल दी गई है। अब आप ऐक्ट की सैक ान 2 को पढ़े। इस में जो क्लाज (एन एन) एड की है, उसमे ं लिखा है—

"Procession" means giving a treatment or a series of treatment to an agricultural produce in order to make it fit for use or consumption and includes manufacturing of an agriculturla produce.

"प्रोसैसिंग'' की डैफिनि ान इन्होंने बता दी है लेकिन बिल के अन्त में अनैक्सचर दिया होता है जिसमें ओल्ड ऐक्ट के ऐक्सट्रैक्टस दिये होते है जिससे मैंबर साहेबान को यह पता लग सके कि पहले क्या पोजी ान थी यानी 'प्रोसैसिंग' की पहले क्या डैफिनि ान थी और अब क्या डैफिनि ान कर रहे है? मिनिस्टर साहब एल.एल.बी. पास है, मैं तो बी.ए. ही हूं, भाायद मैं कानून के बारे मैं कम जानता हूं। मेरे कहने का मतलब है कि अनैक्सचर में

'प्रोसैसिंग' का कोई जिक्र नहीं है, कोई डैफिने ान नहीं दी गई है। इस वजह से मेरी हालत भी काबले रहम है। इसके बारे में मैं क्या कहूं कि क्या ठीक है क्या गलत है? जब तक अनैक्सचर में ओल्ड एक्ट की डैफिनि ान नहीं दी जाती, तब तक बात करना मु ि कल है। अगर इस किस्म के बिल हाउस में ऐडमिट हों तो मैंबर क्या करें? सिवाये इसके कि मैंबर 'नो' कह कर चले जायें, और कोई चारा नहीं। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे कहने का मतलब यह है कि बिल के संबंध में इसी ग्राउंड पर मेरा लीगल औब्जैक ान है कि यह बिल बेसिकली गलत है, कम्पलीट नहीं है। इसको हाउस में कंसिडर करने के लिए परमी ान नहीं होनी चाहिए, गवर्नमैंट इस बिल को स्वयं वापिस ले ले। इसी तरह के और भी कई लकूने है। अगर मैं सारे लकूने बताने लगूं तो बहुत समय लगेगा। एक नहीं 6 लकूने बता सकता हूं। इसलिये ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से मेरी अर्ज है कि इस बिल को वापिस ले लें और इसकी ड्राफ्टिंग ठीक ढंग से कर के हमारे पास भेजें।

डिप्टी स्पीकर साहब, यह कहना कि काम बहुत त्यादा हो गया, यह बात मुझे समझ में नहीं आई। मार्किटिंग बोर्ड का काम कैसे बढ़ गया? सड़कों का काम मार्किटिंग बोर्ड के पास होता था लेकिन अब वह पी.डब्ल्यू.डी. को दे दिया गया। बोर्ड सिर्फ फीस वसूल करता है। अब जुल्म यह हो रहा है कि मार्किट कमेटी के पास वह रूपया नहीं रहने दिया जाता सारा रूपया

मार्किटिंग बोर्ड कमेटी में आता है और फिर स्टेट पूल में चला जाता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि मार्किटिंग बोर्ड की क्या आव यकता है? मार्किट फीस चाहे प्रोडयूसरज की जेब से निकलती है, चाहे परचेजर की जेब से निकलती है, लेकिन है तो एक किस्म का टैक्स? इतना बड़ा मार्किटिंग बोर्ड बनाकर, सारे हरियाणा में लम्बे चौड़े दफ्तर खोल कर इतना स्टाफ केवल फीस वसूल करने के लिये रखना, मैं समझता हूं हरियाणा के ऊपर बर्डन है। फीस इकट्ठी करने के लिये इतना स्टाफ रखने की कोई आव यकता नहीं हैं। इससे ज्यादा अच्छा तरीका यह है कि सरकार मार्किटिंग फीस की जगह टैक्स लगा दे लेकिन मार्किटिंग बोर्ड की कोई जरूरत नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, यह कहना कि काम बढ़ गया है इसलिये चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए, यह गलत बात है। चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर एक सरकारी अफसर होगा और वह भी आई.ए.एस.। इनके पास आई.ए.एस. आफिसर्ज का कोटा आ रहा है उनको लगाने के लिए इनके पास और तो जगह है नहीं, कहीं न कहीं तो ठोकना ही है इसलिये यहां ठोक दिया। चेयरमैन उनके नीचे काम करते रहेंगे ताकि बोर्ड को इंडिपेंडेंटली काम न करने दिया जाए। सरकार का यह कहना कि काम बढ़ गया है, इसलिये ऐडमिनिस्ट्रेटर लगाने की आव यकता पड़ी, यह गलत बात है, कोई काम नहीं बढ़ा है बल्कि काम कम हुआ है। सड़को ंका काम पी.डब्ल्यू.डी. को दे दिया गया, इससे काम बढ़ा नहीं बल्कि कम हो गया है। डिप्टी स्पीकर साहब, जब कोई बात आती है तो कह दिया जाता है कि चेयरमैन लगाना जरूरी है।

ठीक है, लगे लेकिन कम से कम इनके लगने से महकमें का काम तो ठीक से चले, लेकिन चल नहीं रहा है। किसी भी कार्पोरे ान में मुलाजिम एफि ाएंटली काम नहीं कर रहे है। इसका कारण यह है कि चुने हुए नुमायंदे यानि लैजिस्लेटर्ज जिनको चेयरमैन लगाया जाता है, उन के पास पावर्ज ही नहीं है, उनको पावर्ज देनी चाहिएं। हमारे मानीय सदस्य यहां बैठै है, वे कहते है कि जब वे कार्पोरे ान के चेयरमैन थे तो कार्पोरे ान में काफी प्रौफिट हुआ। अगर प्रौफिट हुआ तो इसका मतलब है कि वे काफी किम्पटैंट है। अगर वे कम्पिटैंट हैं तो उन्हीं को चेयरमैंन बनाना चाहिए क्योंकि वे कहते है कि उन्होंने काफी प्रगति की है। अगर ऐसा है तो बीच में रूकावट डालने के लिये ऐडमिनिस्ट्रेटर क्यों भेजा जा रहा है? आप ज्वायंट सैक्रेटरी के स्टेटस के आदमी को वावर्ज देकर एडमिनिस्ट्रेटिव हैड बना रहे है और चेयरमैन की पावर्ज कम कर रहे है इसका परिणाम यह होगा कि चेयरमैन उस अधिकारी के आगे हाथ जोड़ का खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि मैं आपका ओबडिएंट सर्वेंट हूं उपाध्यक्ष महोदय, बेहतर रहेगा कि ये एक अखाड़ा बनाएं और उसमें औफिसर्ज और एम0एल0एज0 की लड़ाई कराए। एक तरफ तो चेयरमैन की पावर्ज खोस कर आफिसर्ज को दी जा रही है और दूसरी तरफ लैजिसलेचर की पावर खोस कर ऐग्जैक्टिव को दी जा रही है। यह डैमोक्रेटिक दे ा है या ताना ााही का दौर है? (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय यह तो कंट्राडिक्टरी चीजें हो रही है। एक तरफ तो चेयरमैन है और एक तरफ चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर है। इसलिये

मैं आपके द्वारा सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या मार्किटिंग बोर्ड के मैंबर्ज और चेयरमैन ने इनके पास कोई प्रस्ताव पास करके भेजा है कि हमारा काम बहुत बढ़ गया है और हम इतने नालायक और इनऐफिि ाएंट है कि इस काम को नहीं कर सकते। (ाोर)

चौधरी राम कि ानः उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने लालायक और इनऐफिि ाएंट भाब्दो का प्रयोग किया है। ये प्रौसीडिंग्ज मैं से एक्सपंज होने चाहिए। (ाोर)

श्री अध्यक्षः आर्डर प्लीज।

चौधरी राम लाल वधवाः उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि ये दो कंट्राडिक्टरी चीजें है जो किसी कार्पोरे ान और बोर्ड को चलने नहीं देंगी। मैं यह बात इसलिये भी कह रहा हूं क्योंकि अगले जो दो बिल्ज आ रहे, उनमें भी यही बात है। पता नहीं सी.एम. साहब को रात को कोई सपना आ गया होगा जो वे यह बिल ले आए वरना इसमें कोई खास बात नहीं है। (विघ्न) ऐसा लगता है कि जो एम.एल.एज. चेयरमैन बने हुए है, वे इनसे कोआप्रेट नहीं करते हैं या जो बात ये कहते है उसे वे मानते नहीं है। चूंकि उनके सहारे ये मुख्य मंत्री बने हुए है इसलिये जब ये आंख दिखाते होंगे तो वे मानते नहीं होंगे। इसलिये अब ये इनमें अफसर घुसेड़ रहे है ताकि उनको काबू करे रखें। तो चेयरमैन के साथ यह बड़ा अन्याय हो रहा है। मैं

समझता हूं कि उनकी डिगनिटी को चैलेंज किया जा रहा है और उनकी ग्रेस को खत्म किया जा रहा है। इसलिये मेरा आपको द्वारा सरकार से निवेदन है कि एम.एल.एज. के साथ ऐसा जुल्म न किया जाएं। यहां इनको यह बोलने नहीं देते वहां उनकी वैसे ही बोलती बंद करने जा रहे है। ऐसे काम सरकार न करे तो अच्छा रहेगा। अगर बोर्ड ने कोई रैजोल्यू ान पास करके भेजा हो कि उनके पास चूंकि बहुत काम है इसलिये ऐसा कर दिया जाए तब तो बात कुछ समझ में आ सकती है वरना सरकार को क्या जरूरत पड़ गई है कि यहां पर ऐडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए?

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं फीस के बारे में कहना चाहूंगा। इसमे तो डिफरैंस आफ ओपिनियन हो सकता है कि रूपया वापस करने से नुक्सान होगा लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हम डैमोक्रेटिक कंटरी में रहते है और डैमोक्रैसी के तीन स्तम्भ है ऐग्जैक्टिव, लैजिसलेचर और जुडीि ायरी। लैजिसलेचर कानून बनाती है, ऐग्जैक्टिव उसको लागू करती है और अगर कहीं इम्पलीमैंट ान में गलती होती है तो हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट उसको देखती है। वह ाकनून की इन्टरप्रटे ान करती है। डिप्टी स्पीकर साहब, जिस वक्त यह फीस बढ़ी थी हमने उस वक्त भी आवाज उठाई थी कि फीस दो परसैंट ही होनी चाहिए तीन परसैंट नहीं लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई।

श्री मांगे राम गुप्ताः आप भी तो उस समय सरकार में थे।

चौधरी राम लाल वधवाः हमारा इस बारे में पार्टी में डिफरैंस आफ ओपिनियन था। कुछ मैंबर्ज ने, जिनमें मैं भी भाामिल था, उस समय के मुख्य मंत्री जी को इस बारे में कहा था और उन्होंने इस बात को स्वीकार भी कर लिया था लेकिन बाद में सरकार ही टूट गई और वह विचार इम्पलीमैंट नहीं हो सका। हमने वैसे ही यह बात नहीं की थी कि मार्किट फीस नहीं बढ़नी चाहिए बल्कि सारे पहलुओं पर विचार करके यह कहा था। व्यापारियों को बुलाया गया था, प्रोडयूसर्ज को बुलाया गया था, उनकी बात सुनी गई थी और मैरिट पर उनको यह बात कही गई थी। (विघ्न)

श्री मांगे राम गुप्ताः व्यापारियों को तो आपने जेल मैं डाला था।

श्री उपाध्यक्षः मांगे राम जी आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, आप बीच में इस तरह से इंट्रप्ट न करें। (विघ्न)

श्री मांगे राम गुप्ताः **********

श्री उपाध्यक्षः मेरी इजाजत के बगैर जो बोला जा रहा है वह रिकार्ड नहीं होगा।

Not recorded as ordered by the Chair.

चौधरी राम लाल वधवाः उपाध्यक्ष महोदय, ये व्यापारियों के नुमांयदे है। मैं व्यापारियों की बात कर रहा हूं और ये उसे सुन भी नहीं रहे है। (विघ्न)

चौधरी उदय सिंह दलालः**********************************

श्री उपाध्यक्षः जो मेरी इजाजत के बिला बोला जा रहा है, वह रिकार्ड नहीं हो रहा है।

चौधरी राम कि ानः **********************************

श्री मांगे राम गुप्ताः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्षः कौन से रूल के तहत?

श्री मांगे राम गुप्ताः डिप्टी स्पीकर साहब, अपोजि ान की तरफ से.....

Mr. Deputy Speaker: Nothing will be recorded. (Intgerruptions). No direct intervention please.

चौधरी राम लाल वधवाः उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि सरकार ने, चाहे वह हमारी थी या किसी और की थी, मार्किट फीस दो परसैंट बढत्रा कर तीन परसैंट कर दी। लेकिन व्यापारियों ने पहले हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में

उसे चैलेंज किया तथा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को इसको बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं था और वह रूपया उनको वापस मिलना चाहिए। अब सरकार यह कर रही है कि वह जो रूपया इन्होंने लिया था वह नैक्सट परचेजर को गया समझा जाएगा। यह कितनी गलत बात है? सरकार कोर्ट में पे ा तो हुई होगी। पूरा फैसला तो मेरे सामने है नहीं लेकिन यह बात अन्डरस्टुड है कि यह बढ़ौतरी गलत है। सरकार ने अपना केस कोर्ट के सामने रखा होगा लेकिन अगर उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया की जो हायस्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया, यह उसका कंटैम्पट होगा। जो भी फैसला कोर्ट दे वह अगर ऐग्जैक्टिव को सूट ने करता हो और वह इस तरह हमारे से 'यस' करा ले यह कंवैन ान्ज के भी अगेन्सट है। यह डेमोक्रेटिक (11. 00बजे) सैट–अप है। इसलिये यह बात उसके भी अगेन्सट है। जितने आदमियों से नाजायज तौर पर पैसा वसूल किया गया है उसको वापिस किया जाना चाहिए। इन लोगों के साथ तो वही बात हो रही है।

ये समझे थे गुजर जायेगा दौरे इम्तहां एक दिन।

मगर यह जिन्दगी जालिम मुसलसल एक इम्तहां निकली।

श्री जगन नाथः इनको बम्बई भेज दो, वहां जरूरत है।

Not recorded as ordered by the Chair.

चौधरी राम लाल वधवाः डिप्टी स्पीकर साहब इनकी समझ में ये चीजें नहीं आती। यह तो वही बात है–

जब कोई फितना जमाने में नया उठता है।

वह इ ाारे से बता देता है तुरबत मेरी।।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने यह बात मैरिटस पर कही है। चौधरी देवीलाल जी के टाईम पर आकंड़ें इक्ट्ठे किये गये थे। दिल्ली के ासापास के एरिया में जो प्रोड्यूस होती है वह सारी की सारी दिल्ली की मंडियों में चली जाती है। यह प्रैक्टिकल रूप से पता लग चुका है। डिप्टी स्पीकर साहब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसे आनर करना चाहिए और पावर का मिस यूज इस तरह से नहीं करना चाहिए यह लीगल तौर पर भी ठीक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसिजन को भी न माना जाये।

डिप्टी स्पीकर साहब प्रोसैसिंग के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। उसमें भी लकूना है। वह तो क्लाज ही गलत है। इस समय वह मेरे सामने नहीं है। मैं आपसे निवदेन करूंगा कि जो मैंने डिसऐप्रूवल का नोटिस दिया है वह स्वीकरा किया जाये। यह बिल बिल्कुल नामुकम्मल और इररैगुलर है। अगर हमारे पास कियसा जाता है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की कंटैम्पट का सवाल आ जाता है। इसलिये सरकार को यह बिल वापिस लेना चाहिए और इसको पास नहीं किया जाना चाहिए।

चौधरी उदय सिंह दलाल(बादली): डिप्टी स्पीकर साहब, मार्किट कमेटियों से संबंधित बिल हर सै ान में ले आते है। मेरी समझ में नहीं आता कि सरदार तारा सिंह जी जो स्वयं किसान हैं वे कैसे किसानों के एंटी हो गये है। मार्किट कमेटी इसलिये बनायी गई थी कि किसान जो माल मंडियों में ले कर जायें उसको बेचते वक्त उनके साथ किसी किस्म की ज्यादती न हो। उनके माल की हिफाजत हो सके। उनके माल में कोई हेरा–फेरी न हो। किसानों के लिये रैस्ट हाउसिज बनाये जायें। अगर व्यापारी उनके साथ बेइमानी करते है वह बेईमानी न हो, ठीक तरह से उनके माल की बोली हो। मैं किसी व्यापारी को बेईमान नहीं कहता लेकिन उनके माल की तुलाई ठीक हो इस तरह की सुविधायों किसानों को देने के लिये यह बिल पास किया गया था।

इस बिल के अन्दर पास करते वक्त यह पाबंदी भी लगायी गई थी कि मार्किट कमेटी के चेयरमैंन किसान होगा, व्यापारी को चेयरमैन नहीं बनाया जाएगा। उसमें यहां तक भी था कि जो भी मार्किट बोर्ड या मंडियों की निगरानी करने वाले होंगे या उसमें जो सर्विस करेंगे वह ज्यादातर लेबर और किसानों के ही नुमाइंदे होंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ न कुछ तबदीली करके सारी सहूलियतें खत्म होती जा रही है। गांवों में जो कोआप्रेटिव सोसाइटिज है उनकी नुमाइन्दगी भी चुनाव से होती थी लेकिन उसमैं भी अब तबदीली की जा रही है। जो कोई

आदमी सफेद कपड़े पहन कर मिनिस्टरों के रैस्ट हाउसिज में चक्कर लगाता है उसी को मंडी का चौधरी बना दिया जाता है।

आजकल नोमिने ान का सिस्टम बना दिया है किसी को ही नोमीनेट कर दिया जाता है। सरदार तारा सिंह जी भी किसान है। उनकी जिम्मेदारी हमारे से ज्यादा है। पता नहीं कुछ उनकी मजबूरी हो गई है। जब से वे उस तरफ को गये है तब से वे कुछ मजबूर से हो गये है। आज आहिस्ता आहिस्ता पूरा का पूरा कंट्रोल किसानों की बजाये अफसरों का हाता जा रहा है। अफसर जो वहां पर लगाये जाते है वे भी व्यापारियों के ही लगाये जाते है। वे चाहे जैसा करें। उनकी अपनी मर्जी होती है कि चाहे मंडी में बोली ठीक करें चाहे गलत करें, कोई चैक करने वाला नहीं। (इस समय सभापतियों की सूचि में से एक सदस्य चौधरी राम कि ान पदासीन हुए)

चेयरमैन साहब, यह आपके लिये भी जरूरी है क्योंकि आप किसानों के नुमाइंदे है और मेरे लिये तो बड़े ही फख्र की बात है कि हमें आज किसानों के हित की बात सोचनी चाहिए। आप मेरे दोस्त हैं इसलिये आपकी तरफ से मुझ पर बोलने की टाईम की पाबंदी भी नहीं होगी। दसलिये मैं गवर्नमैंट से अपील करूंगा कि हम जितने भी यहां पर मैम्बर है उनको किसानों के हित की बात सोचनी चाहिए। मुझे किसी व्यापारी या किसी अफसर से नाराजगी नहीं है लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जिन अदायरों पर गांवों के लोगों का कंट्रोल होना चाहिए था

चाहे पंचायत राज के हों, चाहे बोर्ड के हों, चाहे मार्किटिंग कोआप्रेटिव सोसाइटियों के हों उन सब पर आज के दिन अफसर ाही का राज है। इस तरह से देहातों की लीडरि ाप को खत्म करके उन पर मुकम्मल तौर पर कब्जा करना चाहते है। चेयरमैन साहब, कम से कम आप को तो इस जुल्म में भाामिल नहीं होना चाहिए क्योंकि यह सारे किसानों की लीडरि ाप का सवाल है। पहले तो उन्होंने यह तरमीम की थी कि चुनाव को खत्म करें। मैं तो यह कहूंगा कि चाहे हमारी सरकार हो या किसी और आदमी की सरकार हो यह नोमीने ान सिस्टम लागू नहीं करना चाहिए। जो चुनाव से आ सकते है उनको चुनाव से आना चाहिए। जो चम्चे है और इधर उधर का खाने वाले है और बेअसूले है वहीं लोग नोमीने ान में आते है। इसलिये किसी की भी सरकार हो, चाहे कोई मुख्य मंत्री हो मार्किटिंग कमेटी के बिल में जो भी तरमीम करें उसको ऐसे स्टाईल से बनायें जो सब को सूट करे जिसमें किसानों का हित हो, देहातों की लीडरि ाप रहे।

चेयरमैन साहब, मैं आपके नोटिस में एक बौर बात भी लाना चाहता हूं वैसे तो यह बात इस बिल से ताल्लुक नहीं रखती है लेकिन आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि आधे से ज्यादा रैस्ट हाउसिज जो किसानों के लिये बनाये गये है उनमें सिविल सप्लाई या दूसरे डिपार्टमैंट के आफिस चल रहे है। अगर किसी किसान को रात को मंडी में ठहरना पड़ जाये तो वह अपनी रात उन किसानों के लिये बनाये हुए रैस्ट हाउस में नहीं काट सकता

है क्योंकि उसमें तो सरकारी दफतर चल रहा है। अगर इस बारे में सरकार से पूछा जाये कि ऐसा क्यों किया जा रहा है तो सरकार कहती है कि हमारी मजबूरी है। सरकार अपने दफतर के लिये किराये पर मकान ले कर दफतर क्यों नहीं बनाती है? यह गलत बात है कि पर्मानैंट तौर पर सरकार ने वहां पर दफतर बनाये हुए है। सरकार को उन पर से अपना कब्जा हटाना चाहिए। अगर यहां पर किसानों के लिये अच्छी बात हमारी तरफ से कही जाती है तो कभी तो वे चमक पड़ते है और उधर वालों की तरफ से कही जाती है तो हम चमक पड़ते है। घपलेबाजी से और मैजोरिटी के बहाने से किसानों के खिलाफ बातें पास कर जाते है। मैं तो यह कहूंगा कि जितनी देर आप चेयर पर बैंठे कोई गलत बात पास न होने दें क्योकि अगले सै ान तक तो आप मंत्री हो जायेंगे। (हंसी) इसलिये मैं सरदार तारा सिंह जी से कहूंगा कि वे तो एक अच्छे किसान है, अगर आप जैसों के वक्त में इस तरह का ऐक्ट पास होता है तो किसानों का तो भगवान भरोसे ही सब कुछ है। अगर आप भी ऐंटी किसान हो गये तब तो हम मारे जाएंगे। जिनके दिल में मजदूर और किसानों के बारे में दर्द हो मैं समझता हूं वे उनके बारे में गलत काम नहीं करेंगे। इन भाब्दो के साथ मैं कहूंगा कि गरीब किसानों के हित में जो बात हो वह पास की जाये अन्य कोई बात पास न की जाये। (विघ्न)

चौधरी रिजक राम(राई): सभापति महोदय, मार्किट कमेटी से संबंधित इस बिल के बारे में मेरे से पहले काफी मैंम्बर साहेबान बोल चुके है। कई साथियों ने कहा है कि किसी बोर्ड का या कार्पोरे ान का चेयरमैन एम.एल.ए. लगाया जा रहा है। सभापति महोदय जितनी भी बार यह बिल सं ाोधन के लिये आया है तो कोई न कोई मैम्बर खड़े होकर कहने लगता है कि बोर्ड का या किसी कार्पोरे ान का चेयरमैन एम.एल.ए. का लगाया गया है यह अच्छी बात नहीं है। मैं यह समझता हूं कि सरकार बिल को तरमीम करके जिस तरह से ला रही है यह एक एम.एल.ए. की परफारमैंस के बतौर चेयरमैन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि भाायद वह कभी नहीं चाहेगा कि यदि किसी एम.एल.ए. को किसी बोर्ड या कार्पोरे ान का चेयरमैन बनाया जाता है तो उसके बीच में यानि उसके ऊपर किसी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को लगाया जाये। कुछ दिन पहले सरकार कहती थी कि किसी योग्य एम.एल.ए. को किसी बोर्ड का या किसी कार्पोरे ान का चेयरमैन वह इसलिये लगाती है ताकि अच्छी तरह से काम हो सके। दूसरी बात यह कहती थी कि सरकारी अफसरान.....(विघ्न एवं भाोर)

कई आवाजें: आप कैसे बोल रहे है? (भाोर)

श्री सभापतिः आप लोगों को भी बोलने के लिए पूरा पूरा समय दिया जायेगा।

चौधरी रिजक रामः सभापति महोदय, सरकार भी इस बात का दावा करती है कि जब किसी एम.एल.ए. को किसी कार्पोरे ान का या बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया जाता है तो उस कार्पोरे ान को या बोर्ड को लाभ पहुंचता है। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा था कि जब से मैंने कार्पोरे ान का चार्ज सम्भाला है तो उसमें अब फायदा होने लग गया है और अब उन्होंने 25–30 लाख रूपये का मुनाफा कमा कर दिया है जब कि पहले वह कार्पोरे ान घाटे में चलती थी। अब यह देखने वाली बात हो जाती है कि जब किसी एम.एल.ए. को चेयरमैन लगाया जाता और उसकी देख रेख मैं उस कार्पोरे ान की तरक्की होती है तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि इस बिल में तरमीम करके सरकार किसी चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर आफिसर को एम.एल.ए. के ऊपर क्यों लगाना चाहती है? जब उस बोर्ड या कार्पोरे ान को फायदा ही हो रहा है तो फिर सरकार को इस बिल को लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। (तालियां) चेयरमैन साहब आप भी देखते हैं कि किसी बोर्ड का या कार्पोरे ान का मैनेजिंग डायरेक्टर एक आई.ए. एस. आफिसर लगाया जाता है। एक आई.ए.एस. ऊपर लगा दिया जाता है और दूसरा उसके नीचे लगा दिया जाता है और उस के बीच में एक एम.एल.ए. को बतौर चेयरमैन नियुक्त कर दिया जाता है तो यह कोई भाोभा देने वाली बात नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार को इस बिल को लाने से पहले मंत्री महोदय ने पार्टी मैम्बरान से और दूसरे साथियों से सलाह कर

लेनी चाहिए थी। अचानक ही हाउस में इस प्रकार का बिल ला करके रख देना कोई अच्छी बात नहीं है।

सभापति महोदय, इसके साथ ही एक और तरमीम इस बिल के जरिये की जा रही है। जिन जिन व्यापारियों से मार्किट फीस के रूप में पैसा वसूल किया जा चुका था और जा`सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार व्यापारियों को दिया जाना था वह करीब 8–9 करोड़ रूपये बनता है। अब सरकार इस बिल के जरिये वह पैसा भी व्यापारियों को नही देना चाहती और जो पैसा दिया जा चुका है वह लैंड रैवेन्यू के तौर पर वसूल किया जायेगा। (ाोर) सभापति महोदय मैं आपके द्वारा सरकार से तथा मंत्र महोदय से कहना चाहता हूं कि सरकार ने चुनाव के दौरान वायदे किए थे कि लोगों की भलाई के लिये अधिक से अधिक काम किए जायेंगे। पीछे लोक सभा के चुनावों के दौरान सरकार ने वायदा किया था कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करेंगे। चुनाव के दौरान बहुत सा पैसा मंडियों के व्यापारियों से लिया गया था (ाोर) सभापति महोदय सरकार का अब यह कर्तव्य हो जाता है कि चुनावों के दौरान जो वायदे लोगों से किए गए थे उनको अब पूरा किया जाये। यदि वोटरों से किए गए वायदों को पूरा न किया गया तो कल फिर चुनावों का समय आएगा और लोगों का वि वास सरकार से उइ जायेगा। उस समय उसका उल्टा असर पड़ सकता है और फिर चाहे कितने भी वायदे किए जायें कोई भी वि वास नहीं करेगा। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो

आदमी गलत काम करते हों उनको जेलों में डाल देना चाहिए। यदि सरकार ठीक काम करेगी तो सभी कार्य ठीक प्रकार से होंगे। जब भी सै ान भुरू होता है तो यह कहते है कि हम बहुत जल्दी फलां काम करने जा रहे है लेकिन फिर कुछ नहीं होता। (ाोर एवं हंसी)। इसके साथ ही साथ सभापति महोदय मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे साथी चौधरी जगजीत सिंह पोहलू जो मेरे पास ही बैठे है इन्होंने मुझे याद दिलाया है कि हर सै ान के दौरान मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल जी मिनिस्टरी बढ़ाने का आ वासन दे देते है लेकिन बढ़ाते नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री महोदय फैसला कर लें कि किस किस को मिनिस्टरी में भाामिल करना है। पोहलू साहब मिनिस्टरी में भाामिल होने के लिये बड़े उतावले है। (हंसी एवं ाोर) सभापति महोदय हमारे सी.एम. साहब ने इतने बड़े बड़े वायदे कर रखे हे कि यदि ये 20 साल में भी उन्हें पूरा कर दें तो भगवान की बड़ी कृपा होगी। (तालियां एवं हंसी) इतना ही कहते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं।

डा0 मंगल सैन(रोहतक): सभापति महोदय आज सदन में पंजाब ऐग्रीकल्चर प्रोडयूस मार्किट (हरियाणा सैकिंड अमैंडमैंट एंड वैलीडे ान) बिल पर विचार चल रहा है। मेरे माननीय सदस्यों ने जो ट्रेजरी बैंचों पर बैठे हुए है, इसके स्टेटमैंट आफ आब्जैक्टस एंड रीजंज पढ़ कर प्रका ा डाला है। मैं भी इस बिल के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सभापति जी, इस कानून के

बनाने वाले सर छोटू राम जी जैसे लोग थे, जिन्होंने किसान की वह पैदावार जो मंडी में जाने के बाद रैगुलेट न होकर कई प्रकार से ऐक्सप्लायट होती थ, उस को रैगुलेट किया। उन्होंने इस कानून के जरिये हरेक के हित को हरेक के इंट्रैस्ट को सेफगार्ड करने की कोि ा ा की। समय समय पर इस कानून की धाराओं में सं ाोधन इस सभा द्वारा किये गये है। हमारे आदरणीय मित्र चौधरी रिजक राम जी.....(ाोर एवं व्यवधान) अगर इनको मेरा आदरणीय कहने से भी आपत्ति है, तो मैं आदरणीय नहीं कहता। मैं और कुछ इनके बारे में नहीं कहना चाहता क्योंकि अगर मैं कुछ कहुगा तो फौरन मेरे खिलाफ प्रिविलिज मो ान आ जायेगा। फिर गले में रस्सी टांगेंगे। (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी उदय सिंह दलालः एक दिन में दो थोड़े ही आयेंगे? इसलिये जो मर्जी आये आप कहे जाओ। (व्यवधान एवं भाोर)

डा0 मंगल सैनः इस सं ाोधन के जरिये मैं तो यह आ ाा करता था कि इसमें किसान का, व्यापारी का, आढ़ती का, तोला का चूंकि इंट्रैस्ट इन्वाल्वड है, इसलिये उस संबंध में यह कोई सं ाोधन लायेंगे। सरदार तारा सिंह बड़ी जल्दी खफा हो जाते है। बुर्जुग आदमी है। (व्यवधान) दाढ़ी से तो बुजुर्ग ही लगते है। वह बड़ी जल्दी कह देते है कि भाई हम आपकी पोल खोलेंगे। पोल खोलना चाहो, पोल खोल दो, खम्भे खोलना चाहो तो खम्भे खोल दो आपकी खुली छुट्टी है। देखना कहीं दूसरे

की पोल खोलते आपकी ही न खुल जाये। वेयर हाउसिज का मामला आज आ नहीं सका वरना इनको पता लगा जात। स्टार्ड और अनस्टार्ड के चक्कर में ही वह रह गया। मैं इनको यह कहना चाहता हूं कि आपको इस बोर्ड को लोकतांत्रिक बनाना चाहिए था। क्यों नहीं बनाया? जमहूरियत का जनाजा इस सरकार के कंधे पर निकल रहा हैं यह नहीं होना चाहिए कि जमहूरियत इस बोर्ड में इंट्रोडयूस न की जाये। सभापति महोदय जो इसका पेरैंट ऐक्ट है उसमें यह लिखा हुआ है कि इस बोर्ड के 11 सदस्य होंगे। चेयरमैन के अलावा जो सदस्य होंगे वह चुनकर आयेंगे। इसी तरह से जिस तरह से अब चल रहा है, पहले जो मुख्य मंत्री होते थे, उन्होंने भी किया था। चौधरी भजन लाल जी को उन्होंने एग्रीकल्चर का मंत्री बना दिया क्योंकि ये कई कल्चरो में ट्रेंड है। इसमें उन्होंने नोमीने ान की गुंजाइ ा छोड़ दी। चेयरमैन साहब, जहां पर नोमीने ान होगा, आप जानते है वहां फिर मामला ऐसा ही होता है। हमारी करनाल में एक बहुत म ाहूर हस्ती है लाला हरि राम जी। उनको इस बोर्ड का मैम्बर बनाया हुआ है। बोर्ड का मैम्बर बनाकर उसको आगे देखिये क्या बना दिया है। जो ठेका इंक्वायरी कमेटी है, उसको उसका चेयरमैन बना दिया गया है। वह कुछ नहीं करता। उसने यह काम अपने भानजे अनिल कुमार को सौंप दिया है कई डैपुटे ान मेरे पास आये। कुछ ज्ञापन भी माननीय सदस्यों के पास आये होंगे। बड़ी ज्यादा अंधेर गर्दी इस डिपार्टमैंट में है। चेयरमैन साहब आपको याद होगा, कई दिनों तक वे बेचारे भूख

हड़ताल पर बैठे रहे। पहले उनको भर्ती कर लिया फिर बाद में उनको धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। चेयरमैन साहब, मुझे अफसोस इस बात का है कि भाायद सरदार तारा सिंह को इस बात का पता ही नहीं होगा कि इस डिपार्टमैंट में ऐसी बहुत सी बातें हुई है जोकि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहियें। यह बात तो देखते ही मालूम होती है कि बड़ी गलत बात हुई है। चौधरी रिजक राम जी की एक बात से मैं सहमत हूं। उनकी इस बात का मैं समर्थन करता हूं कि विधायकों की, एम.एल.एज. की और इस सदन के प्रैस्टिज को अन्डर माईन किया गया है। इस गरिमापूर्ण सदन के माननीय सदस्यों की अवमानना की गयी है। उनके प्रैस्टिज को बनाया नहीं गया। उन पर भरोसा नहीं किया गया। उन पर अगर आपको भरोसा नहीं था तो उनकी छुटटी कर दी होती। अगर उनकी बात को नहीं मानना तो आप उनको हटा दीजिये वरना आपको उनकी बात को मानना चाहिए। इस सदन का सदस्य होने के नाते मैं चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर का बीच में फंसाया जाना उचित नहीं समझता। यह सरासर ज्यादती वाली बात है। चीफ ऐउमिनिस्ट्रेटर की वहां पर कोई जरूरत नहीं है। इस समय जो ढांचा है उसी से काम चल सकता है और चल भी रहा है। सबसे पहले तो मैं यह भी कहूंगाा कि हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी को मुख्य मंत्री के साथ–साथ घोशणा मंत्री भी कहना चाहिए। (व्यवधान) चौधरी रिजक राम जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति है और वे सोच–समझकर भाब्दों का इस्तेमाल करते है। वे कई बार विधान सभा में चुन कर आये है। उन्होंने यह कहा कि

चौधरी भजनलाल जी को 30 साल तक मुख्य मंत्री बनाये रखो, चुनाव नहीं होने चाहिए। आप जानते है कि हमारे संविधान में यह व्यवस्था है हरेक पांच वर्श के बाद हमें जनता के पास जाना पड़ेगा। संविधान में तो जो सुप्रमेसी है that lies with the people and not with the individual उन्होंने जनता के पास न जाने के लिये उनके 30 साल दिये। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि कोई पता नहीं किस को कब अल्ला मियां अपने पास बुला ले। यह तो हमारे किसी के बस की बात नहीं है। जैसे कि इनके कायदे है, इनकी नियत है, उसमें तो यह मास्टर है। He is competent to do everythig but we are not competent, Sir. इन्होंने मार्किट फीस बढ़ायी। व्यापारी सुप्रीम कोर्ट में गये। उन्होंने यह कहा कि इनको वापिस कर दो। कुछ को वापिस भी कर दी। कुछ जगह पर तो मार्किट कमेटियों के अधिकारियों को हिस्सा नहीं मिला। कंवर राम पाल सिंह जी यहां पर बैठे है? पी0डब्ल्यू0डी0 में, जैसे कि इनको भी पता है, ठेकेदारों से डिपार्टमैंट वालों का हिस्सा बंधा हुआ है। वह हिस्सा लेने के बाद ही पेमैंट रीलीज करते है। This is an established fact.

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(चौधरी मेहर सिंह राठी): यह तो आपके जमाने में ही होता होगा। (व्यवधान व भाोर)

डा0 मंगल सैनः चेयरमैन साहब, मैं तो यह समझता हूं कि जो हकीकत है, उसको इन्हे एक्सैप्ट कर लेना चाहिए। हम तो एक ही जिले के रहने वाले है। ये दायी से पेट क्यों छिपाते है?

दायी से पेट छिपाकर कहां जायेंगें? मैं यह कहना चाहता हूं कि व्यापारियों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। इन्होंने पहले यह कहा कि हां हम पैसा दे देंगे लेकिन फिर इंकार कर गये। भजन लाल जी इस बात में बड़े म ाहूर है कि सब को वह हां–हां ही कहते जायेंगे। (हंसी) मैं कह रहा था कि व्यापारियों से पैसा ले लिया था तो उसको वापिस लौटा देना चाहिए था। वह देना तो दूर रहा इन्होंने उन्हें कहा कि एज लैंड रेवन्यू क्लेक्ट किया जाएगा। चेयरमैन साहब, इस बात को कहने की क्या जरूरत थी? वैसे ही कह देते कि वायदा भंग कर रहे है। लेकिन यह सरकार तो ताना ााही के रास्ते पर चल रही है। इन्होंने कई बार रास्ता बदला है और अन्त में ताना ााही का रास्ता अपनाया है। ताना ााही का रास्ता, चेयरमैन साहब, कुएं में गिरने वाला रास्ता होता है। इसको अपनाना ठीक नहीं है। चेयरमैन साहब, यह सं ाोधन वाकई बड़ा हा र्ा है। यह ऐसा सं ाोधन है जिससे आप अनपापुलर हो गये है। हम तो चाहते है कि आप ज्यादा से ज्यादा अनपापुलर हो। आप अगर हमारी सलाह नहीं मानते तो कम से कम अपनी पार्टी के मैम्बर चौधरी रिजक राम की सलाह ही मान लो। चेयरमैन साहब, यह हमारे साथ ही धक्का नहीं कर रहे है, इन्होंने पार्टी के साथ भी धक्का किया है। यह बात अगर पार्टी में विचार कर ली होती तो इतनी तकलीफ न होती लेकिन इन्होंने वह डैमोक्रेटिक तरीका नहीं अपनाया। अगर पहले पार्टी में विचार कर लिया होता तो सदन में यह बात नहीं आती। चेयरमैन साहब, आज मार्किटिंग बोर्ड में बड़ा भ्रश्टाचार फैल रहा है।

श्री सभापतिः डाक्टर साहब, आप कितना टाईम और लेंगे?

डा0 मंगल सैनः बस मैं खत्म करने जा रहा हूं। चौधरी भजन लाल जी सदन में आ गए है। मैं पंडित हरि राम के बारे में बता दूं। जब मैं पहले बोल रहा था तो ये यहां नहीं थे। पंडित हरि राम इनके बहुत गहरे मित्र हैं, परम भक्त है। उनके ख्यालों के बारे में इनको खूब पता है। चौधरी भजन लाल जी आपने उनको ऐसे काम पर लगा दिया है कि आपको खूब नेकनामी मिलेगी।

मुख्य मंत्री(चौधरी भजन लाल): डाक्टर साहबए मैं आपकी स्पीच कमरे में सुन रहा था।

डा0 मंगल सैनः चेयरमैन साहब, इन बातों की रो ानी में मेरी प्रार्थना है कि इस अमैंडमैंट को विदड्रा किया जाए और इसको डेमोक्रेटाइज करें। आप किसानों को मौका दें, व्यापारियों को मौका दें, तोले को मौका दे और आढ़ती को मौका दें। जो कांस्टीच्यू ान पहले था वही रहना चाहिए। इन भाब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मांगे राम गुप्ता(जींद): चेयरमैन साहब, मंत्री महोदय की तरफ से मार्किटिंग बोर्ड के बारे में जो अमैंडमैंट आई है, मैं उसका समर्थन करता हूं। चेयरमैन साहब 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई उसमें चौधरी देवी लाल मुख्य मंत्री

थे, डाक्टर मंगल सैन मंत्री थे और चौधरी राम लाल वधवा सलाहकार थे। उस समय जो कानून बनाया गया था उसकी यह देन है कि आज मंत्री महोदय उसके बारे में यह अमैंडमैंट लाए है। उस वक्त के मुख्य मंत्री की यह भावना थी कि व्यापारियों का विरोध किया जाए। इसीलिए उस वक्त जो मार्किटिंग फीस दो परसैंट थी उसको बढ़ाकर तीन परसैंट कर दिया गया। उस फीस को बढ़ाने के बारे में किसी लीगल ऐडवाइजर से सलाह नहीं ली गई। किसी आई0ए0एस0 आफिसर से सलाह नहीं ली गई और बगैर सलाह लिए फीस दो परसैंट से तीन परसैंट कर दी (ाोर)। डा0 मंगल सैन और चौधरी राम लाल ने सरकार को सलाह दे दी कि यह फीस बढ़ा दी जाए इससे सरकार की इंकम बढ़ेगी। अगर उस वक्त लीगल एडवाइजर से सलाह ले ली होती तो वह फीस न बढ़ाई जाती।

चौधरी राम लाल वधवाः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, चेयरमैन साहब, आप इनसे यह पूछ लें कि उनको रूपया वापिस किया जाए या नहीं? (ाोर)

श्री मांगे राम गुप्ताः चेयरमैन साहब, उस वक्त इन्होंने यह नहीं सोचा कि यह मार्किटिंग फीस दो से तीन परसैंट नहीं हो सकती। (व्यवधान) फीस बढ़ाने का कोई कानून नहीं है। जब व्यापारियों को पता लगा कि मार्किटिंग फीस दो से तीन परसैंट हो गई है जब कि पहले ही टैक्सों का बोझ काफी है तो व्यापारियों ने इस बारे में अपना विरोध प्रकट किया और सरकार

से कहा कि यह टैक्स नहीं लगना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने मैमोरेन्डम भी दिया। उनका एक डेपुटे ान मंत्री महोदय तथा चीफ मिनिस्टर को भी मिला और इनको बताया कि आपको यह गलतफहमी है कि इस बढ़ी हुई मार्किट फीस का इफैक्ट व्यापारियों पर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इसका असर तो परचेजर पर, कंज्यूमर पर पड़ेगा। जो आदमी चीज खरीदेगा उस पर असर पड़ेगा या जो किसान जमीन से चीज पैदा करता है उस पर पड़ेगा। (व्यवधान) लेकिन उस वक्त की सरकार ने उनकी सलाह नहीं मानी और धक्के ाही से वह फीस व्यापारियों पर लगा दी। (व्यवधान) उस वक्त चौधरी राम लाल और डा0 मंगल सैन ने दोगली नीति अपनाई। यहां पर उन पर यह फीस लगा दी और दूसरी तरफ व्यापारियों को कह दिया कि तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है। आप चंडीगढ़ में आओ और वहां पर ऐजीटे ान करो। (व्यवधान) चेयरमैन साहब, जब विधान सभा का सै ान चल रहा था तो डा0 मंगल सैन और वधवा साहब हरियाणा के व्यापारियों को बुलाकर लाए। (व्यवधान) लाखों की तादाद में हरियाणा के व्यापारी यहां इक्ट्ठे हुए। यहां पर बुलाकर इन्होंने उनको लाठियों से पिटवाया। (व्यवधान) चेयरमैन साहब ने सिर्फ लाठियों से पीटा गया बल्कि उन के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और कोड़े बरसाए गए। व्यापारियों को उस कड़कती सर्दी के अन्दर पटियाला जेल में बंद किया गया। (व्यवधान) आज ये लोग व्यापारियों के हमदर्द बन रहे है। उनके बारे में हमदर्दी भाो कर रहे है। चेयरमैन साहब मुझे याद है करनाल के

इलैक ान में वोट लेने के लिए डा0 मंगल सैन ने लिखकर दिया कि हमसे गलती हो गई। आप हमें वोट दे दो। (ाोर)

श्री मूल चंद मंगलाः आन ए प्वायंट आफ आर्डर।

श्री सभापतिः किस रूल के तहत आप प्वायंट आफ आर्डर रेज कर रहे है? (व्यवधान)

श्री मूल चंद मंगलाः आपने बिल की अमैंडमैंट पर बोलने के लिए कहा है लेकिन यह बिल की अमैंडमैंट पर बोलने की बजाय बिल पर बोल रहे है।

श्री सभापतिः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। (व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ताः चेयरमैन साहब, जब यह मार्किटिंग फीस सरकार ने लगा दी तो व्यापारी लोग हाई कोर्ट में चले गए। उन्होंने इसको हाई कोर्ट में चैलेन्ज किया। हाई कोर्ट पर सरकार का दबाव डल गया इसलिए हाई कोर्ट ने उसकों नहीं माना। व्यापारी लोग होई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए।

श्री बीरेंद्र सिंहः चेयरमैन साहब, आनरेबल मैंबर ने अपने भाशण में कहा है कि व्यापारी हाई कोर्ट में गए और सरकार ने हाई कोर्ट पर दबाव डालकर फैसला कराया। यह जुडीि ारी पर एक ऐसप र्ान है।

श्री हीरा नंद आर्यः इनको यह भाब्द वापिस लेने चाहिए।

श्री मांगे राम गुप्ताः चेयरमैन साहब, मैं कह रहा था कि हाई कोर्ट ने सरकार के हक में फैसला दे दिया तो व्यापारी दे ा की जो सब से बड़ी अदालत है वहां गए और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला किया कि जो मार्किट फीस लगाई गई वह गलत है और जो वसूल की गई है उसको वापिस किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया। हमारी सरकार ने उस फैसले को माना। लेकिन उसके बाद कुछ दिक्कत आई कि जो पैसा वसूल किया है वह असली मायने में किस से वसूल हुआ है। उसका इफैक्ट कंज्यूमर पर हुआ है, परचेजर पर हुआ है। व्यापारी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। (ाोर)

श्री जय नारायण वर्माः चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है (ाोर)

श्री सभापतिः किस रूल के तहत आप बोलना चाहते है?

श्री जय नारायण वर्माः रूल 112 के तहत। चेयरमैन साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि **********

श्री मांगे राम गुप्ताः **********

श्री सभापतिः कुछ भी रिकार्ड न किया जाए। देखिए मैं सभी माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि बगैर इजाजत के कोई भी बीच में न बोलें (ाोर)

Shri Baldev Tayal: Mr. Chairman, Sir, I am standing on a point of order.

Mr. Chairman: No interruptions pleases.

Shri Baldev Tayal: Please listgen to me. If there is any thing wrong, you may reject. I would like to draw your attention to Rule 100 of the Rules of Procedure and Conduct of business in the Haryana legislative Assembly, which reads as under-

"100. (1) The matter of every speech shall be strictly relevant to the matter before the Assembly.

(2) A member while speaking shall not-

(i) reflect upon the conduct persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion draw in proper terms....."

So my humble submission is that the reference to the decision of High Court by the learned member, may not be recorded.

चेयर के आदे ाानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री मांगे राम गुप्ताः चेयरमैन साहब, मैं यह कह रहा था कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद यह जरूरी हो जाता है कि

जो पैसा पहले व्यापारियों से लिया गया है, उन को वापिस दिया जाए। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) सरकार के नोटिस में यह बात है भी कि जो पैसा व्यापारियों से पहले इक्ट्ठा हुआ था वह अब मार्किटिंग बोर्ड में जमा नहीं है और वह सारा रूपया किसानों के हित के लिये खर्च हो चुका है। मैं अपनी सरकार से रिक्वैस्ट करूंगा कि वह सारा रूपया, जिनसे वह इकट्ठा किया गया है, जो लोग उस से इफैक्टिड है उन्हीं को ही वापिस कर देना चाहिये कहीं ऐसा न हो कि बीच का जो मिडल मैन है, वह उस पैसे को हड़प कर जाए, वह उस पैसा को ले जाए। जो आदमी उस पैसे से एक्चुअली इफैकटिड है, केवल उन्हीं के पास ही यह पैसा जाना चाहिये। हमें डर है कि जो मिडल मैन होगा वह बड़े बड़े अधिकारियों से मिल कर कहीं इस पैसे को अपनी जेब में न डाल ले। इसलिये मैं अपनी सरकार से यह रिक्वैस्ट करूंगा, तजवीव करूंगा कि मेरे इस सुझाव पर खासतौर पर ध्यान दिया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्लीज वाइंड अप। आपकों बोलते हुए काफी समय हो गया है।

श्री मांगे राम गुप्ताः इससे आगे चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर्ज की बात आई है और नामीने ान के बारे में भी यहां पर काफी चर्चा हुई है। इस बारे में भी मैं आने विचार रखना चाहता हूं। आपको याद होगा कि जब पिछली सरकार में डाक्टर मंगल सैन और चौधरी राम लाल वधवा मिनिस्टर हुआ करते थे तो उनके

वक्त में ही इम्प्रूवमेंट ट्रस्टस के चेयरमैन की नामीने ान भी हुई थीं। उस वक्त ये चुपचाप देखते रहें। इन्होंने उस वक्त नामीने ान के खिलाफ कोई एतराज नहीं उठाया लेकिन आज ये लोग ही यहां पर इन बातों को कि्टिसाइज कर रहे है। चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर्ज की नियुक्तियां इसलिये की जा रही है ताकि वर्ल्ड बैंक से हमें जो 80 करोड़ रूपये का कर्ज मिला है, उसका हिसाब किताब चैक किया जा सके। दफ्तर कहीं कोई गलत काम न करे, कहीं कोई गड़बड न होने पाए, इन सभी बातों को कंट्रोल में करने के लिये ऐसा कदम उठाया जा रहा है। यहां पर यह कहना कि चेयरमैन के ऊपर चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर्ज की नियुक्तियां करना चेयरमैन की बेइज्जती है, गलत बात है। मैं आपके द्वारा सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि हम लोग एम0एल0ए0 चुनकर आये है, चेयरमैन चुनकर नहीं आये है। जो चेयरमैन रहना चाहे, रह सकता है। अगर कोई बेइज्जती फील करता है तो न रहें। इन बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने का समय दिया तथा अपना स्थान लेता हूं।

चौधरी संत कंवर(हसनगढ़): डिप्टी स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का समय दिया। ऐग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड के बारे में जो अमैंडमैंट आयी है, उस पर मैं बोलना चाहता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, मार्किटिंग बोर्ड की स्थापना हमारे स्वर्गीय सर छोटू राम जी ने की थी। उन्होंने सब से पहले पंजाब में मार्किटिंग बोर्ड की स्थापना इसलिये की थी

ताकि जो किसान, अनपढ़ किसान मंडियों में जाते है जिनको किसी किस्म की जानकारी नहीं है, जो तिकड़मबाजी नहीं जानते है, उनको चालाक किस्म के लोगों से बचाया जाए लेकिन बदकिस्मती यह है कि जिस भावना से यह बोर्ड बनाया गया था उस भावना को लेकर इस बोर्ड ने काम नहीं किया और इसकी सारी जिम्मेवारी हरियाणा में आज तक जितनी भ्झी पोजिटीकल पार्टीज सता में आती रहीं है, उन पर पड़ती है। डिप्टी स्पीकर साहब, क्या होता आया है? सरकार अपनी मर्जी से इस बोर्ड के मैम्बर नोमीनेट करती आई है जबकि भावना यह होनी चाहिये कि इसके अन्दर किसानों के नुमाइन्दे, तोलों के नुमाइंदे, आढ़तयों के नुमाइंदे और हरिजनों के नुमाइंदे इस बोर्ड में होने चाहिये। यह सारे प्रदे ा का एक सांझा बोर्ड होना चाहिए ताकि यह बोर्ड अपने हिसाब से किसानों के, तोलों के और आढ़तियों आदि के हितों को देखे और उसी के मुताबिक अपना काम सुचारू रूप से चलाये। तभी इस बोर्ड को बनाने का फायदा हो सकता है वरना इस बोर्ड का कोई फायदा नहीं है। अभी मांगे राम जी ने बोलते हुए कहा कि चौधरी देवी लाल जी की सरकार ने जो तीन परसैंट फीस बढ़ाई थी और लगभग 8 करोड़ रूपया व्यापारियों से इक्ट्ठा किया था, वह उन्हें वापिस किया जाए।

डिप्टी स्पीकर साहब, आज खाद के भाव और बढ़ रहे है, डीजल के भाव बढ़ रहे है और इस तरह से कास्ट आफ प्रोडक ान का अगर हिसाब लगाया जाए तो आप देखेंगे कि

किसान उससे घाटे में रहता है। सरकार को यह चाहिए था कि वह किसानों के हित को ध्यान में रखती लेकिन सरदार तारा सिंह जी और मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल ने इस बोर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। इन्हें चाहिये था कि आज की बढ़ती हुई कीमतों को ध्यान में रखते हुए किसानों को हर प्रकार की सुविधायें दी जाती लेकिन इन्होने ऐसा न करके किसानों में अपनी भाोहरत ही समाप्त कर दी है। अब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग देकर मार्किटिंग फीस को तीन परसैंट से घटाकर फिर दो परसैंट कर दिया है और साि में यह भी हिदायत कर दी है कि रूपया केवल मंडियों की डिवैल्पमैंट के लिये ही खर्च किया जाए। इस बारे में सरकार एक तरमीम कर सकती थी, अमैंडमैंट कर सकती थी और उस फीस को फीस की भाक्ल न देकर टैक्स का नाम दे सकती थी, तब सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन पर लागू न होता। इस तरह करने से एक साल में 27 करोड़ रूपये की बचत होती है। इस 27 करोड़ रूपये में से 20 करोड़ रूपये की रा ाी, आज के खाद के भावों को देखते हुए, डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को नजर में रखते हुए, किसानों की पतली हालत को ध्यान में रखते हुए, उन्हें सबसिडी के रूप में दे देनी चाहिए। अतः सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये ताकि जो इस समय किसान मुसीबत में फंसे हुए है, वह उस मुसीबत से निकल सकें और उन्हें थोड़ी बहुत राहत मिल सके।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। पिछले साल असैम्बली में एक रैजोल्यू ान आया था। जिस आदमी ने ये मार्किटिंग बोर्ड कायम किये थे उसके बारे में एक रैजोल्यू ान आया था कि उनकी सौवीं बरसी 9 जनवरी, 1981 को मनाई जाए। माननीय सर छोटू राम जी उतरी भारत के बहुत बड़े लीडर थे। पिछले साल यह रैजोल्यू ान आया था कि उनकी सौवीं बरसी सरकारी तौर पर सारे प्रदे ा में मनाई जाए और इसके लिये पढ़े–लिखें लोगो की चाहे, वह व्यापारी हो या किसान हो, एक कमेटी बनाई जाए। लेकिन अभी तक सरकार ने कोई कमेटी नहीं बनाई। उस समय भी राठी साहब मिनिस्टर थे। इन्होंने आन दि फलोर आफ दि हाउस यह अ योरैंस दी थी कि कमेटी बनाई जाएगी। (विघ्न) राठी साहब तथा ये लोग सभी मिनिस्ट्रीज में मिनिस्टर रहे है और मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर मुस्लिम लीग की मिनिस्टरी भी आ जाए तो उसमें भी ये मिनिस्टर होंगे। ये इस किस्म के वजीर है। मैं सरकार से दर्खास्त करता हूं कि जो अ योरैंस सरकार ने उस समय दी थी कि सर छोटू राम जी की बरसी तमाम दे ा भर में सरकारी तौर पर मनाई जाएगी और उसके लिये एक कमेटी बनाई जाएगी, उस अ योरैंस पर अमल किया जाए। मुझे उम्मीद है कि चौधरी भजन लाल जी आव यक कार्यवाही करेंगे। इसके साथ साथ मैं एक बात बोडर्ज के एक्ट में सं ाोधन के बारे में कहना चाहता हूं। एक तरफ तो यह सरकार भी और पिछली सरकारें भी चेयरमैन नियुक्त करती रही है और दूसरी तरफ चेयरमैन के अलावा चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर

लगाया जा रहा है। जब चेयरमैन के ऊपर आप दूसरी ताकत बैठाने जा रहे है तो चेयरमैन लगाने का क्या फायदा? मैं तो यह चाहता हूं कि इन तमाम बोर्डों के अन्दर चुनाव के जरिये चेयरमैन लगाये जाने चाहिए और उस चुने हुए चेयरमैन को सब से ज्यादा पावर मिलनी चाहिए। यह जो नोमिने ान चल रहा है। मैं इसका विरोध करता हूं और इसमें जो चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर लगाया जा रहा है इसका भी विरोध करता हूं।

स्वामी आदित्यवे ा(हथीन): उपाध्यक्ष महोदय, जो सं ाोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत हुआ है मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें जो मुख्य प्र ाासक लगाने की बात कही गई है वह इसलिये किया है कि इन बोर्डों का कार्य भार बढ़ गया है। इसलिये मुख्य प्र ाासक को नियुक्त करना न्याय संगत बात है। जहां तक अधिकार देने का संबंध है उसके लिये साफ नियम बने हुए है। सारी भाक्ति बोर्ड के मैम्बरों के पास होती है। बोर्ड के 10–12 मैंम्बर होते है और हर तीन महीने के बाद मीटिंग होती है। उस मीटिंग में सभी से पूछा जाता है कि इस काम के लिये किस को पावर दी जाए। इसलिये किसी एक व्यक्मि में पावर निहित नहीं है बल्कि सारे बोर्ड में है। उसके बाद असली पावर सरकार के पारस है जिसमें लोगों के चुने हुए नुमांयदे है। इसलिये सरकार जहां जरूरत समझती है वहां समय समय पर सं ाोधन कर सकती है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, जिस आदमी ने आज तक किसी की कटी अंगुली पर नमक नहीं छिड़का उसके

बारे में दलाल साहब बार बार ऐसी वैसी बातैं करते रहते है। (ाोर) उपाध्यक्ष महोदय, अगर दलाल साहब मीट खाना बंद कर दें और भाराब पीना छोड़ दें तो ये मेरे से भी ज्यादा तगड़े हो सकते है। डा0 मंगल सैन जी भी बहुत बातें करते है। इनको एक सर्टिफिकेट दे दो। ये राम लीला में नाटक कर सकते है। डा0 मंगल सैन जी के वक्त के कार्य की एक सूचना अभी मुख्य मंत्री जी ने सदन के टेबल पर रखी है। उसमें लिखा है..... (ाोर)

श्री उपाध्यक्षः स्वामी जी उसके लिये आधे घंटे की बहस का समय नि चत है, आप बिल पर ही बोलें।

स्वामी आदित्यवे ाः उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो सं ाोधन विधेयक सदन के सामने रखा गया है वह बिल्कुल न्याय संगत है। जहां तक फीस देने की बात है वह व्यापारी अपनी जेब से नहीं देते इसलिये इस पैसे को वापिस न किया जाए।

श्री मूल चंद मंगला(पलवल)ः उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अमैंडमैंट लाई गई है मैं इसके विरोध में खड़ा हुआ हूं। इसके औब्जैक्टस एंड रीजंज में जो चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर लगाने की बात कहीं गई है, वह न्याय संगत नहीं है। ऐसा करने से हमारी सरकार का खर्चा भी बढ़ेगा और दूसरे चेयरमैन और चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर के बीच झगड़ेबाजी होगी। इसलिये चीफ

ऐडमिनिस्ट्रेटर को लगाना उचित नहीं है। अगर चेयरमैन ठीक काम नहीं करता है तो उनको वार्निंग दी जाए। अगर फिर भी ठीक काम नहीं करता तो उन्हें हटा कर दूसरा लगा लिया जाए। लेकिन चेयरमैन के साथ साथ चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर को लगाना एक नुकसान वाली बात होगी। औब्जैक्टस एंड रीजंज में लिखा है कि मार्किट फीस 2 प्रति ात की बजाय 3 प्रति ात की गई थी अब उसको घटाया जा रहा है। इसमें साफ लिखा है–

"The Supreme Court of India struck down the said enhancement, vide its judgement, dated the May 4] 1979. As a consequence of the said judgement of the Supreme Court, the market fee which roughly amounts to more than Rs. 8 crores, was required to be refunded-"

मैं समझता हूं कि अगर 8 करोड़ रूपए की जगह दो चार हजार रूपए होता तब भी सरकार को वापिस करना था क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि वह जो अन्याय हुआ था, उसको ठीक किया जाए और वह रकम वापिस की जाए। इसलिये सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखते हुए यह पैसा वापिस होना चाहिए। यह पैसा व्यापारियों से, किसानों से या दूसरे भाइयों से लिया गया होगा इसलिये जिन से यह पैसा लिया गया था, उनको वापिस जाना चाहिए। इसी तरह से औब्जैक्टस एंड रिजंज के तीसरे पैराग्राफ में लिखा है–

"There has been found a lacuna in the definition of "Processing." To remove this lacuna, necessary provision has also been made."

यह जो लैकूना ठीक करने जा रहे है इससे हमारी मंडियों का काम दूसरी नजदीक की जैसे दिल्ली की या दूसरी स्टेटस की मंडियां है उनमें चला जाएगा। इसलिये इस अमैंडमैंट से हमारा बहुत नुकसान होगा। इससे सरकार का भी नुकसान होगा, व्यापारियों का भी और स्टेट का भी नुकसान होगा। इसलिये इस अमैंडमैंट को वापिस लेकर सोच कर दोबारा कोई अमैंडमैंट लाई जाए।

श्री गुलजार सिंह(राजौद)(12.00 बजे): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह जो पंजाब ऐग्रीकल्चरल प्रोडयूस मार्किटस (हरियाणा सैकिंड अमैंडमैंट एंड वैलिडे ान) बिल पर चर्चा चल रही है इसी के बारे में मैं भी अपनी दो चार बातें कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, वैसे तो पिछले कई दिनों से देखनें में यह आया है कि सं ाोधन की इतनी भरमार है कि अगर इस सरकार को अमैंडमैंटस सरकार की उपाधि दी जाए तो भी अच्छा ही है। हमार महान नेता स्वर्गीय सर छोटू राम का यह स्वपन था कि देहात में रहने वाले करोड़ों गीब किसान, मजदूर इस मार्किटंग बोर्ड के जरिए ऊपर उठेंगे और फूले फलेंगे क्योंकि किसानों का जो भी अनाज मंडियों में आएगा उस पर जो मार्किट फीस लगेगी और उससे जो धन इक्ट्ठा होगा, उस धन से उन्हीं किसानों के गांवों में नहरों तथा सड़कों पर पुली बनेंगे, लिंक रोड्ज बनेंगे

और उनके लिए पानी का प्रबंध होगा। यह सारा पैसा देहात के कामों पर खर्च किया जाएगा। उस धन के जरिए लोगों में यह प्रचार किया जाएगा कि आप अपना जयादा से ज्यादा अनाज मंडियों में लाएं। ये आपकी अपनी मंडियां है। इन मंडियों की मार्किट फीस से जो धन इकट्ठा होगा वह किसानों के निर्माण कार्यों और खाद वगैरह पर सबसिडी के रूप में खर्च किया जाएगा। इस तरह से एक अच्छा खु ाहाली का और प्रगति का युग आएगा। यह उनका स्वप्न था लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, इसकी बजाय किसानों का बुरी तरह से गला घोंटा जा रहा है क्योंकि जब तक इस मार्किटिग बोर्ड में किसानों के चुने हुए नुमाइंदे नहीं आएंगे और यदि नोमीनेट होंगे तो हम उनसे क्या आ ाा कर सकते है कि वे किसान को कोई भला कर सकेंगे? इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस बोर्ड में किसानों के चुने हुए नुमाइंदे होने चाहिए। अगर सरकार इसमें नोमीने ान करेगी तो उससे किसानों का कोई भला होने वाला नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा के लाखों लोग हमार ऊपर आ ाा लगाए बैठे है कि हम यहां आए ह। और कुछ किसानों की भलाई का काम करेंगे लेकिन देखने में यह आया है कि यहां तो सं ाोधनों के सिवाय दूसरा कोई काम नहीं हो रहा है। डिप्टी स्पीकर साहब, इस संबंध में मुझे राजस्थान की एक मिसाल याद आती है। दो मिनट में वह मिसाल कह कर मैं अपना स्थान लेता हूं। चौधरी भजनलाल जी और इनके सहयोगी ध्यान से सुन लें। डिप्टी स्पीकर साहब, राजस्थान में एक गांव के

अन्दर कहत पड़ गया और उस गांव के तमाम किसान लोग अपने मवे ि ायों को लेकर गांव से बाहर चले गये। उस गांव में चार पंडित रहते थे। अब उन्होंने देखा कि अब गांव में उनका गुजारा नहीं चलेगा क्योंकि पहले तो वे लोगों को बहका सिखा कर अपनी जीविका पूर करते थे। तो उनहोंनं एक स्कीम बनाई। वे चल कर भाहर में राजा के पास पहुंच गए। उनमें से पहले एक पंउित ने राजा के पास पहुंच कर प्रार्थना की कि हे राजन् मैंने ज्योतिशी से पता किया है कि आपके दिन कुछ अच्छे नहीं है और आपके ऊपर साढ़सती का चक्कर है इसलिए यह अच्छा होगा कि आप 51 दिन का भगवान का पाठ कराएं। राजा ने तुरन्त कहा कि पंडित जी इस काम में क्या देरी है आपको जो चाहिए वह लीजिए और पाठ भाुरू कीजिए। पहले पंडित ने पाठ भाुरू किया और यह कहना भाुरू किया कि मैं राजा का, मैं राजा का। अगले दिन दूसरा पंडित दरबार में गया और उसने भी उसी तरह से किया और कहा कि हे राजन् एक पंडित से पाठ कराना उचित नहीं होगा। आप मुझे भी आज्ञा दीजिए। राजा ने तुरन्त कहा कि पंडित जी नेक काम में देरी क्या। आपको भी जो चाहिए, वह लीजिए और अपना पाठ भाुरू कीजिए। दूसरे पंडित ने भी इसी तरह से पाठ भाुरू कर दिया। पहले ने कहा था कि मैं राजा का दूसरे ने कहना भाुरू किया कि जो तू कहे वह मैं कहू। तीसरे दिन तीसरा पंडित दरबार में गया और कहा कि हे राजन् दो पंडित ठीक नहीं रहेंगे आप मुझे भी आज्ञा दीजिए। इसी तरह से उसने भी पाठ करना भाुरू किया। पहले ने कहना भाुरू किया था

कि मैं राजा का, दूसरे ने भ्रुरू किया था कि जो तू कहे वह मैं कहूं और तीसरे ने भ्रुरू किया कि यह कब तक चलेगा, यह कब तक चलेगा। इसी प्रकार से चौथे दिन चौथा पंडित दरबार में गया और उसने राजा से कहा कि हे राजन् तीन पंडितों से पाठ करना अ ुभ होता है इसलिए आप मुझे भी आज्ञा दीजिए ताकि मैं भी पाठ करूं। राजा ने उसको भी तुरन्त सामग्री आदि दे कर पाठ करने को कहा। डिप्टी स्पीकर साहब, इसी तरीके से पहले ने कहा था कि मैं राजा का, मैं राजा का दूसरे ने कहा था कि जो तूं कहे वह मैं कहूं, तीसरे ने कहा था कि यह कब तक चलेगा, यह कब तक चलेगा और चौथे ने कहना भ्रुरू किया कि जब तक चले चलाए जा, जब तक चले चलाए जा। इसीलिए डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे चौधरी भजनलाल जी की सरकार और इनके मंत्री यह मन बनाए बैठे है कि करोड़ों जनता कहीं भी रहे और कहीं भी जाए लेकिन यह सरकार तो जब तक चले चलाए जा पर आधारित है। धन्यवाद।

चौधरी बीरेंद्र सिंह(उचाना कलां): उपाध्यक्ष महोदय, ऐग्रीकल्चर मार्किटिंग ऐक्ट के अन्दर जो तीन किस्म की तरमीम की जा रही है उसमे जो सबसे महत्वपूर्ण तरमीम की जा रही है वह मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की लाईट के अन्दर 8 करोड़ रूपया सरकार ने मार्किटिंग बोर्ड के ट्रेडर्ज को लौटाने के संबंध में जो आर्डिनैंस प्रोमोलुगेट किया था उसको ऐक्ट की भाक्ल देने के लिए है इसके लिए मैं अपने मुख्य मंत्री जी

को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह सही तौर पर किसानों की भलाई के लिए कदम उठाया है। उपाध्यक्ष महोदय, एक दिन मैं इस बारे में मुख्य मंत्री महोदय से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि यह जो आठ करोड़ रूपया बोर्ड के पास इक्ट्ठा है और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक जिसको वापिस देना है, वह दरअसल में उन ट्रेडर्ज ने जो माल आगे बेचा, वहां से भी वसूल कर चुक है। एग्रीकल्चर प्रोडयूस आखिर में कंज्यूमर के पास पहंच जाती है। लाखों मन अनाज जिसकी यह आठ करोड़ रूपये फीस थी वह आज दे ा के त्रिवेंद्रम तक के कंज्यूमर्ज के पास पहुंच गई है। इसलिए यह पैसा लाखो करोड़ों आदमियों को वापिस देना असंभव सी बात थी। सरकार ने यह बड़ा अच्छा फैसला लिया कि इस पैसे को मार्किटिंग बोर्ड अपने खु ाहाली के कामों और प्रगति के कामों पर खर्च करेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी यह बात कही थी और आज भी कहता हूं क्योकि वह बात भी इस ऐक्ट से संबंधित है। कि आज के दिन सबसे जरूरी बात चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर के मुकर्रर करने की नहीं, आज के दिन इस आठ करोड़ रूपए को बोर्ड के पास रखने की नहीं, आज के दिन सबसे जरूरी बात सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है जिसमें यह कहा गया है कि दो से तीन परसैंट मार्किट फीस बोर्ड नहीं बढ़ा सकता और सरकार नहीं बढ़ा सकती। मार्किट फीस जो एक फीस की भाक्ल में ली जाती है, वह पैसा सिर्फ मंडियों की जुरिसडिक ान के अन्दर खर्च हो सकता है। यह एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसमें करोड़ों रूपए का मामला निहित है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सरकार से यह बात भी कहना चाहता हूं कि अगर सरकार के पास कोई सबसे बड़े कंसर्न की बात है वह यह है कि उसको चाहिए कि आज अपने लीगल ऐक्सपर्टस को और अपने अफसरान को यह हिदायतें जारी करे कि वे एक महीनें के अन्दर–अन्दर इस ऐक्ट के अन्दर एक ऐसी तरमीम करने की प्रपोजल सरकार के सामने रखें जिससे कि सरकार उस मार्किट फीस को टैक्स की भाक्ल में बदल सके और उसको दो से तीन परसैंट बढ़ा सके। उपाध्यक्ष महोदय, जिछले आठ दस सालों में जब चौधरी बंसी लाल जी ने इस प्रदे ा के मुख्य मंत्री होत थे, उस समय यह पैसा पी0डब्ल्यू0डी0 के हैड के अन्दर ट्रांसफर होता था। उस पैसे से हरियाणा के अन्दर सड़कों का जाल बिछ गया। उपाध्यक्ष महोदय, जो हरियाणा के अन्दर सड़कों का जाल बिछाने का कै ा प्रोग्राम चला वह सारा पैसा मार्किट बोर्ड की देन है। उपाध्यक्ष महोदय, आज वे सारे काम ठप्प पड़े है। इसी वजह से ठप्प पड़े है क्योंकि हम वह पैसा आज मंडियों की जुरिसडिक ान के बाहर नहीं खर्च कर सकते है। इसलिए मैं अपने मुख्य मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस मामले को वार फुटिंग पर लें और अर्जेंट मैटर समझ कर इस मामले को उठाएं ताकि जो हमने दो से तीन परसैंट मार्किट फीस की थी उसको हम बहाल रख सकें और उससे अन्दाजन जो 27–28 करोड़ रूपए की सालाना की आमदनी है, उसको हम गरीब किसानों की, गरीब मजदूरों की भलाई के लिए खर्च कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, जो भी मार्किट की आमदनी है उसमें सबसे बड़ा भागीदार या तो गरीब

किसान है जिसने अपना अनाज पैदा करके मंडी तक भेजा है या फिर उसका सबसे बड़ा भागीदार वह गरीब हरिजन है जो कंधे से कंधा मिला कर किसानों के साथ खेतों मैं काम करता है। इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो पहले पी0डब्ल्यू0डी हैड के अन्दर 65 परसैंट पैसा ट्रांसफर होता था उसी तरह से आज भी 65 प्रति ात पैसा पी0डब्ल्यू0डी0 हैड के अन्दर ट्रांसफर होना चाहिए। अभी–अभी डीजल और फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ी है। फर्टिलाइजर पर तीस परसैंट कीमत बढ़ी है, इसको किसान सहन नहीं कर सकता। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि किसान की खु ाहाली को बरकरार रखने के लिए खाद और डीजल सस्ते दामो ंपर मिलना चाहिए। हरियाणा कृशि प्रधान दे ा है, सारे दे ा को अनाज मुहैया करता है, इसकी भलाई के लिए हरियाणा सरकार बड़े पैमाने पर सैंटर से लड़ाई लड़े कि किसान की प्रोडयूस की उसको पूरी कीमत मिले, चाहे गन्ना है, चाहे गेहूं है, चाहे पैडी है, बढ़ी हुई कीमतों की लाईट में किसान को उसकी प्रोडयूस की पूरी कीमत मिलनी चाहिए और एक ऐसा फंड क्रिएट करें जिससे किसान को फयूचर में डीजल और फर्टिलाइजर के लिए सबसिडी मिलती रहे। ऐसा फंड जहां तक मैं समझता हूं मार्किटिंग बोर्ड में कायम किया जा सकता है। अगर मार्किटिंग बोर्ड के ला आफिसर साहिबान या वे वकील जो इन्होंने केस लड़ने के लिए मुकर्रर कर रखे है, मार्किटिंग फीस के केस को ठीक तरह से डील करते तो सुप्रीम कोर्ट न हारते। उपाध्यक्ष महोदय, आज न्याय का जो कंसैप्ट है वह सामाजिक न्याय का हैं।

सामाजिक न्याय में यह बात निहित है कि मार्किटिंग बोर्ड का पैसा गरीब किसान, गरीब हरिजन पर खर्च होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का खद ाा है कि इस केस की ठीक तरह से प्रोसैसिंग न होने की वजह से ही यह केस हमने लूज किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात चीफ ऐउमिनिस्ट्रेटर के बारे में कहना चाहूंगा। मेरे विपक्ष के साथियों ने खास तौर पर डा0 मंगल सैन जी नह इस बात का विरोध किया और कहा कि चेयरमैन क्यों थोपे जा रहे है। उपाध्यक्ष महोदय, अब ये बैंचिज खाली पड़े हुए है, उन सबके चेहरे और नाम मुझे याद है जो किसी न किसी कारपोरे ान के चेयरमैन रह चुके है। अगर विजिटर गैलरी के किसी एक साथी के चेहरे पर पट्टी बांध दी जाये और कहा जाये कि किसी चेयरमैन के हाथ लगा दो तो उसका हाथ किसी चेयरमैन पर ही टिकेगा। चौधरी गंगा राम और चौधरी भले राम जी बैठे है, ये भी चेयरमैन रह चुके है।

चौधरी राम लाल वधवाः डिप्टी स्पीकर साहब, यह चेयर पर रिफलैक ान है, इसको ऐक्सपंज करवा दीजिए।

श्री उपाध्यक्षः ये लफ्ज ऐक्सपंज कर दिये जाएं। आप जल्दी खत्म करें।

चौधरी बीरेंद्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, यह बात तो मैंने आपके लिए बड़े प्यार से कही थी। (व्यवधान) डिप्टी स्पीकर

साहब, सरकार यह समझती है कि बोर्ड में चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर लगाना जरूरी है। इसकी दो वजूहात मैं समझता हूं। मुझे इस बात का पता है कि हरियाणा में आई0ए0एस0 की 150 पोस्टें है। 90 पोस्टें कैडर की है और 60 ऐक्सकैडर की है। यह जो 60 पोस्टें ऐक्स–कैडर की है इन पर केवल आई0ए0एस0 के आफिसर को ही ऐडजस्ट किया जाता है और इसीलिए इनको ऐक्स–कैडर रखा गया है। जो नये आफिसर आते है उनको इन पोस्टस के अगेन्स्ट ऐडजस्ट किया जाता है। यही कारण है कि एच0सी0एस0 आफिसर्ज को डयू प्रमो ान नहीं मिलती। जो नब्बे परसैंट आई0ए0एस0 की है उन में एच0सी0एस0 के लिए तीस परसैंट का कोटा है और बाकी की जो ऐक्स–कैडर की साठ पोस्टें है उन पर नये आदमियों को ही ऐडजस्ट किया जाता है। मेरी आपसे यही रिक्वैस्ट है कि जो साठ पोस्टें ऐक्स कैडर की है, इनको कैडर पोस्ट्स बना दिया जाए ताकि एच0सी0एस0 वालों को भी चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम करने का मौका मिले।

डिप्टी स्पीकर साहब, इनके अलावा दूसरी बात बिल में यह कही गई है–

"(a) In sub-section (1), after the word "Chairman" the words "and a Chief Administrator, who shall be an officer of the rank of the Head of the Department," shall be inserted."

हैड आफ दी डिपार्टमैंट पी0डब्ल्यू0डी0 तथा इरीगे ान डिपार्टमैंट को छोड़कर मोस्टली आई0ए0एस0 आफिसर होते है।

अगार ऐग्रो–इंडस्ट्रीज कारपोरे ान का कोई चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए तो वह एग्रीकल्चर ऐक्सपर्ट होना चाहिए और अगर हाउसिंग बोर्ड का चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर लगाना हो तो वह पी0डब्ल्यू0डी0 डिपार्टमैंट का कोई इंजीनियर होना चाहिए। अगर इस सैंस में स्ट्रिक्टली डील किया जाए तो चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर ज्यादा लाभदायक साबित हो सकता है। सिम्पल आई0ए0एस0 आफिसर जो टैक्नीकल हैड न हो, कामयाब साबित नहीं हो सकता। अन्त में मैं यही कहूंगा कि ऐक्स–कैडर पोस्ट्स की बजाये कैडर पोस्टस बढ़ाई जाएं और उन पर एच0सी0एस0 आफिसर अप्वायंट किए जाए।

कृशि मंत्री(सरदार तारा सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, जो नये प्वायंटस इस एक्ट में इंट्रोड्यूस किये है, उसके ऊपर आनरेबल मैम्बर्ज ने काफी बातें कही है। इसमें तीन मोटी बातें हैं (1) चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर की अप्वायंटमैंट करना, (2) डैफिनि ान आफ प्रोसैसिंग और (3) फी का बर्डन पास आन करना। चौथी बात यह भी है कि जो मार्किट फीस मंडियों से कुलैक्ट की जाती है उनको किस तरह से खर्च किया जाए। जहां तक चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर अप्वायंट करने की बात है, इस पर बहुत सी बातें बढ़ा–चढ़ा कर कही गई है। यह ठीक है कि इस वक्त कार्पोरे ान्ज में जो चेयरमैन है, वे ट्रेजरी बैंचिज में से है। इनको उकसाया गया है कि ऐडमिनिस्ट्रेटर अप्वायंट होने से उनकी भाान नहीं रहेगी क्योंकि उनको पूरे अख्तियारात नहीं रहेंगे। यह

बात सरासर गलत है। (व्यवधान) मैं सदन को यकीन दिलाना चाहता हूं कि चेयरमैन के अख्तियारात में कोई कमी नहीं आयेगी। चेयरमैन को ऐडमिनिस्ट्रेटर के मातहत नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि चेयरमैन के जो अख्तियारात है वे चेयरमैन के पास है। चेयरमैन के मातहत चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर होगा। चेयरमैन की ऐप्रूवल के बिना कोई बात बोर्ड में नही हो सकेगी।

दूसरी बात मेरे फाजिल दोस्त श्री वधवा साहब ने कही। इन्होंने टौंटिंग–वे में कहा कि मैं वकील हूं, मुझे एक्ट बनाने की अकल नहीं है। (व्यवधान) वधवा साहब जब तक एक ट्रांसपोर्ट सोसायटी के मुलाजिम होते थे तो उन्होंने ला की कुद किताबें रखी हुई थी।

चौधरी राम लाल वधवाः मैने ऐसा नहीं कहा। (व्यवधान)

सरदार तारा सिंहः आपने कहा कि ला पास करने से ही ला समझ नहीं आ जाता। (व्यवधान) डा0 साहब, सुन लीजिए, वकील का बाप बनने से अकल नहीं आ जाती। (व्यवधान) इन्होंने बार बार कहा कि ओल्ड ऐक्ट में प्रौसैसिंग की डैफिनि ान नहीं दी है। इन्होंने बार बार कहा कि यह एक लकूना है तथा और भी कई बिल में इररैगुलैरिटीज है। मैं आपकी मारफत इन्हें बताना चाहता हूं कि ओल्ड बिल में प्रौसैसिंग की डैफिनी ान नहीं थी जिसकी वजह से जब कभी हाई कोर्ट में केस जाता था तो

डिफरैंस क्रिएट हो जाता था। इसलिए इस अमैंडमैंट में प्रौसैसिंग की डैफिनि ान बतानी पड़ी।

चौधरी राम लाल वधवाः प्वायंट आफ आर्डर सर। अगर यह डैफिनि ान नहीं थी तो भाब्द लकूना क्यों ऐड किया गया?

सरदार तारा सिंहः लकूना ला में था, डैफिनि ान में नहीं था। ला की समझ ऐसे नहीं आ जाती। ला में लकूना था। उसको रिमूव करने के लिए प्रौसैसिंग की डैफिनि ान बनानी पड़ी। डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होंने यह तो कहा कि तीन–चार और इररैगुलैरिटीज है लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि यदि कोई इररैगुलैरिटीज या गलती नहीं है। बिल बिल्कुल मुक्कमल है। मैं वधवा साहब से अर्ज करूंगा कि जो समय यह गालिब के भोर पढ़ने में लगाते है उसे ये होम वर्क करने में लगा लिया करें ताकि इनको इस तरह की गलत बात यहां न कहनी पड़े। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, डा0 मंगल सैन जी ने हरी राम जी की बात यहां कही लेकिन यहां तो ये उनकी बात करते है परन्तु करनाल में उनके दरवाजे के आगे हमे ाा खड़े रहते है और कहते है कि चंदा दे दो। (विघ्न)

डा0 मंगल सैनः मैंने किसी से चंदा नहीं मांगा। यह गलत बात है। चंदा तो सरदार तारा सिंह जी मांगते होंगे, मैं नहीं मांगता। (ाोर)

श्री उपाध्यक्षः आर्डर प्लीज।

डा0 मंगल सैनः मुझे तो वे जेल में मिले थे, उसके बाद कहीं नहीं मिले। (विघ्न)

सरदार तारा सिंहः फिर डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी राम लाल वधवा कहते है कि इस बिल को लाकर हमने उन्हें मजलूम बना दिया है। मुझे समझ नहीं आता कि ये कैसे मजलूम बन गए। यह तो मैं मान सकता हूं कि किसी के साथ पैसा वसूल करने में यदि इन्होंने हिस्सा पती डाली हुई होगी तो वह रूक जाएगी वरना इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। (विघ्न) एक बात इन्होंने यह भी कही कि रात को स्वप्न आया और यह बिल ले आए। यह बात भी ठीक नहीं है। यह तो आठ महीनें से बात चली आ रही थी। आठ करोड़ रूपया मार्किटिंग बोर्ड वसूल कर चुका है और वह खर्च भी हो चुका है। बड़ी परे ाानी थी इस बात की कि यह पैसा इक्ट्ठा करके कैसे दिया जाएगा। इसके मुतालिक बार–बार यही मैम्बर्ज कहते रहे कि पैसा क्यों दे रहे हो? मैं उन मैम्बर्ज के नाम गिना सकता हूं जिन्होंने यह कहा लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तो इन मैम्बरान की राय के अनुसार ही यह बिल हमने पे ा किया है। एक बात इन्होंने कही कि चुने हुए नुमांयदों को कमजोर किया जा रहा है और अफसर ााही मुकर्रर की जा रही है। यह बात भी सही नहीं है। हमारी ईमानदारी से यह नीयत है कि ऐसा न किया जाए। (विघ्न) तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारी ईमानदारी से नीयत है कि मार्किटिंग कमेटीज का

काम अच्छे ढ़ंग से चले, किसान का भला हो, मंडी में अच्छी सुविधाएं उनको मिले और जो माल लेते है उनका भी भला हो। इसलिए हम चाहते है कि चेयरमैन जो ओवर–बिजी है, सैक्रेटरी मार्किटिंग कमेटी जो ओवर–बिजी है उनके काम में मदद करने के लिए और वर्ल्ड बैंक स्कीम के लिए जो पैसा आता है उसको समय से खर्च किया जा सके और स्कीम पूरी हो सके, चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जाए। (विघ्न) डिप्टी स्पकीर साहब, इलैक ान के मुताल्लिक भी कुद बातें यहां कही गई हालांकि नौमिने ान आदि का सवाल बिल में नहीं है लेकिन चूंकि यह बात कही गई है इसलिए मुझे इसका जवाब देना चाहिए। जो असल में जिमींदारों के साथ प्यार रखते है, किसान के साथ प्यार रखते है उनको पता होगा कि छोटे से दफ्तर के चुनाव के लिए भी जब किसान खड़ा हो जाता है तो वह 20, 30 और 40 हजार तक रूपया खर्च कर देता है। इसलिए मार्किटिंग कमेटी के इलैक ान से किसान का भला नहीं होता। कुछ स्पीकर्ज साहेबान ने कहा कि हम डिक्टेटरि ाप लाना चाहते है। यह बात भी गलत है। दलाल साहब ने कहा कि चेयरमैन जो मार्किटिंग बोर्ड का हो वह किसान होना चाहिए। हमारी हमे ाा ही यह ख्वाहि ा होती है कि वह किसान हो। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, इनको पता होना चाहिए कि गया लाल जी के पास भी जमीन है और वे एक किसान है। पता नहीं इनको कैसे भाक हो गया कि वे किसान नहीं है। (विघ्न) फिर कहा गया कि रैस्ट हाउसिज में अफसरान डेरे लगाए होते है लेकिन मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि

आज तक मुझे किसी ने ि ाकायत नहीं की कि कोई किसान किसी रैस्ट हाउस में गया हो और उसे जगह न मिली हो। (विघ्न) मुझे वे चिट्ठी भेज सकते थे। आप, जो उनके वोट लेकर यहां आए है, मुझे कह सकते थे लेकिन ऐसा लगता है कि आप किसान का भला नहीं चाहते। एक बात मेरे बड़े बुजुर्ग भाई चौधरी रिजक राम जी ने कही। मैं उनसे एक बात मोतबाना कहूंगा कि यह बिल एजेंडे पर आने के बाद दो पार्टी मीटिंग्ज हुई है। अगर उनके मन में कोई बात थी, वह मुझे गाईड करते और मैं जरूर उनकी नसीहत के ऊपर अमल करता। डिप्टी स्पीकर साहब, एक बात यह कही गई कि यह बिल लाकर सरकार ने एक तो एम0एल0एज0 की चेयरमैन की इंसल्ट की है और दूसरे सुप्रीम कोर्ट की कंटैम्पट की है लेकिन मेरी अर्ज यह है कि न तो इससे एम0एल0एज0 की इंसल्ट होती है और न ही सुप्रीम कोर्ट की कंटैम्पट बनती होती तो आज तक कोई सरकार बची न होती और सबके खिलाफ कंटैम्पट करेन के कारण ऐक ान हो गया होता। मैं वसूख के साथ कह सकता हूं कि चार बातों में से किसी में भी सुप्रीम कोर्ट की कंटैम्पट वाली बात नहीं है। एक बात डा0 साहब ने बड़े काम की कही। पता नहीं इनके मन में सच्चा प्यार था या कोई और बात थी। इन्होंने सर छोटू राम जी की बात यहां कही। (विघ्न) मुझे याद है कि मैं आठ साल का था और रात के समय कहीं अपने वालिद के साथा जा रहा था। चारों ओर अंधेरा थ लेकिन अपने घर से एक फर्लांग के फासले पर जब हम गए तो मैंने देखा कि खूब दिए जल रहे है। मैंने अपने वालिद से पूछा

कि क्या आज दिवाली है? मेरे प्र न के उत्तर में जो बात उन्होंने मुझे कही वह आज मेरे कानों में गूंजती है। उन्होंने कहा कि बेटा चूंकि किसानों का रहबर स्वर्गवास हो गया है इसलिए दुकानदारी पे ाा लोगों ने हमें दु:खी करने के लिए दिए जलाए है। (ाोर) जब यह बात मुझें याद आती है तो आज भी मेरी टांगे कांपने लग जाती है। (विघ्न)

श्री मूल चंद मंगला: डिप्टी स्पकीर साहब, यह बिल्कुल गलत बात है। किसी दुकानदार ने दिए नहीं जलाए थे। (ाोर)

डा0 मंगल सैन: डिप्टी स्पीकर साहब, अगर मैंने सर छोटू राम जी को श्रद्धांजलि दी तो सरदार तारा सिंह जी को, यदि उनसे कुद हमदर्दी थी, इस बात की खु ाी माननी चाहिए थी लेकिन इन्होंने ये भाब्द कह कर उस महान आत्मा का अपमान किया है। (ाोर) उनके कामों के लिए तो हमारा सर मान से झुकता है। उनके प्रति बेईमानी अगर कहीं होगी तो इनके मन में होगी और अगर कहीं दिए जलते होंगे तो इनके घर में जलते होंगे किसी और के नहीं। (ाोर)

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

सरदार तारा सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि वह बात आज भी जब मेरे दिमाग में आती है तो मेरा जिस्म कांपने लग जाता है। मेरी इस बात पर डा0 साहब और

इनके आर0उस0उस0 के साथी पता नहीं क्यो उछल रहे है। (ाोर)

Mr. Deputy Speaker: Order please. Now I will put the motion to the vote of the House.

Question is-

That this House disapproves the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Second Amendment and Validation) Ordinance, 1980 (Haryana Ordinance No. 2 of 1980).

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker: Question if-

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Second Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

श्री उपाध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाजिज 3 से 7

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाजिज 3 से 7 तक बिल का पार्ट बनें

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कृशि मंत्रीः(सरदार तारा सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता है–

कि बिल पास किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि बिल पास किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दि हरियाणा हाउसिंग बोर्ड (अमैंडमैंट) बिल, 1980

विकास मंत्री(राव रामनारायण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा हाउसिंग बोर्ड (अमैंडमैंट) बिल पे ा करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि–

दि हरियाणा हाउसिंग बोर्ड (अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाये।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि हरियाणा हाउसिंग बोर्ड (अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाये।

श्रीमती सुशमा स्वराज(अम्बाला छावनी): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो हरियाणा हाउसिंग बोर्ड अमैंडमैंट बिल 1980 इस सदन के सामने अभी–अभी डिवैल्पमैंट मिनिस्टर ने पे ा किया है इस पर मैं कुछ अपने विचार रखने के लिए खड़ी हुई हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल सरकार सदन में इसलिये लाई और लाते ही यह अप्रत्यक्ष रूप में कबूल भी कर लिया कि इन बोर्डों में जो चेयरमैन लगे हुए है, वे इन बोर्डों की फंक ानिंग को चलाने के लिये बिल्कुल नाकामयाब सिद्ध हुए है और केवल मात्र सरकारी पक्ष में बनाये रखने के लिये इस तरह के पद इन चेयरमैनों को दिए हुए है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस सच्चाई को सरकारी पक्ष के लोग कबूल करते है, सरेआम सदन के सामने इस दिक्कत को पे ा करते है तो यकीन मानिये कि मैं एक क्षण भी इस बिल का समर्थन करने में नहीं लगाउंगी। आज तो हम लोगों के दिमाग में केवल मात्र एक ही उद्दे य रह गया है कि किसी ने किसी तरह से प्र ाासन चलना चाहिए। किसी न किसी तरह से प्रगति के काम चलने चाहिएं। अगर उनके लिये एक प्र ाासक का बोझ बोर्ड को वहन करना पड़े तो मेरी समझ में इस बोझ की कोई ज्यादा कीमत नहीं है अपेक्षाकृत उनकी तुलना में इस का काम कितना ज्यादा होता है, कितना ज्यादा काम हाउसिंग बोर्ड कर सकता है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख इस बात का है कि इस सच्चाई को कबूल करने के बजाये इस बिल को सीधे सादे अन्दाज में सदन के सामने रखने के लिए सरकार ने बड़ी चतुराई से काम लिया है। इस के बारे में जो उद्दे य और कारण

इसके विवरण में बताये गए है, वह बड़ी गलत ब्यानी की गई है। जब मैं इस बिल के ऐम्ज पढ़ रही थी कि आया यह बिल लाया क्यों गया है तो पहली ही लाईन में, पहली ही पंक्ति में मुझे देखने को मिला कि आवास बोर्ड हरियाणा का काम गत वर्शों के दौरान काफी बढ़ गया है और आगामी वर्शों में इसके और कई गुणा बढ़ जाने की आ ाा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं हाउसिंग मिनिस्टर से यह पूछना चाहूंगी कि क्या वे सदन में ये आंकड़ें रखेंगे कि पुराने दो वर्शों में हाउसिंग बोर्ड ने कितनी नई कालोनियां बनाई? हाउसिंग बोर्ड पिछले दो वर्शों में कितने नए मकान बनाने की दात अपने हाथ में ले रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी पूछना चाहूंगी कि जब से हाउसिंग बोर्ड बना है तब से प्रति वर्श बनाये जाने वाले मकानों की संख्या से यह संख्या कितनी फीसदी अधिक है ताकि सदन को यह पता चल सके कि कितना काम हाउसिंग बोर्ड का बढ़ गया है। उपाध्यक्ष महोदय हालत तो यह हे कि पुरान 6–6, 7–7 वर्शों से कालोनियां अनाउंस की जा चुकी है लोगों, के पैसे जमा किए जा चुके है, ऐप्लीके ान इन्वाईट की हुई है लेकिन हाउसिंग बोर्ड उन ऐप्लीके ान्ज को दबा करके बैठा हुआ है। लोगों के उन पैसों के ऊपर हाउसिंग बोर्ड ब्याज खा रहा है, ब्याज वसूल किया जा रहा है लेकिन आज तक उन कालोनियों को बनाने की बात तो दूर, आज तक उन की जमीन भी नहीं ली गई। उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम ऐसी तीन कालोनियों की बाबत मैं स्वयं सदन के सामने जिम्मेदारी के साथ कह सकती हूं। नारनौल की हाउसिंग

कालोनी, पानीपत की हाउसिंग कालोनी और अम्बाला कैंट की हाउसिंग कालोनी। नारनौल की हाउसिंग कालोनी (ाोर) मेरी बहन डा. कमला वर्मा भी बता रही है कि यमुनानगर की भी हाउसिंग कालोनी है। लेकिन मैं स्वयं तीन कालोनियों के बारे में जिम्मेदारी के साथ सदन में जानकारी रखती हूं। आज से करीब 6–7 साल पहले नारनौल की हाउसिंग कालोनी अनाउंस हुई लेकिन महज यह कह करके कि वहां पर पानी की किल्लत है। (ाोर)

श्री ई वर सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय सुशमा जी खुद मिनिस्टर थी इनके पास हाउसिंग बोर्ड था तो इन्होंने जमीन ली थी और वह जमीन बहुत सस्तें दामों के ऊपर ली गई परन्तु उस समय उस फाईल को कवर नहीं किया गया। बोर्ड तो कलोनियां जब बनायेगा जब उसको जमीन डिवैल्प करके दे दी जायेगी। इन्होंने डिवैल्प करके जमीन दी नहीं, हवा में तो कालोनी बन नहीं सकती। (ाोर)

श्री उपाध्यक्षः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है? कृपया बैठ जायें।

श्रीमती सुशमा स्वराजः उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई प्वायंट आफ आर्डर पर नहीं बोल रहे थे ये तो डिबेट का उत्तर है जोकि मिनिस्टर साहब दे सकते है। (ाोर) आप मुझे कहने तो दें उसके बाद जो इन्होंने कहना है वह हाउसिंग मिनिस्टर को बता

दें और हाउसिंग मिनिस्टर अपनी डिबेट का उत्तर सारी बातों के साथ सदन के सामने रखें। इस में तो कोई प्वायंट आफ आर्डर वाली बात है ही नहीं। (ाोर)

उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं आपसे कह रही थी कि नारनौल की जो हाउसिंग कालोनी है वह छः साल पहले अनाउंस हुई है और महज यह कह करके कि वहां पर पानी की किल्लत है पानी नहीं मिलता वह कालोनी आज तक नहीं बनाई जा रही है। जहां तक पानी पानीपत की हाउसिंग कालोनी का सवाल है हर महीने एक पत्र वहां से आ जाता है कि 31 लाख रूपये लोगों के जमा है। आज तक जमीन का कोई फैसला नहीं हो सका। अम्बाला कैंट की हाउसिंग कालोनी का मैंने जिक्र किया। आज ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, जब भी विधान सभा का बजट अधिवे ान भाुरू होता है तो मैं इस जिक्र करती हूं, क्योंकि मेरे अपने हल्के का सवाल है। मेरे हल्के मे इस बारे में इतनी ज्यादा पब्लिक एजिटेडिड है कि आप अम्बाला के एक एक घर के अन्दर से या एक एक गली के अन्दर से गुजर जायें तो आपकों मालूम होगा कि वहां पर लोग कितने दुःखी है। अम्बाला कैंट के लोगों की 1300 ऐप्लीके ान आई हुई है और उनका 16 लाख रूपया जमा हैै। वहां पर पहुंचते ही सबसे पहले यह सवाल पैदा होता है कि अम्बाला कैंट की हाउसिंग कालोनी का क्या हुआ? (ाोर) उपाध्यक्ष महोदय, अभी चेयरमैन साहब कह रहे थे कि मेरे समय में वह कालोनी अनाउंस हुई और सस्ते दामों पर मैंने जमीन ले

करके दी। उपाध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा गलत ब्यानी और कोई नहीं हो सकती। मेरे समय में तो जमीन का फैसला हुआ ही नहीं था। जितने समय तक मैं मिनिस्टर रही उस समय तक तो केवल इतना फैसला ही हुआ था कि हाउसिंग बोर्ड ने लोगों से ऐप्लीके ान्ज इन्वाईट की है। अम्बाला कैंट के लोगों ने अपनी अपनी ऐप्लीके ान्ज जमा करवा दी और उसके बाद उपाध्यक्ष महोदय मैंने मंत्रीमंडल से त्याग पत्र दे दिया था और मैं मंत्रिमंडल से बाहर आ गई थी। (ाोर)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सामने तो जमीन का प्र न आया ही नहीं और दूसरी बात जमीन तो मैं देने वाली भी नहीं थी क्योंकि जमीन तो लोकल सैल्फ गवर्नमैंट ने वह जमीन लेनी है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी जिक किया था, आज तीन साल हो गये अभी तक उस कालोनी का कुछ नहीं हुआ। अब मैं दुबारा याद करवा रही हूं। खुद मुख्य मंत्री महोदय भी सदन में बैठे है। इन्होंने अम्बाला कैंट में अनाउंस किया था कि एक मार्च से पहले–पहले उस को भाुरू करवा देंगे। 29 दिन का समय इन्होंने लिया था। उस समय तरह–तरह के वीकर सैक ान (कमजोर वर्ग) ने मुख्य मंत्री महोदय का स्वागत किया था। रैस्ट हाउस में जब ये पहुंचे थे तो वहां पर इनको एक डेलीगे ान भी मिला था और उस समय इन्होंने बाकायदा यह आ वासन दिया था कि 29 दिन के अन्दर अन्दर तुम्हारी कालोनी भाुरू करवा दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद जब बजट

अधिवे ान आया, तो बजट अधिवे ान के दौरान मैंने वह बात यहां पर रखी और मुख्य मंत्री महोदस से अपील की कि आपने जो बात कही थी उस बात में अब केवल चार दिन बकाया रह गये है। तो इन्होंने फिर कहा वायदा पूरा किया जाएगा। (ाोर) आप बे ाक हाउस की प्रोसीडिंग निकलवा कर देख लीजिए। इन्होंने खड़े होकर कहा कि मुझे अपने वायदे पूरे करने आते हैं मैं वायदा पूरा करूंगा और मुझे अब समझ में नहीं आता कि अब छः महीने के बाद भी उस पर पत्थर लगाने की बात तो बहुत दूर लेकिन जो जमीन का फैसला फाइनेंस डिपार्टमैंट से हो चुका था वह भी अब पता चला है रद्द कर दिया गया है और इस तरह से अभी तक फाईनल फैसला उस जमीन का नहीं हुआ है। मुझे समझ नहीं आता उपाध्यक्ष महोदय कि हाउसिंग बोर्ड का किस तरह से ज्यादा काम हो गया? इतनी बड़ी किल्लत है रोटी कपड़े और मकान की। ये तीनों बड़ी बुनियादी जरूरतें है। मैं तो यह कहती हूं कि सरकार और प्रगति के कामों की तरफ ध्यान दें लेकिन रोटी कपड़ा और मकान की तीनो बुनियादों जरूरतें यदि अपने प्रदे ा में यह लोगों की पहले पूरी करवा दें तो यह बहुत बड़ा काम सरकार का होगा। इतने बड़े काम को इस तरह से गधीगेड़ में डालना ठीक नहीं है। (ाोर) कोई काम इस महकमें में नहीं हो रहा है। लोग आते है और दफ्तरों से चले जाते है। चेयरमैन तनख्वाह ले रहे है। बोर्ड के कर्मचारी बराबर तनख्वाह ले रहे है। कभी वर्श भर में एक आध मीटिंग हो जाती है लेकिन कोई काम

इस में भारू नहीं हो पा रहा है। जबकि इसमें कोई पैसा सरकार को नहीं देना पड़ रहा है। (ाोर)

उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं आपसे कह रही थी कि यह बहुत बड़ा और जरूरी महकमा है। चेयरमैन तनख्वाह ले रहे है। कभी–कभी बोर्ड की मीटिंग हो जाती है लेकिन किसी को भी यह ध्यान नहीं आता कि इतने सारे लोगों के पैसे जमा है, लोगों को बड़ी दिक्कत है, आया इस पर कुछ काम किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। मैं आपसे यह भी कहती हूं कि इस में बहुत ज्यादा पैसा सरकार को नहीं देना पड़ता। पैसा खुद लोग देते है, एल0आई0सी0 देती है और कई अन्य जगहों से पैसा मिल रहा है। (विघ्न) लोगो की दिक्कतें दूर हो सकती है। एक बोर्ड यहां पर बना हुआ है। यह बोर्ड इसीलिये बनाया गया था कि यह बोर्ड एक स्वायत ाासी बोर्ड होगा और जल्दी से हम हरियाणा के लोगो की हाउसिंग की समस्या को हल कर सकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहती हूं क्योंकि यह सारी फंक ानिंग पुराने दो वर्शों में मैंने देखी है और जाति तौर पर मैं यह महसूस करती हूं कि यहां पर एक चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर अव य लगना चाहिए। यह बहुत अच्छी बात है। मैं तो यह भी कहती हूं कि यहां से चेयरमैन का पद बिल्कुल हटा देना चाहिए और केवल मुख्य प्र ाासक का पद यहां पर रखना चाहिए। यदि हम वाकई में ही चाहते है कि हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से इस प्रदे ा में हाउसिंग कालोनियां बने तो मैं इस बिल का पुर जोर

समर्थन करूंगी और कहूंगी कि यहां पर चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर जरूर लगना चाहिए। जब तक मुख्य प्र ाासक का पद इस बोर्ड में नहीं होगा तब तक हाउसिंग बोर्ड की फंक ानिंग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगी। मैं यह भी पुरजोर कहूंगी कि इस खर्चे को सबस्टिच्यूट करने के लिए चेयरमैन का पद यहां से खत्म कर देना चाहिए। केवल मात्र मुख्य प्र ाासक का पद इस में रहना चाहिए ताकि वह काम कर सके और बकायदा बोर्ड की मीटिंग समय से कर सके। (ाोर) उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी महत्वपूर्ण फंक ानिंग है। कहीं से ईंट मंगवानी है, कहीं से सीमेंट मंगवानी है, कहीं से लोहा मंगवाना है और फिर उन सारी चीजों के लिए एक विंग बनाकर यह सारे काम भाुरू करवाने है। यह काम मुख्य प्र ाासक के बिना नहीं हो सकता। जिस प्रकार के कैलिबर के चेयरमैन आज इस बोर्ड में लगे हुए है, वह चेयरमैन इन कामों को बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिये मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करके कहती हूं कि यहां पर मुख्य प्र ाासक का पद अव य होना चाहिए। इतना कहते हुए मैं अपना स्थान लेती हूं और आप का धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

चौधरी राम लाल वधवा(करनाल): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना है। बहुत सारी बातें तो वही है जो मैं पहले बिल में कह चुका हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का बड़ा दु:ख होता है कि पिछले पांच सालों में जब मैं 1972

से 1977 तक इस सदन में रहा तो मुझे बार–बार इस सदन में खड़े हो कर यह कहना पड़ता था कि यह कांग्रेस का राज जब–जब भी आता है तो अपने साथ–साथ यह डैमोक्रेसी को खत्म करके ताना ाही को बढ़ावा ले करके आता है। लेकिन मुझे एक बात देख कर बड़ी हैरानी हुई। वह राज जब खत्म हुआ तो भाायद आज के मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल ने यह सोचा कि मैं चौधरी बंसी लाल से पीछे क्यों रहूं उन्होंने तो सिर्फ जो कमेटियां थी उनके ही ऐडमिनिस्ट्रेटर लगाये थे, मैं बोर्डों और कार्पोरे ान में भी लगा दूं। मामला सारा एक हाथ में होना चाहिए। पूरी डिक्टेटरि ाप होनी चाहिए। पावर ऐग्जैक्टिव के हाथ में नहीं रहनी चाहिए बल्कि वह पूरी की पूरी पावर सी.एम. के हाथ में रहनी चाहिए। (ाोर) मैं तो इन्हें पं0 रमा नंद नहीं कहता मैं तो इन्हें स्वामी आदित्यवे ा ही कहूंगा क्योंकि वह मेरे साथ चार महीने जेल मैं रहे है, भोजन इक्ट्ठा किया है और हम एक साथ बैठकर खाते रहे है। (ाोर एवं हंसी) वह अलग बात थी। किचन में इनकी ऐन्टरी इसलिये बंद की थी कि इन्होंने माफी की दरख्वास्त लिखी थी (ाोर) हमने कहा कि यह गलत किया है। यहां पर लाला बलवंत राय तायल जी बैठे है इनके पास इन्होंने दरख्वास्त लिख कर दी थी।

वित मंत्री(लाला बलवंत राय तायल): आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत कर रहे है। इन्होंने मेरे पास कोई दरख्वास्त नहीं दी। (ाोर)

चौधरी राम लाल वधवाः तायल साहब, मुझे अफसोस है कि आप जैसा आदमी भी इस तरह की बात कहे। (ाोर)

श्री उपाध्यक्षः वधवा साहब, आप इन बातों को छोड़िये मतलब की बात कीजिए और समय का भी ख्याल रखें। (ाोर)

चौधरी राम लाल वधवाः उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को छोड़ता हूं। जब तायल साहब ही इनकार कर रहे है तो मेरे कहने का फायदा नहीं है। (ाोर)

श्री उपाध्यक्षः वधवा साहब, हाउस के सामने दो महत्वपूर्ण मसले आ रहे है। (ाोर)

चौधरी रामलाल वधवाः उपाध्यक्ष महोदय, आप कह रहे है तो मैं इस बात को यहीं पर खत्म करता हूं। यह बात किसी और वक्त बता देंगे। (ाोर एवं व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, आप मेरी इसे गलती कहिये या जो कुछ मर्जी कहिये कि मैंने जो ओरीजिनल कापी थी वह तो तायल साहब को पकड़ा दी और उसकी अन–साइंड कापी पास रख ली जो कि मेरे पास है।

लाला बलवंत राय तायलः चौधरी साहब को मैं यह बताना चाहता हूं कि इन्होंने जेल से कभी भी माफी मांगने वाली दरख्वास्त नहीं दी। हां, स्वामी आदित्यवे ा जी ने पैरोल के लिये दरख्वास्त जरूर दी थी। मेरा ख्याल है झगड़ा भी इसी बात पर भाुरू हुआ है। अगर ये पैरोल की बात करते है तो मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि इनकी पार्टी के 90 प्रति ात आदमी जिस

पार्टी को ये बिलौंग करते है, पैरोल पर छूट कर आये थे। (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी राम लाल वधवाः डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होंने मेरे बारे में कहा है। मैं वह आदमी हूं जिसे मैडीकल कालेज में हर्ट ट्रबल थी। मैडीकल सुप्रींटैंडैंट ने और डिप्टी कमी नर ने मुझे यह कहा था कि पैरोल पर चले आओ। लेकिन मैंने उनको यह कहा कि मैं तो यहां से नहीं जाऊंगा, हां मेरी ला ा जरूर चली जायेगी। (ाोर एवं व्यवधान)

श्रीमती सुशमा स्वराजः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। जब स्वामी जी मौन है तो तायल साहब उनको क्यों डिफैंड करने की जरूरत समझते है। मौन रहने का मतलब यह है कि वह इसे स्वीकरा करते हैं कि यह ठीक है। तो ऐसे ही ख्वामखाह तायल साहब को उनको डिफैंड करने की क्या जरूरत है? (ाोर एवं व्यवधान)

स्वामी आदित्यवे ाः मैं डिप्टी स्पीकर साहब, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात यहां पर कहना चाहता हूं कि मेरे पास माफी मंगवाने के लिये स्वामी इंद्रवे ा और स्वामी अग्निवे ा जी आये और इन्होंने मुझे बहुत जोर दिया कि मैं माफी मांग लूं लेकिन मैंने कहा कि मेरे मर जाने से दे ा को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इसलिये मैं किसी भी कीमत पर माफी नहीं

मांगूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह राम लाल वधवा जी जो कर रहे है.....(ाोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः कुछ भी रिकार्ड न किया जाये.....

.

स्वामी आदित्यवे ाः

****

चौधरी उदय सिंह दलालः

****

---

not record as ordered by the Chair.

श्री उपाध्यक्षः मैं राम लाल वधवा जी से कहूंगा कि वे अपना भाशण जारी रखें। देखिये, जो कुछ भी मेरी इजाजत के बिना बोला गया है, वह प्रोसीडिंग्ज का पार्ट नहीं बनेगा।

श्री बलदेव तायलः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं किसी को किटीसाईज करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं। मैं यह नहीं कहता कि स्वामी जी ने माफी मांगी है या नहीं। मैं तो स्वामी जी को इस बात के लिये मुबारिकबाद देने के लिये खड़ा हुआ हूं कि उन्होंने न तो कभी माफी मांगी और बड़ी वीरता के साथ जिस कांग्रेस भाासन के खिालफ लड़ाई लड़ी थी, उसी में वे भाामिल हो गये। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः आप किस प्वायंट पर बोल रहे हो?

श्री बलदेव तायलः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं प्वायंट आफ आर्डर पर नहीं बोल रहा हूं। मैंने यह नहीं कहा कि मैं प्वायंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। मैं तो केवल स्वामी जी को मुबारिकबाद देना चाहता हूं कि जिस कांग्रेस भाासन के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, उस में ही अब वे चले गये है, इसकी उन्हें मुबारिकबाद हो। (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी राम लाल वधवाः उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सन् 1972 से 1977 तक तो हमने वह नजारा देखा कि मार्किट कमेटियों, नगर पालिकाओ और दूसरी लगभग सभी कमेटियों को खत्म कर दिया गया और वहां पर ऐडमिनिस्ट्रेटर लगा दिये गये। इसलिये मैं चौधरी भजनलाल जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे चौधरी बंसी लाल जी के नक ो कदम पर न चलें। अगर कांग्रेस (आई) में जाने के बाद कोई ऐसी बीमारी लग जाती हो, तो अलग बात है। जो इंस्टीच्यू ान अभी बचे हुए है, उन पर आप सरकारी अफसर न बैठायें। जो आज हालत कमेटियों की हो रही है, वह हालत इनकी भी न की जायें। इस में झगड़े की तो कोई बात ही नहीं है। यदि कोई चेयरमैन ठीक काम नहीं करता, तो उसको सरकार हटा सकती है। यहां पर यह भी कहा गया कि मेरी कारपोरे ान में इतना फायदा हुआ है। (विघ्न) मैं तो आपके फायदे के लिये बात बता रहा हूं। चेयरमैन साहब, यहां पर कई मैम्बर साहेबान यह कह रह थे कि हमने अच्छा काम किया है और इस वजह से

कार्पोरे ान या बोर्ड को फायदा हुआ है। हमें तो मुख्य मंत्री महोदय बता दें कि यहां–यहां पर काम में सुधार हुआ है। यह नहीं होना चाहिए कि जैसे हमने पहले बिल पास किया है, अब इसे पास करने जा रहे है और इसके बाद खादी बोर्ड का बिल आ रहा है, उसे भी पास कर दें। इन सब में ये चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर लगाये जा रहे है। इस का मतलब तो यह है कि इनके जो साथी है, उन पर इनका अवि वास हो गया है, वे इनऐफिि ाएंट हो गये है और डिसऔनेस्ट हो गये है। इस वजह से उनके ऊपर ऐडमिनिस्ट्रेटर बिठाये जा रहे है। डिप्टी स्पीकर साहब, आप बिल की सारी क्लाजें देखते चले जायें। इस ऐडमिनिस्ट्रेटर के लगने से चेयरमैन की सारी पावर्ज खत्म हो जाती है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि सरकार इस बात का फैसला करे कि वहां पर ऐडमिनिस्ट्रेटर नहीं लगाये जायेंगे। डिप्टी स्पीकर साहब पेरैंट ऐक्ट की धारा 7 में लिखा हुआ है। (13.00बजे)

"Notwithstanding anything contained in section 3 or 7 or any other provision of this Act, the Chairman and members of the Board shall hold office during the pleasure of the State Government."

पहले ही बेचारे पलैयर पर बैठे है। मुख्य मंत्री राजी हों तो नौकरी कायम और अगर मुख्य मंत्री राजी न हो तो नौकरी खत्म। पलैयार पर जो बैठा हो, जिसको पता हो कि वह किसी के रहम पर बैठा है वह क्या करेगा? चेयरमैन अच्छा काम कर रहे है या खराब काम कर रहे है और क्या काम बढ़ गया है, कम से

कम यह हाउस को बताया जान चाहिए। क्या किसी चेयरमैन ने लिखकर भेजा है कि मेरा काम बढ़ गया है। सारे चेयरमैंन यहां बैठे हुए है। वे बताएं कि क्या चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है? क्या बोर्ड ने कोई रैजोल्यू ान भेजा है कि उनका काम बढ़ा है। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे पास भसी चंद दिन यह महकमा रहा है। मुझे काम के बारे में पता हैै। उपाध्यक्ष महोदय, इम्प्रूवमैंट ट्रस्टस के बारे में ये एक क्लाज 22(1) और जोड़ रहे है। उसमें लिखा है—

"(1) No housing shceme shall be made under this Act for any areas for which an improvement scheme has been sanctioned by the State Government under the Punjab Town Improvement Act, 1922, or any other enactment for the time being in force, nor any housing shceme made under this Act shall contain anyhthingh which is inconsistent with any of the matter included in a town planning scheme sanctioned by the State Government under the Punjab Municipal Act, 1911, or other enactment for the time being in force."

उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लाज की जरूरत क्या है? इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट तो पहले ही नहीं है। वे तो पहले ही खत्म है और मेरे भाई खुर ाीद ने तो एक बड़ा भारी जुर्म किया है जो इन्होंने इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट की स्कीम की बात की है। इन्होंने कहा है कि इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट की स्कीम थी। मैं कहना चाहता हूं कि इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट स्कीम तो रही नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय यह महकमा मेरे पास था, मैंने एल0आर0 को लिखकर भेजा था

कि जो इररैगुलेटीज हुई है लाखों रूपये की, जमीन अन–सैक ांड है और ऐमरजैंसी के वक्त लोगों ने जमीन लेकर मकान बना लिये है, उसके बारे में बिल में कोई ऐसा प्रोविजन लाया जाए जिससे कि उसको रैगुलेराइज किया जा सके लेकिन भाई खुर ीद अहमद ने यह सरकुलर जारी कर दिया है कि चाहे स्कीम सैक ांड है अन–सैक ांड है जिसको पांच साल हो गये है उन सभी को समाप्त कर दिया जाए। कालोनाइजर जमीन पर कब्जा कर रहे है और दूसरी ओर लोगों ने रूपया दे रखा है। इस तरह से लिटीगे ान खड़ी हो गई है कि कालोनाइजर को जमीन कैसे मिले और लोगों ने वहां जो मकान बनाए हुए है उनको कैसे उठाया जाए। इस तरह से तो बड़े कालोनाइजर्ज को फायदा पहुंचाने की कोि ा ा की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह कर समाप्त करता हूं और वह है कि इस बोर्ड के फंक ान को ठीक कैसे किया जाए? सवाल यह नहीं है कि चेयरमैन कौर हो, सवाल यह नहीं है कि ऐडमिनिस्ट्रेटर लगाने से ऐफि िाएंसी आयेगी या नहीं आएगी। आज जरूरत इस बात की है कि हाउसिंग बोर्ड की जो तकलीफ है उसको कैसे दूर किया जाए? मैं मुख्य मंत्री को बताना चाहता हूं कि बहुत सी स्कीमें बनी पड़ी है लोगों से रूपया लिया हुआ है और उस रूपये पर सूद तक नहीं दिया गया है। 1976 से जो लोग रजिस्टर्ड है उनको मकान तक नहीं मिले है। हजारों लोग ऐसे है जिलाके हुड्डा ने जमीन नहीं दी है। हाउसिंग बोर्ड को जमीन लेने की पावर नहीं है। मेरी प्रार्थना यह है कि ऐक्ट में तरमीम की जाए ताकि जिस प्रकार से

इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट और दूसरे अदायरे जमीन ऐक्वायर करते है उसी प्रकार से हाउसिग बोर्ड भी जमीन ऐक्वायर कर सके। डिप्टी स्पीकर साहब, आज हाउसिंग बोर्ड का जो मकसद है वह खत्म हो रहा है। हाउसिंग बोर्ड के काम के अन्दर सरकार रूकावट बनकर बैठी हुई है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सरकार कम्पलीट बिल लेकर आए और ऐडमिनिस्ट्रेटर लगाने की कोई आव यकता नहीं है। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

चौधरी गंगा राम(गोहाना): डिप्टी स्पीकर साहब, आप को सुन कर ताजुब्ब होगा कि आज हरियाणा के अन्दर इस सरकार के अंडर जितने कार्पोरे ान्ज है जितने बोडर्ज है उनके जो चेयरमैन है, हरेक चेयरमैन तनख्वाह का कार का और कोठी का तथा टी0ए0, डी0ए0 का साठ सत्तर हजार रूपया महीने का खर्च आता है। आप समझ सकते है कि तमाम चेयरमैनों पर कई करोड़ रूपया आज हमारी सरकार खर्च कर रही है। यह रूपया गरीब लोगों, किसानों तथा देहाती भाइयों के खून पसीने की कमाई में से खर्च किया जाता है और यह रूपया सरकार केवल अपनी कुर्सी को बनाए रखने के लिए खर्च कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा (व्यवधान)

स्वामी आदित्यवे ाः उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी गंगा राम जी कह रहे है कि हरेक चेयरमैन पर साठ सत्तर हजार रूपया महीने का खर्च किया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस तरह की कोई बात न करें।

चौधरी गंगा रामः मैं आपका निवेदन मान लेता हूं।

श्री कन्हैया लाल पोसवालः उपाध्यक्ष महोदय, भाायद इनको इस बात का पता नहीं है कि मैं तनख्वाह के तौर पर एक पैसा नहीं लेता, मेरे पास कोठी नहीं है और न ही मेरे पास टेलीफोन है और ये कह रहे है कि हरेक चेयरमैन पर साठ सत्तर हजार रूपया खर्च किया जाता है। (व्यवधान)

चौधरी गंगा रामः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह नहीं समझ रहा हूं कि आज से पहले चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर क्यों नहीं लगाए गए? आज ही इनकी क्यों जरूरत पड़ गई? डिप्टी स्पीकर साहब, चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर लगाने का कारण इस सरकार ने यह बताया है कि काम बहुत बढ़ गया है और अभी हाउसिंग कालोनीज बहुत बननी है असली बैकग्राउंड कुछ और है। डिप्टी स्पीकर साहब, आज लोगों मैं यह आम चर्चा है कि कार्पोरे ान्ज या बोडर्ज जो प्रोजैक्ट बनाते है उनसे एक–एक चेयरमैन को लाखों रूपये की कमाई होती है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः आप फिर वही बात कह रहे है। आप पहली बात को दोहराएं नहीं। (व्यवधान)

चौधरी गंगा रामः उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि जिस दिल चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर

आप बिठा देंगे उसी दिन ये चेयरमैंन हमारी साइड में आ जाएंगे। हम तो चाहते थे कि चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर पहले ही आ जाते तो ये चेयरमैन हमारे साथ मिल जाते। उपाध्यक्ष महोदय, आज हाउसिंग बोर्ड की कालोनीज की बहुत बुरी दुर्गति है। बोर्ड ने किसी से मकान के नाम पर अस्सी हजार लिया हुआ है, किसी से चालीस हजार रूपया लिया हुआ है और इन मकानों के अन्दर जो मैटियरिल लगता है जो सीमेंट लगता है जो ईंट लगती है और जो मसाला लगता है उसक सत्तर परसैंट मिसयूज होता है। केवल तीस परसैंट लगता है और हाउसिंग कालोनीज के अन्दर जो मकान लेते है वे बड़े दर्द के साथ बड़ी तकलीफ के साथ उन मकानों में रह रहे है। उपाध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान एक और बात की तरफ दिलाना चाहता हूं और वह है कि हाउसिंग बोर्ड के मकानों की अलाटमैंट में पांच परसैंट चेयरमैन का डिसकि ानरी कोटा है। डिप्टी स्पीकर साहब, इसकी बैकग्राउंड बहुत खराब है। मैं किसी पर स्पेसिफिक ऐलीगे ान नहीं लगाता लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। हर आदमी को अलाटमैंट से मकान मिलना चाहिए। सरकार ने पांच परसैंट का डिसकि ानरी कोटा रख कर परिवार पोशण तथा पार्टी पोशण वाली बात की है। अलाटमैंट में बड़ी धांधलेबाजी हो रही है। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि पांच परसैंट की जो डिसकि ानरी पावर्ज दी है उनको खत्म किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आज जो गरीब आदमी देहातों में बसता है, उसको देखकर बड़ा दुःख होता है। उसकी हालत आज बड़ी दर्दनाक है। वह बेचारा मकान नहीं बना सकता क्योंकि यह जो सरकार है, उन लोगों को किसी प्रकार की सुविधा प्रदान करने में असमर्थ रही है। न सीमेंट न लोहा कुछ भी लोगों को मकानों के लिये नहीं मिल रहा। सब कुछ यह सरकार हजम कर गई है। इसलिये मेरी सरकार को सुजै ान है कि लोगो को, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है कुछ राहत दी जाए। उनको रहने के लिये मकान मुहैया किये जाएं ताकि वे लोग अपना और अपने बच्चों का सिर ढ़ांप सके। गरीब किसान और मजदूर जोकि देहातों में बसता है, उसको सिर ढ़ांपने के लिए कोई घर नहीं है। अगर बरसात हो जाती है तो वे लोग अपने आपको कहीं छुपा नहीं सकते। वे धुप में भी जलते है। अतः सरकार को मेरी एक और सुजै ान है कि इन लोगों को सबसिडी के तौर पर कुछ राहत दी जाए हाउसिंग कालोनी का देहातों के अन्दर भी प्रोवीजन किया जाए और वहां पर वार लैवल पर काम भुरू किया जाए ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे आगे मैं बोर्डों और कार्पोरे ान्ज के जो चेयरमैन है उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सरकार इन के ऊपर बड़ा पैसा खर्च कर रही है। जो पैसा हरियाणा की जनता की खून पसीने की कमाई है उसको बुरी तरह

से बरबाद किया जा रहा है। इस तरफ सरकार को अव य ही ध्यान देना चाहिए, इस फिजूल खर्ची को रोकना चाहिये और इस पैसे को लोगों की भलाई के लिए खर्च करना चाहिये। यह काम तब हो सकता है जबकि हमारे मुख्य मंत्री इस तरफ खास तवज्जों दें। मैं मुख्य मंत्री महोदय की फोटो अपने मकान में टंगवा दूंगा अगर वे इन सभी के सभी चेयरमैनों को हटा कर हरियाणा की जनता का मन जीतेंगे। इससे उनका भी उद्धार होगा और हरियाणा की जनता को यह देखकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि हमारी सरकार उद्धार का काम कर रही है। मैं तो उपाध्यक्ष महोदय, यही कहूंगा कि एक बार मुख्य मंत्री महोदय इन सभी चेयरमैन्ज को हटा कर देख लें तभी इस हरियाणा का उद्धार हो सकता है। इतना ही कहते हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद।

श्री बलदेव तायल(हांसी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय को इस बिल के यहां पर लाने के लिये और यह साहसी कदम उठाने के लिये मुबारिकबाद देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन के और मुख्य मंत्री महोदय के नोटिस में एक बात लाना चाहता हूं। हो सकता है और मैं यह मानकर चलता भी हूं कि हमारे जो चेयरमैन्ज है वे बड़े ऐफि ाएंट है काबिल है और इसमें कोई भाक नहीं कि उन्होंने अपनी संस्थाओं में काफी उन्नति की है परन्तु इसके साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि आम जनता के अन्दर उनकी कोई

इमेज नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय आज एम0एल0एज0 होस्टल के कमरों में आप जा कर देखें। वहां पर कुरप्ान के बारे में, मिस मैनेजमैंट के बारे में और तरह तरह के ऐलीगेान लगाकर पोस्टर बांटे जा रहे है। उनको पढ़कर आपको पता चल जाएगा कि जनता में इनका क्या इमेज है? अब मैं मुख्य मंत्री महोदय को यह मुबारिकबाद देता हूं कि ये जो बिल लाकर चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर लगा रहे है, इन के लगने से कम से कम चेयरमैंज की रैपुटेान तो बची रहेगी। अगर कहीं पर कोई गड़बड़ होगी, धांधलेबाजी होगी तो सारी की सारी जिम्मेवारी चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटिव की होगी और चेयरमैन इन सब बातों से बचे रहेंगे। दूसरी बात यह है कि जब सारी पावर चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटिव के पास चली जाएगी तो बोर्डों और कार्पोरेान के कार्यों में तीव्रता के साथ उन्नति होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरे भाई गंगा राम जी ने बोलते हुए सरकार को एक दो सुझाव दिये। मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूं और उनका समर्थन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आप कभी देहातों के अन्दर जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि वहां की हालत कितनी खराब है कितनी इनसैनेटरी है, कितना वहां का वातावरण दुर्गंधपूर्ण है। वहां आप को कीड़े दिखाई देंगे गंदा पानी खड़ा दिखाई देगा जोहड़ों का पानी सूखा पड़ा है और लोगों को पानी नहीं मिलता। वहां पर मकान के नाम पर नीली छत है चारपाई के नाम पर धरती है इसलिये मैं मुख्य मंत्री महोदय को यह रिक्वैस्ट करूंगा कि यह सुझाव बड़ा अच्छा है।

कृपया आप इस हाउसिंग कालोनीज को कम से कम गावों के अन्दर रूिर दीजिए ताकि लोगों को यह पता लग सके कि सरकार उनकी भलाई के लिये कोई न कोई काम कर रही है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, हम तो कहते है कि चाहे ये कालोनीज आदमपुर में बना दीजिए जगन नाथ जी के इलाके में बनवा दीजिए या ठाकुर बीर सिंह जी के हल्का में बना दीजिए हमैं इसमें कोई एतराज नहीं है। किसी का तो भला होगा।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री उपाध्यक्षः साहेबान अभी काफी बिजनैस पड़ा है। इसलिये अगर सभा की सहमति हो तो सभा का समय बढ़ा दिया जाए। (ाोर)

मुख्य मंत्री(चौधरी भजन लाल): डिप्टी स्पीकर साहब, ठीक है टाईम बढ़ा दीजिए।

श्री उपाध्यक्षः सदन का समय एक घंटे के लिए बढाया जाता है।

दि हरियाण हाउसिंग बोर्ड (अमैंडमैंट) बिल, 1980 (पुनरारम्भ)

श्री बलदेव तायलः उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपके नोटिस में बहन सुशमा जी लाया कि उनके हलके के लोगों ने मकानों के लिये पैसा भी जमा करवा दिया है। उपाध्यक्ष महोदय

ठीक है कि सरकार की हम लोगों से नाराजगी हो सकती है, अपोजी ान से नाराजगी हो सकती है लेकिन हरियाण की गरीब जनता से नाराजगी रखने का कोई फायदा नहीं है। अगर मुख्य मंत्री जी देखें तो उन्हें पता चलेगा कि हरियाणा की गरीब जनता का इसमें क्या दोश है जिन्होंने कि दो दो सालों से मकान के लिये पैसे जमा करवा रखे है मगर उन्हें अभी तक सरकार की तरफ से कोई मकान वगैरह नहीं मिले है और किसी प्रकार की अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है। न तो सरकार लोगों को जमीन ऐक्वायर करती है और न ही लोगों को मकान बनवा कर देती है, लोग ठोकरे खाते फिरते है। (ाोर एवं विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदय, डिसक ान के समय स्वामी जी ने बोलते हुए जो कुछ कहा उसके लिये मैं उनको बहुत बहुत मुबारिकबाद देता हूं। सबसे पहले तो मैं उनको इस बात की मुबारिकबाद देता हूं कि उन्होंने अपनी कार्पोरे ान को ऊपर उठाने में दिन रात एक कर दिया और इतना काम किया कि वे उसे ि ाखर पर ले गये। साथ ही उन्होंने बोलते हुए यह भी कहा कि वे कांग्रेस भाासन के विरूद्ध लड़ते रहे, जेलें काटी और यह सब काम उन्होंने जे.पी. साहब के नेतृत्व में किया। ये भाब्द उन्होंने बड़ी भाान से कहे लेकिन हमें अफसोस है कि आज वे उसी पार्टी उसी सरकार जिसका वे अपने दिल से विरोध करते रहे है की एक कार्पोरे ान के चेयरमैन है। (ाोर एवं हंसी) इतना ही कहते हुए उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना स्थान लेता हुआ

आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री हीरा नंद आर्य(लौहारू): उपाध्यक्ष महोदय, हाउस के सामने हाउसिंग बोर्ड से संबंधित बिल पर चर्चा चल रही है। उसमें मुख्य रूप से जो चर्चा चल रही है वह चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने के संबंध में चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय आप भी जानते है और यह सारा सदन और सारी हरियाणा की जनता भी इस बात से पूरी तरह से परिचित है कि आज हरियाणा के अन्दर जितनी कार्पोरे ान्ज है जितने बोर्ड है उन सब की बड़ी दुर्द ाा है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री ई वर सिंहः उपाध्यक्ष महोदय मैं पर्सनल ऐक्सप्लेने ान देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्षः इस समय कोई पर्सनल ऐक्सप्लेने ान नहीं दी जायेगी। आर्य जी आप अपनी स्पीच जारी रखें।

श्री हीरा नंद आर्यः उपाध्यक्ष महोदय, चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर के अप्वायंट करने से हालात तो जरूर सुधरेंगे लेकिन चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने के कारण और भी कई तरह की आपसी विरोधता उत्पन्न हो जाएगी। वहां आपस में झगड़े होंगे और कार्पोरे ान्ज बगैरह की हालात और भी खराब हो जाएगी और ऐसा होने से हालात सुधरने का कोई भी तरीका नजर नहीं आएगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि अगर कहीं आपने चीफ

ऐडमिनिस्ट्रेटर लगाने है तो फिर वहां पर चेयरमैन न लगाए जाएं। अगर चेयरमैन की बजाये ऐडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने से हालत सुधर सकती है तो ठीक है। आज आप देखें कि स्पिनिंग मिल हांसी की क्या हालत हो रही है? वहां के चार सौ मजदूर जेल की यात्रा भोग रहे है और वह भी सरकार की गलती के कारण। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः आर्य साहब, आप हाउसिंग बोर्ड के बारे में ही बोलें।

श्री हीरा नंद आर्यः ठीक है उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की और चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन हाउसिंग बोर्ड में भी आज किस तरह से सारे काम रूके हुए है। गांवों में रहने के लिये मकान नहीं है, सरकार इधर ध्यान दे। (ाोर)

श्री ई वर सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं पर्सनल ऐक्सप्लेने ान देना चाहता हूं। अभी अम्बाला की हाउसिंग कालोनी के बारे में बहिन सुशमा ने एलीगे ान लगाया। उन्होंने कहा कि अम्बाला, नारनौल और पानीपत में ये कालोनीज किन्हीं खास कारणों से नहीं बनाई परन्तु उनको यह इल्म होना चाहिए कि जब वे मिनिस्टर थी उस वक्त उन्होंने जमीन ऐक्वायर क्यों नहीं की? आज वे समाजवादी बनना चाहती है। दूसरे गंगा राम जी ने कहा के कालोनियो ंमें मैटिरियल गंदा लगता है और सीमेंट थोड़ा लगता है। (ाोर)

Mr. Deputy Speaker: No personal explanation at this stage please. Please take your seat.

विकास मंत्री(राव राम नारायण): उपाध्यक्ष महोदय, बहिन सुशमा जी ने इस बिल पर चर्चा करते हुए कुछ बाते कहीं। मैं उनकी नालेज के लिये बताना चाहता हूं कि हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का कार्यक्रम सन् 1970 से लेकर सन् 1980 तक कितना बढ़ गया है। इस पर जहां 1970 में 3,71,000/– रूपये खर्च होते थे वहां आज उसके लिये जो बजट है वह 347 लाख रूपये का है। फिर उन्होंने पूछा कितने हाउस बने है? 1976–77 में 394 हाउस बने, 19778–78 में 1862ए 1978–79 में 1831 और 1979–80 में 2865 हाउस बने। हाउसिंग बोर्ड का कार्यक्रम इतना बढ़ गया कि इसमें चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर लगाना निहायत जरूरी हो गया था इसलिये हमारी कैबिनिट ने अपनी 19.6.80 को हुई मीटिंग में यह फैसला लिया। पिछले दो सालों में जब चौधरी देवी लाल की गवर्नमैंट थी तो उन दिनों में इसका काम थोड़ा बहुत हल्का रहा था इसलिये यह जरूरी समझा गया कि इसमें चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर लगा कर इसका काम और अच्छा बनाया जाए। यहां पर नारनौल हाउसिंग कालोनी का जिक्र किया गया, उसे हम जल्द से जल्द तैयार करने जा रहे है। दूसरा सवाल यह उठाया गया कि बहुत से लोगों ने अरनैस्ट मनी जमा करवाई हुई और हाउसिज मिलने में देर हो रही है। इसको देखते हुए हमेन फैसला लिया है कि जिसको रकम जमा करवाई को दो साल हो गये है, उसको उस रकम पर इंट्रैस्ट दिया जाएगा। (तालियां)

इसके अलावा जो देहातों में हाउसिज बनाने का सुझाव दिया गया है उसको भी मैं वैलकम करता हूं। जितनी भी देहातों से ऐप्लीके ांज आएंगी, अगर वे काफी समझी गई तो हम देहातो ंमे भी हाउसिंग कालोनीज बनाने की कोि ा ा करेंगे। इन भाब्दों के साथ मैं वाइंड–अप करते हुए यह समझता हूं कि हाउसिंग बोर्ड में चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर लगाना निहायत ही जरूरी है।

श्री उपाध्यक्षः प्र न यह है कि–

दि हरियाणा हाउसिंग बोर्ड (अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाजिज 2 से 13 तथा क्लाज 1

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाजिज 2 से 13 तथा क्लाज 1 बिल का पार्ट बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि अनैक्विंटग फार्मूला बिल का अनैक्विंटग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विकास मंत्री(राव राम नारायण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि बिल पास किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि बिल पास किया जाए।

श्री मूल चंद जैन(सम्भालखा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा टाईम न लेते हुए थर्ड रीडिंग की स्टेज पर एक दो बाते कहना चाहता हूं। अभी मिनिस्टर साहब ने अपने हाउसिंग बोर्ड की कार्यवाही बताई अगर हाउसिंग बोर्ड और भी तरक्की करे तो वह काबिले तारीफ बात है क्योंकि हाउसिंग की आज बहुत जरूरत है देहातों में भी और भाहरों में भी। अभी पानीपत और नारनौल

की हाउसिंग कालोनीज का जिक्र आयां सन् 1976–77 में वहां पर लोगों से रूपया लिया गया और अब मिनिसटर सहब फरमा रहे है कि जिनका रूपया दो साल से ज्यादा का जमा पड़ा है उनको हम सूद देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सूद देने से काम नहीं चलेगा (**इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए**) आप वहां पर अब तक न तो कोई सड़क बना सके है और न ही कोई और काम कर सके है। इसके बावजूद लोगों को नोटिस जा रहे है कि जमीन की कीमत बढ़ गई है इसलिये आप और पैसा जमा करवाओ। किसी को बीस हजार रूपए देने का नाटिस गया है तो किसी को पच्चीस हजार रूपए देने का। इसलिये सूद देने से काम नहीं चलेगा। सूद की रकम तो ज्यादा से ज्यादा दो चार सौ रूपए बनेगी उतने अरसे में कीमत आप 20–25 हजार रूपए बढ़ा देते हो। इसलिये जो डिले होती है उसके लिये आप कोई रास्ता निकालें। मैं मिनिस्टर साहब से यही जानना चाहता था कि इसके लिये आप क्या उपाय कर रहे है? अगर आप चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर लगा कर अच्छा काम कर सकते है तो यह बात तो अच्छी है हमें कोई ऐतराज नहीं है लेकिन इस डिले को आप कैसे दूर करेंगे, इस बारे में हमें बताएं?

राव राम नारायणः स्पीकर साहब, लीडर आफ दि अपोजि ान ने जो क्वै चन रेज किया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं बातों को देखते हुए हम वहां पर चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर लगा रहे है और ऐडमिनिस्ट्रे ान को इम्प्रूव करना चाहते है।

श्रीमती सुशमा स्वराज(अम्बाला छावनी): अध्यक्ष महोदय, इस बिल की फस्ट रीडिंग की स्टेज पर मैंने अपने विचार व्यक्त करते हुए इस बिल का समर्थन किया था। अब थर्ड रीडिंग के स्टेज है और मैं केवल एक मिन्ट में अपनी बात कहना चाहती हूं। इन बोर्डज में या कार्पोरे ांज में जो सरकारी अधिकारी नियुक्त किया जाते है, उनको बहुत जल्द ट्रांसफर कर दिया जाता है। मैं इस संबंध में एक सुझाव देना चाहती हूं। इस बोर्ड में आप चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर लगाने जा रहे है। सरकार को कम से कम इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वह कम से कम तीन साल तक इस बोर्ड में काम करे ताकि उसको इसकी सारी वर्किंग की जानकारी हो जाए और वाक्या ही वह अपनी काबलियत दिखा सके। तीन साल से पहले उसको वहां से बदला न जाए (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बिल की फस्ट रीडिंग पर बोलते हुए अपने हल्के अम्बाला कैंट की हाउसिंग कालोनी के बारे में कुछ बातों का जिक्र किया था लेकिन मंत्री महोदय ने वहां की हाउसिंग कालोनी को बनाने के बार में कोई कमिटमैंट नहीं की और अभी हमार अपोजि ान के माननीय सदस्य श्री बलदेव तायल ने बोलते हुए कहा कि यह सरकार अपोजी ान के एम0एल0एज0 के हल्कों में कोई काम नहीं करना चाहती है इसलिए भाायद मेरी वजह से अम्बाला कैंट में काम नहीं हो रहे है क्योंकि मैं अपोजि ान की एम0एल0ए0 हूं। अध्यक्ष महोदय, अगर मुख्य मंत्री जी यह सोच रहे है कि श्रीमती सुशमा स्वराज अम्बाला कैंट हलकें से अपोजि ान की एम0एल0ए0 है और उसके रहते हुए वह कालोनी

नहीं बनेगी तो मैं भरे सदन में यह कहना चाहती हूं कि अगर मुख्य मंत्री महोदय उस कालोनी के बनने के लिए पत्थर रखें मैं सदन की सदस्यता से त्याग–पत्र दे दूंगी। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के अन्दर न पी0डब्ल्यू0डी0 का, न इरीगे ान का और ने ही कैनाल कोई कार्य हो रहा है अगर ये काम मेरी वजह से नहीं हो रहे है तो मुख्य मंत्री जी यह कमिटमैंट करे कि जो काम बंद पड़े है वह मेरे वहां हट जाने पर भाुरू हो जाएगे तो मैं सदन की सदस्यता से त्याग–पत्र दे दूंगी। (ाोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष द्वारा रूलिंग–

उपायुक्त सिरसा के विरू अभिकथित ब्रीच आफ प्रिवलिज संबंधी

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, अब मैं एक अनाउंसमैंट करना चाहता हूं। यह उस प्रिवलिज मो ान के संबंध में है जो श्री मूल चंद जैन और दो चार अन्य मैम्बर साहेबान के नाम से है। श्री भागी राम एम0एल0ए0 ने एक कम्पलेंट लौज की थी। अपनी औबजर्वे ान मैंने इंगलि ा में लिखी है यदि मैम्बर साहेबान को कोई एतराज न हो तो इसे मैं इंगलि ा में ही पढ़ दूं।

आवाजें: ठीक है जी आप इसे इंगलि ा में ही पढ़ दें।

Mr. Speaker: In accordance with the well established conventions as given in Practice & Procedure of Parliament by Kaul & Shakdher (Page 239) I summoned the Deputy Commissioner, Sirsa, in order to give him an opportunity to explain his point of view with regard to the privilege motion given notice of by Sarvshri Mool Chand Jain, Preet Singh Rathi and Ran Singh Mann, M.L.As.

The points at issue were as follows:-

(a) whether the Deputy Commissioner, Sirsa, had received any instructions from the Chief Minister with regard to the elections to the Rajaya Sabha due to be held on 11-7-1980;

(b) whether the Deputy Commissioner, Sirsa had passed any instructions to the S.D.M. Sirsa to pressurize Shri Bhagi Ram M.L.A. with regard to these elections; and

(c) whether the Deputy Commissioner, Sirsa, himself had had any conversation with Shri Bhagi Ram, M.L.A. in this regard.

I had this conversation in the presence of Shri Mool Chand Jain, the leader of the Opposition. The Deputy Commissioner, Sirsa categorically and flatly denied having received any instructions from the Chief Minister on this subject. As regards the Deputy Commissioner, Sirsa, passing on any instructions to the S.D.M., the question does not arise as he had not received any instructions from the Chief Minister himself.

The Deputy Commissioner, Sirsa, pointed out that Shri Bhagi Ram, M.L.A. had come to see him on either the 29th or 30th June (as he was not quite sure of the date, but it was either one of the two dates) in order to make a complaint regarding butchering of a calf in his village. The Deputy Commissioner further said that he offered the Hon. Member a cup of tea and had a very cordial talk with the M.L.A. During this conversation, no mention whatsoever was made of the impending Rajya Sabha elections.

The Deputy Commissioner, Sirsa further submitted that in case, if any conversation or pressurization regarding the Rajya Sabha elections had taken place on the 29the or 30th June, then surely, the Hon. Member Would have lodged the complaint the following day or the day after that. But it is noticed that the complaint of the privilege motion was not lodged till the 8th July, 1980 i.e. after the expiry of almost 8 or 9 days. Apart from this, the Chief Minister has also stated that no such instructions whatsoever have been passed by him to the Deputy Commissioner, Sirsa, or to any other official with regard to the Rajya Sabha elections.

As such in my opinion no prima facie case exists for the admission of the motion and I disallow the motion of privilege.

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, क्या डी0सी0 कहेगा कि मुझे इंस्ट्रक ांज मिली है?

श्री अध्यक्षः यह मुझे नहीं पता कि डी0सी0 कहेगा या नहीं कहेगा। But now I have given my ruling on this privilege

motion. (Interruptions) I can tell you that the main thing that has weighed heavily on my mind is the time gap of 8 or 9 days between the occurring of the incident and the making of the complaint. (Interruptions)

श्री हीरानन्द आर्यः स्पीकर साहब, मेरा एक प्वांयट आफ आर्डर है। (ाोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्षः आप बोल लीजिये मैं चुप हो जाता हूं। मैंबर साहेबान, जो चीज मेरे मांइड में है वह यह है कि जो इन्सीडैंट हुआ है वह 29 या 30 तारीख को हुआ है और कम्पलेंट 8 या 9 दिन का गैप हो गया है इससे मेरे माइंड में जो बात आई है उससे मैने इसको डिअलाउ किया है। इस लिये मैं रूलिंग दे चुका हूं कि मेहरबानी करके इस बारे में और ज्यादा डिस्क ान नहीं होनी चाहिये।

श्री मूलचन्द जैनः स्पीकर साहब, मुझे तो सिर्फ इतना ही कहना है कि इस प्रिवलिज मो ान में तीन अलग–अलग इनस्टांसिज कोट किये गये हैं पहला 30 तारीख का है, दूसरा पहली जुलाई का है और तीसरा 6 जुलाई का हैं इस तरह से तीन वाके है। 30 तारीख को प्रै ाराइज करने की कोई बात नहीं हुई। 30 तारीख को तो सिर्फ एस0डी0एम0 उनके गांव में गया और उनको उसने सिर्फ यह कहा कि आप डी0सी0 से मिल लें । मैंबर साहब डी0सी0 को मिलने के लिये सिरसा आए तो उनको मालूम हुआ कि डी0सी0 साहब तो सिरसा में नहीं है और एक रैडकोस

की मीटिंग के सिलसिले में चण्डीगढ़ चले गये है। यह भी कंफर्म हो गया है कि वे 30 तारीख को रैडक्रोस की मीटिंग के सिलसिलें में यहां आए थे। एक तारीख को जो वाका हुआ उस दिन भी प्रै ार डालने की कोई बात नहीं हुई। उसके बाद 6 तारीख को फिर एस0डी0एम0 उनके गांव में गया और उसने कहा कि आप डी0सी0 से मिलें तो इस तरह से इन तीन काक्यात को मिला कर मैंबर साहब ने 8 तारीख को अपनी कम्पलेंट जौज की। इसलिये इसमें गैप का तो कोई सवाल ही नहीं है।

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, हम आपका आदर करते हैं आपके फैसले को चैलेंज नहीं करते लेकिन मैं एक बात आपकी सेवा में कहना चाहता हूं कि एक मैंबर जो कि हाउस मे नया है और उसके साथ लास्ट वाका 6 तारीख को हुआ है और हमें 7 तारीख को उसने बताया कि मेरे साथ यह बीती हैं 8 तारीख को आपके नोटिस में यह बात ला दी गई हैं इसलिये इसमें कोई गैप का तो सवाल ही नहीं होना चाहिये। इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस प्रिवलिज मो ान का कोई समाधान जरूर होना चाहिये।

दि पंजाब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड (हरियाणा सैकिंड अमैंडमैंट) बिल, 1980

मुख्य मंत्री(चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, मै दि पंजाब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड (हरियाणा सैकिंड अमैंडमेंन्ट) बिल प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि –

दि पंजाब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड (हरियाणा सैकिंड अमैंडमेंन्ट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है कि–

दि पंजाब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड (हरियाणा सैकिंड अमैंडमेंन्ट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाये।

चौधरी रिजक राम(राई): स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफॅत सरकार से अनुरोध करूंगा कि खादी ग्रामोधोग बोर्ड का चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटरउस आदमी को लगाया जाये जो न तो खादी से नफरत करता हो और न भाराब पीता हो । जब चीफ ऐडमिनिस्ट्रटर लगाया जाये तो इस बात का खास ख्याल रखा जाये कयोकिं इस पोस्ट पर गलत आदमी लगाने से खादी ग्रामोद्योग का सारा प्रोग्राम भ्रश्ट हो जायेगा। (व्यवधान) मेरी आपसे गुजारि ा है कि ऐसा आदमी चेयरमैन या चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनना चाहिये जो खादी न पहनता हो, भाराब पीता हो ओर खादी से नफरत करता हो।

डा0 मंगल सैन(रोहतक): स्पीकर साहब मुख्यमंत्री जी ने जो सं ाोधन विधेयक प्रस्तुत किया है उस पर मेरे लायक दोस्त चौधरी रिजक राम जी ने बडी पते की बात कह कि ऐसे आदमी को चेयरमैन और चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाये जो भाराब न पीता हो तथा खादी पहनता हो। इसमें बिलों दी लवायन हिट करने वाली बात हैं इन्होने जो सं ाोधन प्रस्तूत किया है, इसका अभिप्राय यह है कि दूसरी कार्पोरे ान्ज की तरह खादी बोर्ड का भी चीफ ऐडमिनिस्ट्रैटर हो और उसका पद किसी सीनियर आफिसर को दिया जाए। स्पीकर साहब, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड केवल हरियाणा में ही नहीं है बल्कि आल इंडिया पैटर्न पर सभी जगह खादी बोर्ड बने हुये हैं दूसरे प्रान्तों मेंभी, भाहरों और गांवों में रहने वाले उन निर्घन लोंगों के लिये जो पावर्टी लाईन से नीचे है, खादी बोर्ड बने हुये है। इन गरीबों को स्वावलम्बी बनाने के लिये इस प्रकार के बोर्ड बनाकर कर्ज दिये जाते है, ग्रंटस दी जाती है और रोजगार मुहैया किया जाता है। इस बोर्ड का पर्पज मल्टी पर्पज है। स्पीकर साहब, सरकार इस बोर्ड में चीफ ऐडमिनिस्ट्रैटर लगाने जा रही है लकिन इस प्रकार के चीफ ऐडमिनिस्ट्रैटर दूसरे प्रान्तों में नही है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि चीफ ऐडमिनिस्ट्रैटर लगाने के लिये क्या गवर्नमेंट आफ इंडिया से पूछ लिया है? गवर्नमेंट आफ इंडिया से पूछना जरूरी है क्योंकि गवर्नमेंट आफ इंडिया से बोर्ड को लेान के रूप में और ग्रांट के रूप में काफी पैसा मिलता हैं खादी ग्रामोद्योग को एन्करेज करने के लिये उनका अपना स्पैसिफिक

ऐक्ट है जिसके नीचे बोर्ड फंक ान करता है। यह ऐक्ट प्रान्तों ने स्वीकार किया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या अपने गवर्न्मेंट आफ इंडिया से कन्फ्रैन्स ले ली है? वैसे तो यह स्टेट सब्जैक्ट है लेकिन पैटर्न चेंज करने के लिये उनकी अनुमति लेना जरूरी है। चेंज करने के बाद कहीं ऐसा न हो कि आपको सैन्टर से डांट पडे और बिल में दोबारा अमेंटमेंट लाने के लिये सदन का वक्त आप बरबाद करें। इस अमैंडमेट को विदड्रा करने की ज्रूरत न पडे, अगर इस आस्पैक्ट को ऐग्जामिन कर लिया जाये तो ठीक रहेगा। इन्होने प्रिंसिपल ऐक्ट के सैक ान 4 मे यह कहा है–

(a)in sub-section(1),-

](i) for the words "Vice-Chairman" occurring twice, the words "Chief Executive" shall be substituted.

इससे जो मैं समझ सका हूं वह यह है कि जो पहले प्रावधान है उसके मुताबिक वाइस चेयरमैन को मैंबर चुनते है और मेंबर्ज को गवर्नमेंट नोमिनेट करती है। अब उपाध्यक्ष की जगह चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर हो जएगा क्योंकि बिल में चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर अपंवायट करने का प्रोवीजन किया गया हैं मुख्य मंत्री मुझे यह स्पश्ट कर दे कि क्या वाईस चेयरमैन चुना जायेगा या नहीं। यह तो ठीक है कि तीन बोर्डज में चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर अप्वांयट करने का प्रोवीजन कर रहे है ओर दलील यह दी जाती है कि साहब काम बढ गया हैं काम तो पहले ही नहीं था, बढ कैसे गया? ऐसा लगता है कि कुछ आफिसर्ज को ये लगाना चाहते है। खैर, इस

प्वांयट पर काफी चर्चा हो चुकी है, मै सदन का जयादा समय नहीं लेना चाहता, माननीय सदस्य इस बात का बुरा मानेगें। अब विचारणीय विशय यह है कि किस को खादी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाये? चौधरी रिजक राम ने परोक्ष रूप में कह दिय कि खादी बोर्ड का अध्यक्ष खादी पहनने वाला होना चाहिये, टैरालीन पहनने वाला नहीं होना चाहिये और इसके इलावा वह भाराब न पीता हो। मै आपके द्वारा रिजक राम जी से पूछना चाहता हूं कि क्या बाकी कार्पोरे ान्ज के चेयरमैन को भाराब पीने की इजाजत होनी चाहिये? क्या उन पर भाराब पीने के पाबन्दी नहीं होनी चाहिये? ऐसा कह कर तो अपने बहुत बुरी बात कर दी हैं (व्यवधान) मेरे विचार में तो किसी अध्यक्ष को भाराब नहीं पीनी चाहिये। मुझे भरोसा है, स्वामी जी तप्स्वी आदमी है, भाराब का तो प्र न ही पैदा नहीं होता। यह कह कर तो खामखाह भद्र पुरूपश का अनादर करनें वाली बात है। बाकी लोगा तो पिया ही करते है। अध्यक्ष महोदय, इनको सं ाोधन लाने से पहले इन सारी बातों पर विचार करना चाहिये। एक बात विचारणीय यह है कि जितने भी निगम है, बोर्ड है, इनमें वास्तव में वि ोशज्ञ लगाये जाने चाहिये। ठीक है राजनीतिज्ञों को भी एम्पलायमैंट देनी चाहिये जो विधान सभा और लोक सभामें नहीं रहे है, अन–एम्पलायड हो गये है, उनका भी धन्धा लगा लो। अन्त में स्पीकर साहब, मैं इस बिल को स्पोर्ट करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री मूलचन्द जैन(सम्भालखा): स्पीकर साहब, खादी बोर्ड के ऐडमिनिस्ट्रे न को मजबूत करने के लिये सदन में बिल लाया गया है। मैने अपनेसाथियों से निजी तौर पर इसको डिसकस किया है। मैं इस बिल के मकसद से सहमत हूं, इसको अपोज नहीं करता क्योकि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के काम की बहुत अहमीयत है, हरियाणा के लिये ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान के लिये इसकी अहमीयत है। आल इंडिया खादी बोर्ड भी है ओर हमारी स्टेट में भी खादी बोर्ड है जिसके लिये यह बिल लाया गया है। मैं खीफ मिनिस्टर साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि अभी –2 सैन्टल गवर्नमेंट का बजट पे ा करते हुये फाईनैंस मिनिस्टर ने अन–एम्पलायमैंट का जिक्र किया। उन्होने बहुत प्रोमिनेंट तरीके से बात कही कि अन–एम्पलायमैंट को दूर करने के लिये सबसे पहला नम्बर ऐग्रीकल्चर का है। एग्रीकल्चर के बाद खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पहला दर्जा ऐग्रीकल्चर ओर दूसरा खादी और ग्रामोद्योग का है। स्पीकर साहब, श्रीमती सुशमा स्वराज जी ने बडी अच्छी बात कही। चौधरी रिजक राम जी भी अच्छी बात कही, चाहे तन्जन में कही, चाहे सीरिसयली कही। (व्यवधान) खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड का चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर उसको लगाया जाये जो बोर्ड के काम में दिलचस्पी रखता हो, उसकी फिलासफी से सहमत हो। जब मैं फाईनेंस मिनिस्टर था, मैनें डायरैक्टर आफ इंडस्ट्रीज को बुलाया और उन्हें बताया कि मैं पार्टिकुलरी इस काम में दिलचस्पी रखता हूं , इसके लिये आप कोई स्कीम बनायें आपकों फाइनैंस की कोई चिन्ता

नहीं होगी। मगर उनके दिमाग में कुछ ऐसी बातें थी जिनका खादी से कोई सम्बन्ध नहीं था। सीनियर आफिसर्ज के बारे में मेरा पर्सनली कोई गलत ख्याल नहीं है क्योंकि अक्सर वे नेक आदमी है और काम करना चाहते है लेकिन उनकी अपनी अपनी रूचि है। इसलिये मैं चाहता हूं कि किसी रूचि वाले आदमी को इसमें आप लगायें और तीन वर्श तक लगातार उसे यहां रखे। पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज कमेटी में भी कार्पोरे ाजं को ऐग्जामिन करने के बाद हमने सिफारि ा की थी कि कम से कम तीन साल तक मैंनेजिगं डायरैक्टर्ज वगैरा को कार्पोरे ान मे रखना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि 6 महीने के बाद उन्हें बदल दिया जाये। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके लिये फंडज जो है वह गवर्नमेंट आफ इंडिया ग्रान्ट और लोन की भाक्ल में देती है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को भी काफी पैसा ऐलोकेट करना चाहिये क्योकि बेरोजगारों को ऐम्पलायमैट देने वाला यह दूसरे नम्बर का साधन हैं आपके अपनेसर्वे के अनुसार गरीबी की रेखा के नीचे हरियाणा में तीस से लेकर चालीस परसैंट तक लोग रहते है। उनके लिये आप क्या कर रहे है? यह खादी बोर्ड का काम है जो डायरैक्ट उनको फायदा पहूंचाता है। देहात में जितने भी दस्तकार है उनको इससे बहुत फायदा होता है लेकिन इसके कवर में भी काफी बडे लोग ऐसे आ गये है जो छोटे दस्तकारों के नाम से एक एक लाख रूपये का कर्जा ले जाते है। तो चीफ मिनिस्टर साहब इस बात का ध्यान रखें कि वह एक एक लाख और दो दो लाख रूपये का कर्जा खादी बोर्ड न दे। छोटे दस्तकारो को ही

कर्जा मिले, उसे गलत लोग न ले जाएं। आर्टिजन्ज के लिये जो चीज बनी है उसको भी गर बडे इंडस्ट्रियलिटस ले जाये तो यह गलत बात होगी। इसके अलावा गवर्नमेंट को इनकी प्रोडयूस बिक्री का भी कुछ इन्तजाम करना होगा। आर्टिजन्ज जो पैदा करे मार्किट में अगर उसका मुकाबला फैक्टरी में प्रोडयूस हूये गुडज से होगा तो कैसे काम चलेगा? इसकी तरफ भी खासतौर परसरकार को ध्यान देना होगा। जब तक आर्टिजन्ज के प्रोडयूस की बिक्री का इन्तजाम आप नहीं करेगें तब तक खादी बोर्ड का काम ठीक नहीं होगा। यही दो तीन सुझाव मैनें देने थें मैं समझता हूं गवर्नमेंट, ,खादी बोर्ड के चेयरमैन, डायरेक्टर और डिप्टी डायरैक्टर इंडस्ट्रीज आदि सभी आफिसर्ज इस तरफ ध्यान देगें।

चौधरी रामकि ान (सफीदों): आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार को केवल एक सुझाव देना चाहता हूं। चौधरी रिजक राम जी ने यहां कहा कि खादी बोर्ड का चेयरमैन ऐसा होना चाहिये जो खादी पहनता हो और भाराब न पीता हो। मेरी आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना है कि अगर वह चौधरी जगजीत सिंह पोहलू को इसका चेयरमैन लगा दे ंतो बडी कृपा होगी। (हंसी)

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल): आदरणीय अध्यक्ष जी, बाबू मूलचन्द जैन जी ओर चौधरी रिजक राम जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिये। खादी बोर्ड का जो मेन मकसद है वह यह है कि देहात में जो सबसे पिछडा हुआ वर्ग बसता है उसका स्तर उंचा करने के लिये उन्हें कज्र दिया जाए ओर इसी उद्दे य की पूर्ति

के लिये यह अमैंडमेंट करने की सोची है। हमने महसूस किया है कि जब तक हम किसी सरकारी आदमी की पूरी जिम्मेवारी के साथ काम करने की डयूटी नहीं लगायेगें तब तक हमारी जो मं ाा है इस प्रोग्राम को पूरा करने की वह हम पूरा नहीं कर पाएगें। इस बात को लेकर हमने यह अमैंडमेंट की है। मैं सदन को वि वास दिलाना चाहता हूं कि हम बहुत ठीक और सही आदमी को इसमें लगायेगें। जिस आदमी का वास्ता गरीबों से रहा होगा या ऐसा व्यक्ति जो गरीब घर में पैदा हुआ होगा, जिसको गरीबों के साथ हमदर्दी होगी, ऐसे आफिसर को छांट कर हम वहां लगायेगें जताकि इस खादी बोर्ड का सही फायदा देहात के गरीब और आम आदमी को पहूंचे।

चौधरी रिजक राम और बाबू मूलचन्द जैन जी ने यह भी कहा कि कोई ऐसा अफसर नहीं लगाना चाहिये जो भाराब पीने वाला हो ओर जो खादी न पहनने वाला हो। अध्यक्ष महोदय, खादी पहनना बहुत फायदेंमद है इसमें दो राय नही लेकिन खादी पहनने की जो बात दे ा आजाद होने से पहले राश्ट्र पिता महात्मा गांधी जी ने कही थी उसका मतलब कुछ और था। उस समय सारे का सारा कपडा विदे ाो से आता था। उस कपउे का बहिश्कार करने के लिये ओर गरीब आदमी को रोजगार देने के लिये उन्होने कहा था कि हाथ से बुना हआ मोटा कपडा पहन कर सादा जीवन व्यतीत करना चाहिये। आज 99 परसैंट कपडा हमारे दे ा में बनता हैं इसलिये कोई आदमी खादी पहने या न पहने

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम सरकारी अधिकारियों को बाध्य नहीं कर सकते कि वह खादी अव य पहने। इसलिये यह कहना किउसी सरकारी अधिकारी को वहां लगाया जाये जो खादी पहनता हो ठीक नहीं। आज तो वैसे भी हजारों मे एकआदमी खादी पहनता है। सियासी आदमी भी, जो पहले खद्दर पहनने की बात कहते थे, आज दूसरे कपउे पहनते है लेकिन फिर भी हम पूर्ण चेश्टा करेगें कि ाादी पहनने वाला व्यक्ति ही इसका चेयरमैन बने और एक अच्छा अधिकारी इसका चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर लगे।

अध्यक्ष महोदय, बहिन सुशमा जी ने कहा कि उनक हलके में हाउसिंग बोर्ड की कालोनी का काम अगर उनके इस्तीफा देने से जल्दी भाुरू हो जाए तो वे इस्तीफा दे देगी। उन्होने यह भी कहा कि वह कालोनी इसलिये नही बनती क्योकि वे अपोजि ान की मैंबर है। स्पीकर साहब, मैं बडे अदब के साथ हाउस को बताना चाहता हूं कि इस सरकार के दिल में ऐसी बात नही है। चाहे कोई अपोजि ान का मेंबर है , याहे हमारी पार्टी है, हम सबको एक सा मान कर चलते हैं किसी एम0एल0ए0 के प्रति इस सरकार के दिल में द्वेश भावना नही है। जहां तक अम्बाला में हाउसिंग कालेानी बनने का ताल्लुक है उसमें जमीन वगैरा की कुछ दिक्कत आ गई थी। बहिन जी ने मेरे वि वास दिलाने की बात भी यहां कही। अध्यक्ष महोदय, मैने यह नहीं कहा था कि तीन महीने के अन्दर उस कालोनी को बना देगें, मैने तो कहा था कि बहुत जल्दी बनाने की कोि ा ा करेगें।वहां हाउसिंग कालोनी

बनाई जाये इसके लिये हमने पग उठाये है। काम भुरू तो नहीं हुआ लेकिन काम भुरू करने की तरफ पग उठाये है। इसी तरह से पानीपत में भी कालोनी न बनने की बात यहां आई। कहा गया कि सरकार ने पानीपत में 7–8 साल से पैसे जमा कर रखे है लेकिन अभी तक कालोनी नहीं बनी। यह सुनकार मुझे हैरानी हुई। यह बात ठीक है कि जिन लोगों ने 7–8 साल से पैसे जमा करा रखे है उनको अगर मकान न मिले तो बहुत गलत बात होगी। इसके बारे मैं, अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस को आ वासन देता हूं कि इस दि ाा में सरकार बहुत तेजी से कदम उठायेगी और चेश्टा करेगी कि ये कालोनीज जल्दी से जल्दी बनें। इन भाब्दों के साथ मैं आपके द्वारा हाउस से प्रार्थना करूंगा कि यह बिल पास किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्र न है कि –

दि पंजाब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड (हरियाणा सैकिंड अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लासिज 2 से 11

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाजिज 2 से 11 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनक्विंटग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि अनैक्विटंग फार्मूला बिल का अनैंक्विटग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल): मैं प्रस्ताव करता हैं–

कि बिल पास किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि बिल पास किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि बिल पास किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दि पंजाब कोर्टस (हरियाणा सैंकिड अमैंडमेंट) बिल, 1980

परिवहन मंत्री (श्री जगन नाथ): अध्यक्ष महोदय, मैं दि पंजाब कोर्टस (हरियाणा सैकिण्ड अमैंडमेंट) बिल पे ा करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि–

दि पंजाब कोर्टस (हरियाणा सैकिण्ड अमैंडमेंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि पंजाब कोर्टस (हरियाणा सैकिण्ड अमैंडमेंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जावे।

श्री मूलचन्द जैन(सम्भालखां): इस बिल की आव यकता तो आज से पहले ही थी क्योंकि डेढ़ साल पहले पंजाब एक्ट में सं ाोधन करके हरियाणा में सैकिन्ड अपील पर पाबन्दी लगा कर

मेरी राय में गलती की थी। मेरी राय में अब उस गलती में सुधार किया जा रहा है। यह बडी खु ाी की बात है हालांकि इस ओर सरकार की तवज्जोह पहले ही जानी चाहिये थी, जब हमारी सरकार थी उस वक्त भी इस और तवज्जोह जानी चाहिये थी। जब हमारी सरकार थी उस वक्त भी इस ओर तवज्जोह जानी चाहिये थी। कुछ वकील लोग चीफ मिनिस्टर साहब से मिले है। उनके मिलते ही उन्होनें इस बात की जरूरत महसूस की , इसलिये वे इतनी जल्दी इस बिल को लाये हैं।

बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी में हमने इस प्वांयट को उठाया था कि कोई भी बिल हो वह कम से कम 15 दिन पहले आना चाहिये। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे किसी बिल को लाया नहीं जा सकता। लेकिन यह बिल पब्लिक इन्ट्रैस्ट में है, इसलिये इसके बारे में मैनें कहा था कि हम इसकी मुखालफत नहीं करेगें। अब पंजाब के भाई तो हाई कोर्ट में सैकिण्ड अपील में आसानी से जा सकते थे लेकिन हरियाणा वालों पर पाबन्दी लग गई थी। हरियाणा के केसिज ना मंजूर होते थे ओर पंजाब के मंजूर होते थे। इसलिये यह बिल लाकर सरकार ने अच्छा काम किया है।

श्री अध्यक्ष : प्र न है कि–

दि पंजाब कोर्टस (हरियाणा सैकिण्ड अमैंडमेंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्र न हे–

कि अनैंक्टिग फार्मूला बिल का अनैंक्टिग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः प्र न हैं–

कि टाइटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

परिवहन मंत्री (श्री जगन नाथ): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि बिल पास किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि बिल पास किया जाये।

चौधरी रिजक राम (राई): स्पीकर साहब मैं तो केवल धन्यवाद करने के लिये खड़ा हुआ हूं क्योंकि आखिरी दिन है और हम एक बहुत ही अच्छा बिल पास कर रहे है जिससे सभी सदस्यों को खु ाी है । जो हमारे विरोधी दल के सदस्य है उनकी आत्मा को भी प्रदान हुई। (हंसी) स्पीकर साहब जैसी कि आपकी इच्छा थी कि हम गुडविल लेकर यहां से जायें, ऐसा ही गुडविल वाला बिल आ गया है।

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि बिल पास किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव–

हरियाणा सरकार द्वारा नियुक्त किये गये आयोग द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिये सिफाारि ा किये गये वेतनमानों तथा अस्थायी तदर्थ आधार पर तथा वर्क चार्ज कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने सम्बन्धी।

श्री अध्यक्ष: चौधरी रामलाल वधवा की रूल 84 के तहत एक मो ान है। वह कृपया अपनी मो ान मूव करें।

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Sir, I beg to move-

"That the policy of the State Government regarding payh scales of Government employees recommended by the Pay Commission appointed by the Haryana Government and regulaisation of services of temporary, Adhoc basis and work-charge employees including teachers and P.W.D., departments and situation arisen therefrom be taken into consideration.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the policy of the State Government regarding pay scales of Government employees recommended by the Pay Commission appinted by the Haryana Government and regularisationof services of temporary Adhoc basis and work-charge employees including teachers and P.W.D,. Departments and situation arisen therefrom be taken into consideration.

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल): स्पीकर साहब, इस मो ान के दो पार्ट है। एक पार्ट तो यह है कि गवर्नमेंट ने जो पे–कमी ान बनाया था, उसने जो पे–स्केल रिकमैंड किये है वे

लागू होने चाहिये। दूसरा पार्ट यह है कि जो टेम्परेरी वर्कचार्ज्ड ऐम्पलाइज है उनको रेगूलर किया जाये। यह तो वही बात है–

मेरे कतल के बाद उसने की जफा से तोबा

हाय उस जोदे प ोमां होना।

स्पीकर साहब मैं आपका ध्यन 17–3–80 की प्रोसिडिंग की और दिलाना चाहता हूं। यह प्र न 17–3–80 को पहले भी सदन में पे ा हुआ था ओर उस पर डिस्क ान हुई थी। उस समय भी इस पर हाफ एन आवर डिस्क न हुई थी। जस प्रोसिडिग के पेज 163 पर है कि जिन कर्मचारियों, अधिकारियों पर यह रिपोर्ट लागू होगी उनके साथ ठीक तरह से न्याय होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और यह रिपोर्ट तीन महीने में लागू कर देगें। अध्यक्ष महोदय सरकार ने अन–पार्लियामेंटरी कनवे न ान कायम की है। मैनें चीफ मिनिस्टर साहब के खिलाफ प्रिवलिज मो ान भी भेजा था लेकिन वह आपने रिजैक्ट कर दिया है। स्पीकर साहब एक मोटी सी बात है कि कोई मो ान मुव हुई हो और वह सरकार के नोटिस में भी में भी आई हुई हो परन्तु सरकार यह कह दे कि यह ब्रीच आफ प्रिवलिज नहीं बनता।

आप अन्दाजा लगायें कि जब एक क्लीयरकट अ योंरेन्स दी गई हो कि तीन महीने मे हम उसकों लागू कर देगें और वह अ योंरेस पूरी न की गई हो तो वह ब्रीच आफ प्रिवलिज कैसे नहीं बनता? क्या मुख्य मंत्री जी ने उस अ योंरेस

को तीन महीने में लागू कर दिया है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी यह मामला गया था ओर मुख्य मंत्री जी को यह भी पता था कि यह मामला हाउस में है।

अध्यक्ष महोदय, टाईम फिक्स हो गया था और जब मुख्य मंत्री जी को और सदन को यह पता था कि यह मामला हाउस के सामने है तो पे–कमी ान की रिपोर्ट के बारे में उन्हें हाउस को कोन्फीडेन्स में लेना चाहिये था। हाउस को कौन्फीडेन्स में लिये बगैर पे–कमी ान के संबंध में प्रैस वालों को कौन्फीडेन्स में लेना ठीक नहीं था। मुख्य मंत्री जी हम को तो कहते है कि हम प्रैस कान्फ्रैस करते है लेकिन अब स्वयं मुख्यमंत्री जी ने प्रैस को पे–कमी ान के संबंध में कौन्फीडेंस में लिया है जो कि उचित नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह अब अनपार्लियामेंटरी कन्वे ान आ गई हैं और मैं समझता हूं कि अब इस मामले पर बहस की बात ही नहीं रही है। पे–कमी ान के बारे में अखबार में सब कुछ छप चुका है। अब उस को पढ कर देखने का समय नहीं है। 10तारीख का पेपर मेरे पास है। पे–कमी ान की रिपोर्ट पर बहस के लिये 12तारीख फिक्स होते हूये भी इन्होने अखबारों में इस को छाप दियां वह रिपोर्ट कितनी लम्बी चौड़ी है, इसको टैली करना और उस का अध्ययन करना मेरे बस की बात नहीं रही कयोकि समय ही नहीं दिया गया। किस किस कर्मचारी के साथ अन्याय हुआ है यह तो रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ही पता चलता लेकिन अब कुछ पता नहीं चल रहा है। अब जब अधिकारी इस

अन्याय के खिलाफ अपना रोश प्रकट करेगें कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है तब देखा जायेगा। लेकिन स्पीकर साहब, मै आपके द्वारा सरकार से इतना अव य कहना चाहता हूं कि उसको कम से कम सदन की गरिमा को ध्यान मे ंरखना चाहिये था। जब इस प्रकार का कोई मामला हो तो उसे पहले हाउस मे लाना चाहिये, उस पर डिस्क ान होना चाहिये। लेकिन रकारने उसको प्रेस में प्रसारित कर दिया। कर्मचारियों की जब हमारे पास दुबारा ि ाकायतें आयेगी तो तभी इस सवाल को उठाया जा सकेगा कि किस –किस के साथ अन्याय हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं जो उठाना चाहता हूं वह है वर्कचार्ज ऐम्पलाईज के संबंध में। अध्यक्ष महोदय, उसी दिन इन्होने आ वासन देते हुये यह कहा था जो सफा 165 पर है कि जहां तक वर्क चार्ज एम्पलाईज का ताल्लूक है जिन की सेवा अवधि दिनांक 31–12–78 तक 5 वर्श की हो चुकी होगी उन सब की सेवाओं को रेगूलर कर दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से दूसरी कैटेगरीज के लोग भी होगें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके नोटिस में यह लाना चाहता हूं कि इतना बड़ा फैसला सरकार ने किया था लेकिन उसको लागू नहीं किया गया, उस पर अमल नहीं किया गया लेकिन ये कह रहे है कि हमने सब को रैगूलर कर दिया हैं सरकार तो कहती है कि हमने सभी वर्क चार्ज एम्पलाईज की जिनकी सेवा की अवधि 5 साल की हो चूकी है, रैगूलर कर दिया है। लेकिन मुझे वर्कचार्ज एम्पलाइज की तरफ से

मैमोरेडम प्राप्त हुआ है। अगर मैं उस को पढूंगा तो एक घंटा लग जायेगा। उनकी तरफ से इ तिहार छपे हूये है, वे लोग चीख पुकार कर रहे है कि किसी भी वर्क चार्ज कर्मचारी को रैगूलर किया गया। यह मेरे पास मैंमोरेंडम है अगर आप कहें तो मैं इसे आपकी मेज पर रखवा देता हूं। सरकार केवल महत्व की बात करती रहती है लेकिन उस पर अमल नहीं करती। हाउस के अन्दर मुख्य मंत्री आ वासन देते है लेकिन हाउस के समाप्त होने के बाद उन आ वासनेां ंकी तरफ ध्यान नहीं देते। अध्यक्ष महोदय मैं यह भी आपके नोटिस मे लाना चाहूगां कि यदि सै ान न आया होता तो भाायद पे–कमी ान की रिपोर्ट का फैसला भी इतनी जल्दी नहीं होता। किस हद तक इन्होने पे–कमी ान की रिपोर्ट का फैसला किय, कितना बेचारों के साथ अन्याय हुआ है, कुछ पता नहीं है।मैं मुख्य मंत्री जी के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि –

नहीं ि ाकवा मुझे कुछ बेवफाई का तेरी हरगिज

गिला तब हो अगर तू ने किसी से भी निभाई हो

अध्यक्ष महोदय, यह रैजोल्यू ान पे ा करने से पहले ही इन्होने पे–कमी ान की रिपोर्ट के बारे में फैसला कर लिया। जो रैजोल्यू ान मैंने सदन के सामने रखा था उसके बारे में तो एम्पलाइज ही अपनी प्रतिकिया व्यक्त करेगें क्योंकि उन्ही को ही पता होगा कि उनके साथ न्याय हुआ है या नहीं। यदि उनकी

कोई लिखित ि ाकायत हमारे सामने आई तो हम अव य उसे सदन के सामने रखेगें और सरकार का ध्यान उस और दोबारा आकर्शित करेगें।

स्पीकर साहब दूसरी जो बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हाउस के अन्दर सरकार का और मुख्यमंत्री का बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य और एक अहम रोल होता है। सरकार की और से या मुख्यमंत्री की और से जो अ योरेंन्स सदन के समने दी जाये उसे पूरा किया जाना चाहिये। यह सरकार अमीरों की तो बात सुन लेती है लेकिन बेचारे गरीब भाइयें की कुछ नहीं सुनती। वे बेचारे सड़कों के उपर तम्बू लगाये हुये बैठे है। उन बेचारों ने बोर्ड अपनी मांगों के संबंध मे लगाया हुआ हैं लेकिन उनकी सुनवाई कोई नहीं करता। पिछली बार सै ान के अन्दर सी0एम0साहब ने यह आ वासन दिया था जिसकों में दोहराना नहीं चाहता। अध्यक्ष महोदय, वर्क चार्ज एम्पलाईज पिछले 20–20 सालों से लगे हूये है। वे बेचारे गरीब आदमी है, उनको कोई सुविधा नहीं मिलती, पे–स्केल नहीं मिलता। आखिर उनके भी तो बाल बच्चे है, उनको भी तो अपने परिवार का पालन पोशण करना हैं उनको एक मिनट के नोटिस में हटाया जासकता है, उनकी सर्विस की कोई गारन्टी नहीं है। मैं सरकारसे कहना चाहता हूं कि उन बेचारों के साथ अन्याय न करें, न्याय किया जाये। मुझे पूर्ण आ ाा है कि उन बेचारों की पैरवी के लिये सरकार पूरी कोि ा ा करेगी ओर उन

को रैगुलर करेगी। मैं चाहूंगा कि इस के संबंध में हाउस के सामने फैसला हो जाना चाहिये। (ाोर एवं आवाजें)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, चौधरी राम लाल वधवा जी को मिसलीड कर रहे है। हाउस के अन्दर मैनें अनाउसमेंन्ट की थी कि 31–12–78 तक जिन वर्कचार्ज ऐम्पलाइज की सेवा अवधि 5 साल की पूर्ण हो चुकी है उन सब को रैगुलर कर दिया गया है।

चौधरी राम लाल वधवा: मेरे पास लिखित में जो नोटिस आया है वह मैं पढ़ देता हूं। यह मुझे पी0डब्ल्यू0डी0 के कर्मचारियों की और से प्राप्त हुआ है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पढ़ने मैं बहुत समय लगेगा। Chief Minister has assured the House that the services of all those work charged employees who have completed 5 years service on a particular date have been regularized. However, Wadhwa Sahib, I am quite prepared to believe where their services might not have yet been regularized. I do not rule out that possibility. But the Chief Minister has stated that orders have already been issued.

चौधरी राम लाल वधवा: अध्यक्ष महोदयख एक बात मैं आपके सामने स्पश्ट कर देना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी अभी यह कह रहे थे कि मैं हाउस को मिसलीड कर रहा हूं। स्पीकर साहब, मुझे लिखित में जो पत्र प्राप्त हुआ है, मै आपको उस यूनियन का नाम तथा जिससे यह प्राप्त हुआ है पढ कर सुना देता हूं। वह इस

प्रकार है, 'राजेन्द्र सिंह, प्रांतीय प्रधान, हरियाणा राज्य, पी0डब्ल्यू0डी0 मकैनिकल वर्क्रज यूनियन, रजिस्टर्ड संख्या 41/1967' (ाोर एवं आवाजें) यह एक रजिस्टर्ड बौडी हैं इसमें लिखा हुआ है कि राज्य की जनता तथा आपके सहयोग का ही परिणाम था कि 17–3–1980 को विधान सभा में मुख्यमंत्री ने यह घोशणा की थी कि उन सभी वर्कचार्ज एम्पलाईज की सेवायें नियमित कर दी जायेगी जो 31–12–1978 को 5 वर्श की सेवा कर चुके है। जबकि इस सम्बन्ध में सरकार का निर्णय भी हो चुका है, हम आपके नोटिस में यह तथ्य प्रस्तुत करने के लिये मजबूर हो गये है कि किसी भी कर्मचारी की सेवाएं नियमित नहीं की गयी है। (ाोंर एवं व्यवधान)

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, यह मैंमोरेंडम है।(ाोर)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, देखिये इस बात को स्पोर्ट करने के लिये डाक्टर साहब भी खडे है। (ाोंर एवं व्यवधान)

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, यह मैंमोरेंडम राजेन्द्र सिंह, प्रांतीय प्रधान, हरियाणा राज्य पी0डब्ल्यू0डी0 मैकेनिकल वर्कर्ज यूनियन (रजिस्टर्ड) की तरफ से है, मै इसे आपकी इजाजत से सदन के पटल पर रख रहा हूं। (ाोंर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, आप इसको कवरिंग लैटर के साथ मुझे फावर्ड कर दें। उसके I will get it replied from the Government.

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैं आपकी इस बारे में रूलिंग चाहूंगा, कि क्या कोई आनरेबल मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर इस हाउस को मिसलीड कर सकता है ओर अगर कोई मिसलीड करे तो उसका उपाय क्या है? (ाोंर एवं व्यवधान)

Cooperation & Planning Minsiter (Thakur Bir Singh): There is no question of misleading, Sir.

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, मैं आज ही, बल्कि आधे घंटे के अन्दर–2 वह सरकुलर जो हमने इस बारे में इ ा किया है दिखा सकता है। (ाोंर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः देखिये, हर बात की, हर डाकुमेंट की वेरासिटी या उसकी करैक्टनैस चैक करनी चाहिये। मेरा चौधरी राम लाल वधवा जी से निवेदन यह है किवे अपने कवरिंग लैटर के साथ मुझे इस मैंमोरेंडम को भेज दें ताकि मैं गवर्नमेंट से इस बारे में जवाब ले सकूं।(ाोंर एवं व्यवधान)

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: I should be part of the proceedings, Sir, क्योंकि यह यहां पर पार्टली पढ़कर सुनाया गया है।

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, मैं इस बात की कोि ा ा कर रहा हूं कि आज हाउस उठने से पहले पहले, वह सरकुलर जो हमने उनकी रैगुलेराइजे ान के बारे में इ ाु किया है, आपको दिखा दूं। आप फिर उसके बाद इस बात का अन्दाजा खुद लगायें कि हाउस को कौन मिसलीड कर रहा हैं। मैंने मिसलीड किया है या ये कर रहे है?

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, मेरे पास यह अथोंटिक डाकुमेंट है। (ाोंर एवं व्यवधान)

श्री मूलचन्द जैनः स्पीकर साहब, जो कुछ सी0एम0 साहब ने कहा है, हो सकता है वह भी ठीक हो और जो कुछ माननीय मैंबर कह रहे है, वह भी ठीक हो। देखने वाला प्र न यह है कि जो सरकार ने एक सरकुलर इ ाु किया है, वह इम्पलीमेंट भी हो रहा है या नहीं (ाोंर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लालः वह तो यह कहते है कि इ ाु ही नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्षः यह हो सकता है कि सरकुलर इ ाु हो गया हो, लेकिन कुछ केसिज जो डिस्पयुटिड है वे रह गयें हो ओर बाकी के केसिज में इम्पलीमेंट हो गया हो (ाोंर एवं व्यवधान)

श्री मूलचन्द जैनः अगर चन्द केसिज ऐसे रह गये है तब तो ठीक है।

Mr. Speaker: You are right.

श्री मूलचन्द जैनः हम भी सरकार मे रहे है। हमें भी यह पता है कि कोई भी जो फैसला हो जाता है उसके इम्पलीमैंट होने में काफी देर लग जाती है। कई दफा डायरेक्टोरेट लैवल पर तो कई दफा सेक्रेटेरियेट लैवल पर एतराजात लग जाते है.....
.....

Mr. Speaker: It is quite possible.

श्री मूलचन्द जैनः ऐसी तो कोई बात ही नहीं होगी कि सरकार का इस बारे में कोई फैसला ही न हुआ हो। फैसला तो हुआ होगा लेकिनसवाल तो सिर्फ उस फैसले की इम्पलीमैंटे ान का है। (ाोंर एवं व्यवधान)

चौधरी राम लाल वधवाः मैने हाउस को कहां मिसलीड किया है? यह रोजाना इस तरह की मिस लीडिग स्टेटमेंटस देते है। (ाोंर एवं व्यवधान) हमें तो स्पीकर साहब हुक्म कर दें, हम खड भी नहीं होगें (ाोंर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: I have made it quite clear that I can only decide it if the thing is before me. अब यह डाकुमैंट चौधरी राम लाल वधवा के पास है। मुख्य मंत्री जी ने भी इस बारे में कोई डाकुमैंट इ ा किया है। इन दोनों को देखें बगैर how can I give a decision?

चौधरी राम लाल वधवा: यह जो हाउस को मिस लीड करने वाली बात कह रहे है, मैं उस सम्बन्ध में आपसे इस मैंमोरेंडम से एक लाइन और पढ़कर सुनाने की इजाजत चाहुंगा।इसमें आगे यह लिखा हुआ है– ''इस स्थिति से सिंचाई मन्त्री श्री मेहर सिहं राठी जी को यूनियन के ि ाश्ट मंडल द्वारा रोहतक के रैस्ट हाउस में 5–7–1980 को अवगत कराया गया तो उस ि ाश्ट मंडल को राठी जी ने यह बताया कि अधिकारियों की मर्जी के सिवाय कुछ नहीं कर सकते और अगर काम नही ंतो छांटी भी होगी' (ाोर एवं अध्ययन)

श्री अध्यक्ष: चौधरी राम लाल जी, मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि किसी एक कर्मचारी की ऐसी रिपोर्ट हाउस के सामने पढना उचित नहीं मालूम होता। (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी राम लाल वधवा : स्पीकर साहब, वह कोई कर्मचारी नहीं है वह एक जिम्मेदार व्यक्ति है जो कि यूनियन का प्रधान है वह आगै लिखत4ा है कि जब हमने उन्हे याद दिलाया है कि मुख्य मंत्री महोदय ने 7–3–1980 को हाउस में यह आ वासन दे रखा है कि जिन वर्क चार्ज व्यक्तियों की सेवा 31–12–1978 को 5 वर्श की हो गयी है, उन सब को रैगुलर करने का निर्णय लिया गया है तो श्री राठी जी ने यह कहा कि विधान सभा में तो ऐसी बातें होती रहती है.....(ाोर)

Shri Verender Singh: He might have said, Sir.

Mr. Speaker: You send it to me in my office.

चौधरी रिजक राम(राई): स्पीकर साहब, यह जो राम लाल वधवा है, यह तो थकते नहीं है चाहे इनको दो दिन तक बुलाते जाओ। इनको दूसरों पर रहम भी नहीं आता। स्वंय इन्होने पे–कमी ान की रिपोर्ट के बारे में कहा है कि उसके बारे में बोलने के लिये इनके पास कुछ भी नहीं है। वर्क चार्ज एम्पलाईज के बारे मे मुख्य मंत्री महोदय ने आ वासन भी दे दिया है और वह सरकुलर भी इ ा हो गया है इसलिये इस सम्बंन्ध में भी बोलने के लिये कुछ नहीं रहजाता। पे–कमी ान की रिपोर्ट चूंकि अभी इम्पलीमैंट हुई है, उसके बारे मे ये खुद अभी फरमा रहे थे कि उस पर कोई बहस नहीं कर सकते कि उसमें यह कमी हैं ये तो यूंही हाउस का टाईम खराब कर रहे है। (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी रामलाल वधवा: मैं एक तथ्य पे ा कर रहा हूं और हाउस के एक सीनियर मेंबर यह कह रहे है कि यह हाउस का टाईम खराब हेा रहा है, यह उन्हे भाोभा नहीं देता।

चौधरी रिजक राम: स्पीकर साहब, मेरी गुजारि ा यह है कि इस मामले को अब खत्म किया जायें और अगला आईटम लिया जाये। (ाोर एवं व्यवधान)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: इस वक्त दो बजकर पच्चीस मिनट हुये है। हाउस के डिसीजन के अनुसार दो बजकर तीस मिनट तक सै ान

चलना है। मेरा सुझाव यह है कि अगर हाउस की अनुमति हो तो बैठक का समय एक घंटे के लिये और बढा दिया जावे?

आवाजें: अब तो जल्दी किया जावे।

श्री अध्यक्ष: ऐसा लगता है कि कई साहेबान को भूख लग रही है। इसलिये सवाल यह है कि अभी एक घंटा और कन्टीन्यू किया जाये या एक घन्टे की लन्च ब्रेक के बाद फिर मीट किया जाये?

आवाजें: एक घंटा और कन्टीन्यू किया जाये।

श्री अध्यक्ष: हाउस का समय एक घंटा और बढ़ाया जाता है।

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

श्री हीरानन्द आर्य (लोहारू): अध्यक्ष महोदय, चौधरी राम लाल वधवा जी ने जो बात कही है, वह बिल्कुल ठीक बात है। मै यह कहना चाहता हूं कि जहांवर्क चार्ज एम्पलाइज को रैगुलर नहीं यिका गया वहां जो एडहाक एम्पलाइज थे, उनको भी रैगूलर नहीं किया गया। एजुके ान डिपार्टमेट के कुछ टीचर्ज थे, जिनको हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है वरना इन्होने तो उनको सर्विस से निकाल दिया था। (ाोर एवं व्यवधान) एडहाक एम्पलाईज के बारे में भी मुख्य मंत्री महोदय अनेक बार आ वासन दे चुके है। यह आ वासन इतने है कि इनकी अगर मैं चच्रा करन लगूं तो काफी

समय लग जायेगा। मुख्य मंत्री महोदय ने 5 अगस्त को अध्यापक दिवस के अवसर पर अध्यापको को कुछ आ वासन दिये थे मैं यह समझता हूं कि उनमें से भाायद ही एक आध कोई आ वासन पूरा किया हो, वरना वाकी सब यूं के यूं ही पडे हुये है। (ाोर एवं व्यवधान)

मुख्य संसदीय सचिव (श्रीमती भाान्ति देवी): 5 अगस्त को कोई आ वासन नही दिया गया। यह डेट गलत हैं । हां, 5 सितम्बर को जरूर दिये गये थे। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री हीरानन्द आर्य: धन्यवाद, हो सकता है वह तारीख 5 सितम्बर ही हो। मुझे डेट अच्छी तरह से याद नहीं थी कि वह 5 अगस्त थी या 5 सितम्बर। (ाोर एवं व्यवधान) जहां हम दूसरे एम्पलाइज की बात करते है वहां हम यह देख रहे है कि हमारे यहां पर ऐसे एम्पलाइज है, जो काले बिल्ले लगाये हूये है। उनकी भी कोई न कोई मांग होगी।कोई व्यक्ति काला बिल्ला यूंही नहीं लगाता। काला बिल्ला अफसोस पर, दुख पर या रिजैन्टमैंट भाो करने के लिये लगाया जाता है। इसलिये मेरी प्रार्थना यह है कि उनकी मांग की तरफ भी उचित ध्यान दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि एडमिनिस्ट्रे न को ठीक प्रकार से चलाने के लिये यह उचित ही है कि जिन वर्कचार्ज कर्मचारियों की सेवा 5 साल की हो गयी है और जिन एडहाक कर्मचारियों की सेवा 2 साल की हो गयी है, उनको रैगुलर किया जाये। जब तक इनको रैगुनर नहीं किया जायेगा तब तक वह एडमिनिस्ट्रे ान ठीक प्रकार

से काम नहीं कर सकता। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि दो साल की सर्विस वाले सभी एडहाक कर्मचारियों को रैगुलर कर दिया जाये। इतना कह देने से हमने सरकुलर इ ा कर दिया है, काम नहीं चलेगा। जब तक खना किसी के पेट मे न चला जाये तब तक किसी की भी भूख नहीं मिटती, इसलिये जब तक उनहे वाकई में रैगुलर नहीं कियाजायेगा तब तक उनकी तसल्ली नहीं होगी। मैं बडे दुख के साथ आपको यह बताना चाहता हूं कि 150 हरियाणा रोडवेज के मकैनिकों को हटा दिया गया है और 20 चालक को अम्बाला डिपों से निकाला गया है। आज अनेक एम्पलाइज ऐजीटे ान कर रहे है और सरकार द्वारा बहुत से लोगों को निकाला जा रहा है। इस प्रकार के रवैये से एम्पलाइज के अनदर बडा भारी रिजैन्टमेंट हैं ऐसी हालत में एडमिनिस्ट्रे न कैसे ठीक चल सकता है। आज सारा एडमिनिस्ट्रे न पैरालाइज है। एम्पलाइज की तमलीफ की औ।र कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा हैं , सारी सर्विसीज में असन्तोश हैं उनकी सर्विस की आज कोई सिक्योरिटी नहीं हैं रोजाना अफसरों के तबादले किये जा रहे है। किसी अफसर को आज यह पता नहीं है कि वह आज है कल को इस जगह होगा भी या नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, आज यह आम चर्चा है कि तबादले इस आधार पर किये जाते है कि कौन कितना पे करता है । (व्यवधान) यह भी कहा जाता है कि जो ऐडहाक एम्पलाइज है उनकी सर्विसीज को रैगुलर करने के लिये कुछ सेवा करनी पडेगी तभी वे रैगूलर होगें। अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा होता है तो इससे भ्रश्टाचार फैलता है। इसलिये मैं दरखास्त

करता हूं कि चौधरी राम लाल के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया जाए।

श्री मूलचन्द जैन(सम्भालखा): अध्यक्ष महोदय, चौधरी राम लाल वधवा ने प्रस्ताव तो सिर्फ यह कियाहै कि वर्कचार्ज कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के बारे में सरकार की नीति तथा उससे उत्पन्न हुई स्थिति पर विचार किया जाये। कोई ऐसा प्रस्ताव हाउस के लिये रिकंमेडे ान नहीं होता। मैं चौधरी राम लाल जी को धन्यवाद देता हूं ि कवे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव हाउस के सामने लाये है। सरकार ने भी पे–कमी ांज की मुखतलिफ रिपोर्टस को रिंसाइकल करके कुछ बातें बहुत ही अच्छी और हिम्मत की है और इसके लिये वह बधाई की पात्र हैं एक बहुत ही अच्छा काम उसने यह किया है जैसे कि ब्रिटि ा डेज में एच0सी0एव0ण् एस0एस0डी0ओज0 और डाक्टर्ज की पे में कोई फर्क नहीं होता था लेकिन उसके बाद इनकी पे मे अन्तर आ गय जिससे कि डाक्टर्ज और टैकनौक्रेटस में बिटरनैस होगई। इस बिटरनैस के बारे में पिछले बजट सै ान में अपोजि ान ने कहा था कि यह बडा भारी अन्याय है कि ब्रिटि ा डेज से जो तरीका चला आ रहा था उसको हमने छोड दियां। स्पीकर साहब, चाहे डाक्टर्ज है और चाहे टैक्नोक्रेटस हैं उनको काफी लेबर करनी पडती हैं और काफी पैसा खर्च करना पडता है तब जाकर वे यहां तक पहुंचते हैं मुझे जहां तक पता लगा है वह यह है कि सरकार ने अब इनके स्केल्ज बराबर कर दिये है। लेकिन स्पीकर साहब,

एक कसर रह गई है। डी0एस0पीज0 के बारें मे इसी हाउस में एक प्रस्ताव पास हुआ था कि डी0एस0पीज0 को भी एच0सी0एस0 के बराबर तनखाह दी जाये। इस प्रस्ताव को पास कराने में रूलिंग पार्टी के भी सदस्य भाामिल थे।

वित्त मंत्री (लाल बलवन्त राय तायल): आप जब मिनिस्टर थे तो आपने तो कुछ नहीं किया था।

श्री मूलचन्द जैनः आप जो काम कर रहे है यह हरियाणा की बेहतरी के लिये कर रहे है। इसमें कोइ मुकाबले की बात नही है। सरकार की म ीनरी कुछ ऐसी है कि किसी भी फैसले को इम्पलीमेंट करने में कुछ टाइम लग जाता है। जून में हमारी गवर्नमेंट चली गई। उसके बाद जनता गवर्नमेंट के नाम से आपकी गवर्नमेंट आई और फिर कांग्रेस (आई) के नाम से आई। स्पीकर साहब, पिछले बजट सै ान में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ था कि डी0एस0पीज0 को, एस0डी0ओज0 को एच0एच0सी0एस0 के बराबर तनखाह दी जाये। मई जून में वह सरकार चली गई और वह मामला वहीं का वहीं रह गया। जब आपने ऐनोमलीज को दूर किया है तो मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि डी0एस0पीज0 पुलिस फोर्स में, लां एडं आर्डर को मैनटेन रखने में बहुत ज्रूरी अंग है। उनके मन में कोई बिटरनैस नहीं रहनी चाहिये ओर इसको जितनी जल्दी हो सके दूर कर देना चाहिये। स्पीकर साहब, मैं एक और जरूरी चीज हाउस के सामने रखना चाहता हूं । अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने चौधरी राम लाल

वधवा के वर्क चार्ज एम्पलाइज के प्रस्ताव के बारे मे कहा है कि यह चीज कवर कर दी है। स्पीकर साहब, सह चीज इम्पलीमेंट हुई है या नहीं इसका मुझे पता नहीं लेकिन जैसा कि चौधरी राम लाल ने कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से एक सरकुलर जारी किया गया है लेकिन इम्पलीमेंट नहीं हुआ। उसमें लिखा है कि जिनको 31—12—78 तक पांच साल हो गये है उनको रैगूलर कर दिया जाएगा लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिनको 31—12—1979 के बाद या जून, 1980 में पांच साल पूरे होगें उनके बारे मे सरकार क्या कहती है। क्या सरकार यह अ योरेंस देने को तैयार हे कि जैसे जैसे पांच साल किसी ीाी वर्क चाजर्ड एम्पलाई को होते जाएंगें उनको रैगूलर करते जाएंगें? मैं कहता हूं कि इस तरह का अ योरेंस सरकार दे। अध्यक्ष महोदय, मैं एक और प्र न उठाना चाहता हूं जिसके बारे में पिछले सै ान में भी आया मालूम होता है। चीफ मिनिस्टर साहब, को कुछ गलतफहमी है और गलतफहमी का भाब्द मैं जानबूझ कर इस्तेमाल कर रहा हूं। उनका ख्याल है कि वर्क—चार्ज्ड का प्वांएट पे—कमी ान में भाामिल नहीं था। मैं कहना चाहता हूं कि वर्क चार्ज्ड भी भाामिल थे। (व्यवधान) आप कुछ संकोच कर रहे है। आप चीफ मिन्स्टिर होते हुये कैसे कह रहे है कि वर्क चार्ज उसमें भाामिल नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि वर्क चार्ज की पोजी ान क्या है? पहले हमको यह समझ लेना चाहिये। एक वर्क चार्ज फिटर है, एक वर्कचार्ज ड्राईवर है। दूसरी ओर एक रैगूलर फिटर है और रैगुलर ड्राईवर है लेकिन वर्क चार्ज ड्राईवर को रैगूलर ड्राईवर के मुकाबले

कम तन्खाह मिलती है। जो दूसरी फैसिलीटीज रैगुलर ऐम्पलाई को मिलती है वे वर्क चार्ज को नहीं मिलती हैं 1961 से लेकर जितने भी पे–कमी ांज बने उन्होने अपनी रिपोर्ट में वर्क चार्ज ऐम्पलाइज को भाामिल नहीं किया। 1967 में जो पे कमी ान बना, उस वक्त मैं मिनिस्टर था। कुछ महीने बाद वह सरकार बदल गई। 1969 में जो पे–कमी ान की रिपोर्ट आई वर्क–चार्ज ऐम्पलाइज उस वक्त भी वंचित रह गये। सभी कैटेग्रीज की तनखाहें बढ गई, वर्क चार्ज ऐम्पलाइज की तनखाहें नहीं बढ पाई। ये बेचारे रोते रहे। उसके बाद चीफ इंजीनियर्ज की मीटिंग हुई, उन्होने रिकमेंड किया कि उनकी तनखाह बढनी चाहिये लेकिन स्पीकर साहब दस बार वर्श तक उनका केस लटकता रहा। 1979 मैं जब मेरे पास फाइल आई तो मैने कहा कि यह बिल्कुल गलत है और मेंने उनको 24 लाख रूपया सालाना दिया। अब दूसरी पे–कमी ान की रिपोर्ट पर विचार हो रहा है। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि एक वर्क चार्ज ड्राईवर है, एक वर्क चार्ज फिटर है उसको अपने काउन्टर पार्ट जो रैगुलर ड्राईवर है या फिटर है उसके बराबर तनखाह मिलना चाहिये। उसको वह सब फैसिलीटीज मिलनी चाहिये जो एक रैगुलर ऐम्पलाई को मिलती है। चौधरी राम लाल वधवा का जो प्रस्ताव है उसमें भीयही मांग की गई है। जितनी तनखाह आप एक रैगुलर फिटर या ड्राईवर को देते है उतनी ही तनखा आप वर्क चार्ज्ड को क्यों नहीं देते? मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि वर्क चार्ज एम्पलाई सरकारी कर्मचारियों में सबसे नीचा जीना है और वह सबसे लो पेड है। जिस प्रकार से चौधरी

भजन लाल ने स्वीपर्स की तनखाह पचास रूपये बढा दी इसी तरीके से यह जो वर्क चार्ज्ड है जो हजारों की तादाद में है और जिनके साथ डिस्क्रिमिने ान हो रहा है ओर किसी गलतफहमी की वजह से उनको पे–कमी ान की रिपोर्ट में भाामिल नहीं कर रहे है, उनके लिये भी कुछ सोचना चाहिये।

केवल बीस तीस लाख रूपये की बात हैं जहां 46 करोड़ का घाटा है वहां दो चार करोड़ रूपया और सही। यह तो चलता ही रहता है। आप स्टेट की बहबूदी के काम करें, हम आपके साथ है। अभी मैनें कहा है कि पंजाब के बजट में 66 करोड रूपये का घाटा है अगर आपका घाटा कुछ ज्यादा हो जायेगा तो कोई ऐसी बात नही है। हरियाणा के वर्क चार्ज ऐम्पलाइज जिनको पे–कमी ान की रिकमेंडें ांज से एक्सक्लूड किया गया है, मेरी प्रार्थना है कि इनको भी उसमें भाामिल किया जाए और जिस तरह रैगुलर एम्पलाइज को पे–कमी ान की रिकमेंडे ांज का फायदा दिया है उसी तरह से वर्क चार्ज ऐम्पलाइज को उनका फायदा दे। यही मेरी प्रार्थना है।

वित्त मंत्री(लाला बलवन्तराय तायल): स्पीकर महोदय, श्री रामलाल वधवा जी ने जो मो ान पे ा किया है वह पे–कमी ान की सिफारि ाों को लागू करने से संबंधित है। श्री रामलाल वधवा ने कुछेक बातों पर सरकार की नीति जाननी चाही है जिसके बारे में मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि 23–1–79 को हरियाणा सरकार की तरफ से दो मैंबरी पे–कमी ान की स्थापना की गयी

थी, जिसकी रिपोर्ट सरकार को 2–12–79 को प्राप्त हो गयी और उस रिपोर्ट में कुछेक बाते ऐसी थी, जिन पर दोबारा गौर करने की आव यकता थी। 29–2–80 को चार आई0ए0एस0 मैं मैंबरों की एक कमेटी नियुक्त की गयी, जिसमें वित्तायुक्त राजस्व, मुख्य सचिव, वित्त सचिव तथा संयुक्त सचिव भाामिल थे और इस कमेटी ने 7 जुलाई, 1980 को अपनी रिपोर्ट मंत्री परिशद के सामने पे ा की ताकि इस बात काफैसला किया जाये कि इस रिपोर्ट को कैसे इम्पलीमेंट किया जाए। स्पीकर महोदय, आप देख कर हैरान होगें कि 250 कैटेगरीज थी जिनको कम करके 30 कैटेगरीज बना दी गयी ओर आप इससे अन्दाजा लगा सकते है कि ऐसा करने में कितनी डिफीकलटीज आई होगी और कितना टाइम और मेहनत इसमें लगी होगी। इसके साथ–2 इस काम के लिये सरकार का काफी खर्च भी हुआ हेागा। स्पीकर महोदय, सभी मेंबर साहेबान ही इस बात का अन्दाजा लगा सकते हे कि इस काम को करने मे सरकार को कितनी मेहनत करनी पडी होगी। इसके साथ–2 आप यह देखेगें कि भाुरू में जब पे–कमी ान बनाया गया और उसको जो काम सौंपा गया, उसके अन्दर दो तीन बातों का खास ध्यान रखा गया है जैसा कि रामलाल वधवा जी ने पूछा है कि –

1. वेतन आयोग की सिफाारि ाों पर जा`सरकार ने नये वेतनमान सरकारी कर्मचारियों को दिये है, उसमें क्या नीति अपनायी है?

2. टैम्परेरी, ऐडहाक तथा वर्कचार्ज कर्मचारियों कोचाहे वे ि ाक्षा विभाग के हो, चाहे लोक निर्माण विभाग के, उन्हे रैगुलेराईज के बारे में सरकार की क्या नीति है?

3. उपरोक्त दोनेा नीतियों से राज्य में क्या स्थिति उत्पन्न हुई है? इत्यादि इत्यादि। ये सब बाते ध्यान में रखी जायेगी। स्पीकर महादेय, साथ में यह भी ध्यान में रखा गया है कि कम स` कम और ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह लेने में कितना अन्तर होना चाहिये। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बारे में 1 ओर 10 के फर्क से ज्यादा फर्क नहीं होगा। आ देखेगें कि जो नोटिफिके ान सरकार ने अब की है उसमे यह दिखाया गया है कि ज्यादा से जयादा जो पे लेगा वह 2750 रूपये से ज्यादा नहीं होगी ओर कम से कम लेने वाले को 300 रूपये से कुछ ज्यादा मिलेगा, इस प्रकार 1 और 9 का फर्क होता है।

स्पीकर महोदय , इससे आगे मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वेतन आयोग तथा सरकार ने वेतन सं ाोधन करते समय जिन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखा है वे निम्नलिखित है:–

1. किसी भी सरकारी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन इतना अव य रखा गया है जिससे कि वह तथा उसकापरिवार गरीबी रेखा के उपर किसी प्रकार रह सके।

2. सरकारी कर्मचारियें के न्यूनतम तथा अधिकतम वेतन में विशमता बहुत अधिक नहीं रखी गई है और उनका अन्तर 1:10 के लगभग है।

3. बराबर काम के लिये समान वेतन यथा सम्भव दिया गया है और नये वेतनमान निर्धारित करते समय उनकी न्यूनतम भौक्षणिक योग्यतायें, तजरबा, प्रवेक्षण परिधि तथा जिम्मेवारी एवं पदोन्नति के अवसर आदि को ध्यान में रखा गया है।

4. वित्तीय समर्थता को ध्यान मे रखते हुये यथा सम्भव कोि ा ा की गयी है कि सरकार एक आद र्ा नियोक्ता हो।

5. जहां तक सम्भव हो सका वेतनमानों की संख्या कम रखी गयी है।

6. सेवा काल के दोरान जहां तक सम्भव हो कोई कर्मचारी अपने वेतन के अधिकतम पर न रूके जिससे कि उसे वार्शिक वृद्धि के रूप में प्रोत्साहन मिलता रहे।

तो इन सभी बातों का हमने ध्यान रखा है कि अगर एक आदमी आज आखिरी ग्रेड पर रूक जाए तो उसे प्रोत्साहन के रूप में कुछ न कुछ अव य मिलता रहे ओर वह लास्ट पे पर न रूका रहे और वह यह भी महसूस न करे कि उसके साथ बेइंसाफी हो रही है, इस प्रकार पूरी फैसिलीटीज कर्मचारियों को मिलती रहेगी। सिर्फ पें ान के लाभ,चिकित्सा सुविधा तथा अवका ा सम्बन्धी सुविधायें आदि कुछ फिंज बैनीफिटस के बारे मे निर्णय

अभी लिया जाना बाकी है। इसके साथ–साथ अभी वर्कचार्ज एम्पलाईज के बारे में, जो 10–15 सालों से सरकार की सेवा कर रहे है, पक्के नहीं हुये है, इस बारे में चौधरी रामलाल वधवा जी के मो ान पर बोलते हूये हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने पहले ही बता दिया था कि 31–12–78 को सरकार ने यह निर्णय लिया कि पी0डब्ल्यू0डी0 महकमेां मेंवर्कचार्ज कर्मचारियों में वे पद जोकि 31–12–78 से 5 साल पहले से लगातार चले आ रहे है और आगे चलने की सम्भावना है, उनको रैगूलर बना दिया जाये। इस निर्णय के आधार पर पी0डब्ल्यू0डी0 महकमें के बहुत से कर्मचारी रैगूलर हो जायेगें और उन्हे अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति सुविधायं मिलने लग जायेगी। जैन साहब का ख्याल था कि पे कमी ान ने जो रिकमेंडे ांज की बात की है, उनसे सिफ रैगूलर एम्पलाइज को ही फायदा होगा, एडहाक को नही। ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ऐडहाक एम्पलाई रैगूलर हो जाएगा तब वह उतनी ही तनख्वाह लेगा जितनी कि एक रैगुलर एम्पलाई लेता है। उसी प्रकार उसको सारी सुविधायें मिलेगी।

इसी तरह से स्पीकर महोदय, पिछले वर्श ि ाक्षा विभाग के अध्यापकों के लिये यह निर्णय लिया गया कि सभी स्टाइपैन्डरी अध्यापक रैगूलर कर दिये जाएं और ि ाक्षा विभाग के ऐडहाक अध्यापको के लिये अभी हाल ही में ही यह निर्णय लिया गया है कि वे ऐडहाक अध्यापक जो 31–12–79 से 2 साल पहले से लगातार सेवा में हो उन्हे नियमित अध्यापक बना दिया जाये । इन

सब बातों का सरकार ने खास ध्यान रखा है जिससे कि टेम्पोरेरी एम्पलाईज की सारी बातें पूरी हो जाएं और उन्हें किसी किस्म की निरा ाा न हों इसलिये इस मो ान के मूवर को अब यह समझ लेना चाहिये कि सरकार ने किसी भी तरह की किसी के साथ कोइ ज्यादती नहीं की है और जो–जो बातें रह गई हैउन पर भी सहानुभुतिपूर्वक विचार हो रहा है। हम कभी ऐसा नहीं होने देगें औरकिसी को ि ाकायत का मोका नहीं देगें कि कोई एम्पलाई यह फील करे कि मेरे साथ बेइन्साफी हुई है। हर कर्मचारी को उसका पूरा हम मिलेगा।

श्री मूलचन्द जैनः तायल साहब, डी0एस0पीज0 के बारे में भी जरा बतला दिजिये।

लाला बलवन्त राय तायलः हमने जो डी0एस0पीज0 के ग्रेडज बढाये है, उनको हमसे किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है।

श्री मूलचन्द मंगलाः प्वांयट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, अभी वित्त मंत्री महोदय ने बेालते हुये यह बतलाया कि कम से कम तनख्वाह लेने वाला 300 रूपये से कम तनख्वाह नहीं पाएगा और किसी के साथ कोई बेइंसाफी नहीं होगी। फैमिली प्लानिंग मे जो अटैडेंन्टस है, उनरको पहले 150 रूपये तनखाह मिलती थी लेकिन अब उनको 50 रूपये महीना ही तनख्वाह दी जा रही है, जबकि उनके डयूटी आवर्ज वही है, क्या यह उनके साथ ज्यादती नहीं है? मेरे पास श्रीमती भाान्ति देवी जोकि पलवल में

लगी हुई है, की दरखास्त है, इस तरह कितनी इररेगेलेरिटी हो रही है, सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये।

आधे घंटे की चर्चा

(1) राज्य में सीमेंट की कमी के सम्बन्ध में तारांकित प्र न संख्या 1718 के उत्तर सम्बन्धी।

श्री अध्यक्षः मैंबर साहिबान, अब स्टार्ड क्वै चन 1718 के बारे में हाफ एन आवर डिस्क ान होगी।

डा0 मंगल सैन(रोहतक): स्पीकर साहब, आठ तारीख को जब सै ान बैठा था तो उस दिन मैने एक प्र न संख्या 1718 दिया था। इस पर काफी प्र न पूछे गये लेकिन फिर भी सदन की सन्तुश्टि न होने पर आपने उस पर आधे घंटे की चर्चा अलाउ की। स्पीकर साहब, आज सारे प्रदे ा में आव यक वस्तुओं का अभाव है और इसको लेकर सारे प्रदे ा में बडा भारी रोशहैं आज प्रदे ा में इस वजह से त्राहि–त्राहि मची हुई है।ये हमारे सत्ताधारी दल के लोग बे ाक अपने मन में समाधान कर लेते होगें कि पोजी ान ठीक है लेकिन आप देखे कि पिछले साल चीनी का भाव क्या था और आज क्या है। स्पीकर साहब, हिस्टरी में कभी सुना नही कि चीनी 740/–रू0 क्विंटल मिली हो और मार्किट में लोगों को आठ रूपये किलों चीनी मिले और पांच रूपये किलो गुड मिले। सरकार कहेगी कि इसमें हमारा क्या दोश है, यह तो प्रकृति की माया है, वर्शा नहीं हुई इसलिये फसल कम हुई।

मैंकहता हूं कि आपके कुछ कर्म भी इसमें भागीदार होगे जो वर्शा नहीं हुई। अगर वर्शा नहीं हुई तो आपको भी तो कुछ और पग उठाने चाहिये थे। स्पीकर साहग, इसी तरह से डीजल का भाव बढ गया ओर खाद का भी भाव बढ गया है। इसके बावजूद भी ये इस भ्रम में रहते है कि रेट दबे रहेगें। स्पीकर साहब, सीमेंट के बारे में मैने जो प्र न किया था उसके जवाब में श्री गजराज बहादूर जी नागर जो मंत्री है उन्होने यह बात कही कि पिछले वर्श की अन्तिम तिमाही में 51800टन सीमेंट था अब वह इस वर्श की प्रथम तिमाही में घट कर 22400 टन रह हगया है। हमने पूछा यह इतना कम कैसे हो गया तो उनहोने जवाब दिया कि दे ा भर में सीमेंट की पैदावार कम हो गई है। बडी विचित्र बात है कि जिस चीज के द्वारा या जिस कच्चे माल के जरिये सारा निर्माण कार्य होने वाला है, वह मिलता नहीं। स्पीकर साहब, कन्ट्रोल रेट पर नहीं हमिलता लेकिन ब्लैक में जितना चाहें ले लो(विघन) चौधरी राजन्द्र सिंह मेरी बात का खुल कर समर्थन कर रहे है। पिछले सै ान में इस बारे में इनहोने भी बहुत कुछ कहा था। उस समय नागर साहब इतना ही कह सके थे कि यह सही नही है। स्पीकर साहब आज मजदूर सीमेंट न मिलने की वजह से बेकार है ओर गरीब आदमी आज रोटी कमा कर नहीं खा सकता । आज हाउसिंग प्रोब्लम, आवास की समस्या बहुत जटिल है क्यौंकि निर्माण का सारा कार्य रूका पडा है। जब मैंने मंत्री जी से पूछा कि इस समस्या को हल करने के लिये आप क्या कदम उठा रहे है तो उन्होने बाजू चढाते हुये कहा कि हम बराबर गवर्नमेंट आफ इंडिया को अप्रोच कर रहे

है। पता नहीं वह एप्रोच वे खुद जाकर कर रहे है या चिट्ठियों के माध्यम से कर रहे है। फिर ये कहते है कि हम सीमेंट फैक्टरीज को रैगूलरली फालो कर रहे है कि डिसपैच जल्दी पु ा–अप करो। अब वे डिसपैच कैसे पु ा–अप कर रहे हे इसका कोई पता नहीं (विघन) स्पीकर साहब,, अब देवेन्द्र महोदय बीच में कुछ बोल रहे है। अगर मैं कुछ कह दूंगा तो झट लिख कर प्रिविलेज मो ान म ेले आएंगें। स्पीकार साहब, ये मेरे गलें में रस्सा डाल कर बडे खु ा हो रहे है। मैं जानता हूं कि मैं सही हूं इसलिये मुझे संकोच नही है। अभी तो ये मेरे लिये नौसिखिये है इस काम के लिये। इन्होने कहा कि हमने बडा मोर्चा मारा है कि हमने ट्रांसपोर्ट बाटलनैक्स को दूर करने के लिये तीन सीमेंट कम्पनियों से हरियाणा राज्य में सीमेंट डमप खुलवाए हैं में इनसे पूछनाचाहता हूं कि फरीदाबाद, सोनीपत और बहादुरगढ की बाटलनैक्स को दूर करने कै लिये आपने क्या किया है? मैं पूछना चाहता हूं ि कवे कौन सी तीन कम्पनियां है जिनके सीमेंट डमप खुलवाए है। स्पीकर साहब, हमारे यहां रोहतक में जो डी0सी0 है वे बहुत रूखे आदमी है वे अपना कल्चरल प्रोग्राम सुबह से ही भाुरू कर देते है। बड़े खु ामिजाज आदमी है। एक दिन वे मुख्यमंत्री जी को अपने हाथ से जूता पहना रहे थे। मैनें सोचा कि ब्योरोक्रेसी ने अब यह नया ही तरीका खु ा करने के लिये अख्तियार किया है। स्पीकर साहबख अगर कोई आदमी उस डी0सी0 के पास सीमेंट के परमिट के लिये जाता है तो वह उसे 100 बोरी सैक ानं कर देता है। उसके बाद ज बवह एस0डी0एम0

के पस जाता है तो वह सौ की बजाये 50 कर देता है। फिर एस0डी0एम0 उस आदमी से पूछता है कि तुम डी0सी0 साहब के पास कितने बजे गये थे तो वह कहता है कि दस बजे। फिर एस0ड0ीएम0 साहब कहते है कि अगर आठ बजे जाते जब सौ बोरी सैंक ान नहीं होनी थी। मैं वहां बैठा हंसता हूं कि यह क्या तमा ाा है कि डी0सी0 तो सौ बोरी सैंक ान करता है और एस0डी0एम0 उसे काट कर 50 कर देता है और जब बोरी लेने का वक्त आता है तो उस समय केवल दस बोरी ही मिलती है। स्पीकर साहब, वहां से एक अखबार निकलता है जिसका नाम 'तहकीकात' हैं। उसके बारे में मेरे बुजुर्ग राठी साहब भी जानते है(विघन)उस अखबार के 16 जून के एडी ान में यह छपा है कि वहां का डी0एव0सी0 कैसा भ्रश्टाचारी है। स्पीकर साहब, अब तो वह डी0एफ0सी0 सस्पेंड भी कर दिया गया है। वह लैवी की चीनी बेच कर खा गया। जब उससे इस बारे में पूछा गया तो वह कहने लगा ठीक है जो भाव चीनी का उस वक्त था उतने पैसे मेरे से लेलो। स्पीकर साहब, आप अन्दाजा लगा लें कि पुराना स्टाक पडा था, उस समय चीनी का क्या भाव था और आज क्या है? स्पीकर साहब, उस आदमी की बडे बडे पोलिटीकल आदिमियों के साथ कनाइवेंस है। इस बारे में मैंने भी अखबार में बयान दिया। उसको देखते हुये भजन लाल जी ने एक डी0एस0पी0 मेरे पास इंक्वायरी के लिये भेजा। डी0एस0पी0 ने मेरे से पूछा कि इस मामले में कौन कौन आदमी भाामिल है। मैंने उनको सारे नाम बतादिये ओर नागर साहब को भी इस बारे में बताया। स्पीकर साहब, वहां ऐसे

आदमियों का जमघट जगा रहता है, जिनका मेरी तरह से कोई मकान नही है और सीमेंट परमिट लेने आते है। स्पीकर साहब, जो आदमी परमिट लेकरजाते है ,उनकी लिस्ट बननी चाहिये ताकि पता लग सके कौन–2 सीमेंट का परमिट ले गया हैं उसकी बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिये कि जो आदमी सीमेंट का परमिट ले गया है उसका कोई मकान भी है या नहीं। स्पीकर साहब, जहां आप हमारी विधान सभा के अध्यक्ष है वहां आप अपने हल्के के प्रतिनिधि भी है। आपके सामने भी ऐसी बातें आती होगी। स्पीकर साहब, आज आव यक वस्तुओं का अत्यन्त अभाव होने की वजह से सारे प्रदे ा में त्राहि–त्राहि मची हुई है।अगर ये कहें कि आज सीमेंट की कोई ब्लैक नहीं हो रही है तो इसको मानने के लिये कोई तैयार नही है। ये काम तो आपके है लेकिन इस वजह से सारे सियासतदान बदनाम हो रहे है। All the political people have been defaced, Sir. उनकी प्रतिश्ठा आज बिगड गई हैं इस मसले पर अगर यह सरकार वाक्या ही ईमानदारी से सोचे तब तो में इसकी ताइद करता हूं लेकिनइन्होने तो बन पंवायट प्रोग्राम पर चलना है कि how to remain in power? मैं कहता हूं कि आप पावर में रहिये लेकिन जनता का भला भी करिये। स्पीकर साहब, जीवन उपयोगी वस्तुयें जैसे डीजल का प्रबन्ध, मिट्टी के तेल का प्रबन्ध तो इस सरकार ने बताया कि ठीक है आखिर चीनी का भी तो यह सरकार कोई हल निकाले। इसके अलावा स्पीकर साहब, जैसे वित्त मंत्री जी ने दादरी सीमेंट फैक्टरी को एक महीने मेंचलाने का आ वासन दिया हैं मैं तो भगवान से प्रार्थना करता

हूं कि मुख्यमंत्री जी अपनी बात पर अमल करें। दादरी सीमेंट फैक्टरी के बन्द हो जाने से वहां पर हजारों मजदूर बेकार हो गये थे। उसके चालू होने पर उनको काम मिल जाएगा ओर देहात के गरीब किसानों को सीमेट मिलेगी। यह जो सीमेंट की किल्लत है जिसकी वजह से इस प्रदे ा मे काम रूके है और बेकारी, बेरोजगारी बढी है वह दूर होगी। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया।

श्री हीरानन्द आर्यः स्पीकर साहब, सीमेंट के बारे में मुझे भी बहुत जरूरी बात कहनी है इसलिये आप मुझे भी दो मिन्ट बोलने का समय दे।

श्री अध्यक्षः जिन मैंबर साहेबान ने हाफ एन आवर डिस्क न का नोटिस सबमिट किया है सिर्फ वहीं बोल सकते है।

श्री हीरानन्द आर्यः स्पीकर साहब, मुझे बहुत जरूरी बातें कहनी थी, यदि आप दो मिनट का समय देदें।

श्री अध्यक्षः वैसे तो जिन माननीय सदस्यों ने हाफ एन आवर डिसक ान का नोटिस सबमिट किया है वही बोल सकते है लेकिन इस समय माननीय सदस्य श्री भाम ेर सिंह हाउस में नहीं है उनकी जगह आप बोल लें।

श्री हीरानन्द आर्य (लोहारू): स्पीकरसाहब, सीमेंट की कमी की वजह से आज सारे प्रदे ा में पी0डब्ल्यू0डी0 वर्कस के जितने भी कार्य हो रहे है उनमें डिपोज के थ्रू सीमेंट दी जा रही

है ओर उन डिपोज में सीमेंट की बहुत बदइंतजामी हैं जिन लोगों को सीमेंट सप्लाई करने के लिये परमिट दिये हूये है चाहे वे हिसार के हो, चाहे अम्बाला के हों, चाहे मुख्य मंत्री जी के आदमी हो, चाहे किसी और के आदमी हो उनको सीमेंट नहीं मिल रहा है। सारे डिपोज में सीमेंट की बहुत बदइंतजामी हैं । मेरी सरकार से दरखास्त हे कि सरकार इस तरफ भी ध्यान दे। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ–2 मैं सरकार का ध्यान जो हरियाणा प्रान्त के अन्दर दो जगहोंपर सीमेंट के कारखाने लगे हूये है उनकी तरफ दिलाना चाहता हूं । उन कराखानों में नकली सीमेंट बनाई जाती है और उस सीमेंट में मिट्टी के सिवाय,राख के सिवाये कुछ नहीं है। वह सीमेंट सरकारी डिपोज के थ्रे सारे प्रान्त में दी जा रही है। उन कारखानों में पिछले एक डेढ़ साल से यह काम जारी है। पहले राजस्थान में एक नीम का थाना जगहं है वहां से सीमेंट हरियाणा में आती थी उसके बाद दादरी में बननी भाुरू हुई थी। आज हरियाणा प्रान्त के दो सीमेंट के कारखाने भिवानी मे लगे हुय है जोकि सीमेट प्लास्टर के नाम स `चल रहे है और इंडस्ट्रीज महकमें ने उनको लाइसैंस दिया हुआ है। हमारे परिवहन मंत्री श्री जगन नाथ जी सीमेंट के सिलसिले में एक मीटिंग करने के लिये भिवानी गये थें उन कारखानों की सीमेंट का नमूना मैने इ?नके सामने पे ा भी किया था मैं समझता हूं कि इन्होने उस संबंघ में कुछ कार्यवाही भी की होगी। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जहां तक मेरी जानकारी है एक सीमेंट का कारखाना पलवल में है जोकिसीमेंट केनाम से राख तैयार करता है। उस कारखाने कीबनी

हुई सीमेंट मेंराख के सिवाय कुछ नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि जो इस कारखानें में सीमेंट के नाम से जितनी भी राख तैयार होती है वह सरकार के डिपोज के थ्रू सारे प्रान्त में दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, वह सीमेंट बिल्डिंग्ज में लगने के लायक नहीं हैं उस सीमेंट से तो मिट्टी अच्छी रहती है। अब कुछ लोगों को उस सीमेंट के बारे में पता लगना भ्रारू हो गया है इसलिये अबवह सीमेंट पंजाब की तरफ सप्लाई की जा रही है ओर पंजाब में जितने भी पी0डब्ल्यू0डी0 वर्कस चल रहे है उनमे वह सीमेंट लग रही है। अध्यक्ष महोदय, आप अन्दाजा लगा सकते है कि जिस बिल्डिंग्र मे ंवह सीमेंट लगेगी उसका क्या होंगा? जहां तक सीमेंट की ब्लैक की बात है वह तो है ही लेकिन जितने भी पी0डब्ल्यू0डी0 वर्कस है वे सारे रूके हुये है चाहे कोइ प्राइवेट बिल्डिंग का काम हो चाहे सरकारी बिल्डिंग का काम हो सीमेंट के न मिलने के कारण सारे काम रूके हुये है।। जैसा मेने पहले जिक किया कि यदि जो काम रूके हुये है उनमें राख मिली हुई सीमेंट लगाई जाये तो आप अन्दाजा लगा सकते है कि उस सीमेंट से बनी हुई बिल्डिंग का क्या होगा? इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह इस सीमेंट की सप्लाई बन्द कराये। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य, चौधरी राम कि ान, पदासीन हुये)

चेयरमैन साहब, हजारों लाखों रूपये इस प्रान्त के गरीब किसानों के और गरीब हरिजनों के बरबाद हुये है ओर जितने भी

इस सीमेंट से काम हुये है वह भी सारे बरबाद हो जायेगै। चेयरमैन साहिब, ठाकुर बीर सिंह जी ओर श्री जगन नाथ जी के नोटिस में भी यह बात है ओर वे मेरी बात की ताईद भी करेगें कि सीमेंट के बिना हरिजनों की चौपालें भी बीच में ही पडी है। मेरे हल्के में एक गावं मीरांण है। वहां पर कई दिन से एक हरिजन चौपाल बनने के लिये तैयार है केवल सीमेंट की वजी से उसकी छत नहीं डाली गई है और उस चौपाल की दीवारें गिरने को हो रही है। चेयरमैन साहब, ब्लैक में आप चाहें जितनी मर्जी सीमेंट ल`ले आपको 60 या 65 रूपये बोरा मिल जायेगी लेकिन परमिट के अगेन्टस नहीं मिलती हैं इसलिये आपके द्वारा सरकार से मेरी प्रार्थना है कि इस तरफ भी सरकार ध्यान दे। इसके अलावा चेयरमेन साहब, जो आव यक वस्तुयें है चाहें, चाहे मिट्टी का तेल हो, चाहे चीनी हो जिनमें एकतरह का भ्रश्टाचार फैला हुआ है, सरकार इस तरफ ध्यान दे करके उस भ्रश्टाचार को खत्म करे ताकि उपभोक्ताओं को जीविका उपयोगी वस्तुएं मिल सकें ओर हर नागरिक अमन से बस सके। इन भाब्दों के साथ मै आपका ध्न्यवाद करता हूं कि आने बोलने के लिये समय दिया।

चौधरी राम लाल वधवा: चेयरमैन साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। चेयरमैन साहब, मै ंआपका ध्यान इस रूल की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसके बारे में फरमाया गया है कि वही मैंबर बोल सकते है जिन्होने हाफ एन आवर डिस्क ान का नोटिस सबमिट किया है। मेरा भी तो इस बारे में एक काल अटें ान

मो ान था और मैने कहा था कि यह भी इसी सवाल के हाफ एन आवर डिस्क ान के साथ जोड दिया जाये ।तो चेयरमैंन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि जो फरमाया गया है कि दूसरा मैंबर नहीं बोल सकता इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि हर सै ान में हाफ एन आवर डिस्क ान होनी है ओर यह रूलिंग बन जायेगी कि वही मैंबर बोल सकता है जिसनें हाफ एन आवर डिस्क ान का नोटिस दिया है। लेनिक रूल इस बात की इजाजत नहीं देता। इसलिये मै आपका ध्यान इस रूल की तरफ दिलाना चाहता हूं ताकि दूसरे मैंबर साहेबान को भी बोलने का मौका मिल जाए। यह रूल है, 57 इसमें लिखा हुआ है कि –

"57(1) The Speaker may allot half-an-hour for raising discussioin on a matter of sufficient public importrance which has been the subject of a recent question, oral or writteh and the answer to which needs elucidation on a matter of fact. Such discussion shall take place after the hour of interruption or after the conclusion of the business of the day, whichever is earlier."

हो सकता है कि आपको इस रूल की सब क्लाज (5) दिखाई जाये। यह भी मैं पढ देता हूं। उसमें लिखा हुआ है कि –

(5) There shall be no formal motion before the House no voting. The member who has given notice may make a short statement and the Minsiter concerned shall reply shortly.

ये इसका मतलब यह ले रहे है कि सिर्फ वही मैंबर बोल सकता है जिसने हाफ एन आवर डिस्क ान का नोटिस दिया है और कंसर्न्ड मिनिस्टर उसका जवाब दे देगें। लेकिन चेयरमैन साहब, हाफ एन आवर डिस्क ान के अन्दर यदि कोई मेंबर अपनी बात कहना चाहता है तो कह सकता है।

चौधरी राजेन्द्र सिंह (बल्लभगढ़): चेयरमैन साहब, डा0 साहब ने स्टार्ड कवै चन नम्बर 1718 सदन में पूछा था और पब्लिक इम्पोर्टेन्स को समझते हुये उन्होने इस कवै चन पर आधे घंटे की चर्चा की मांग की थी। मैने भी इस प्र न पर एक सप्लीमैंटरी पूछा था लेकिन मंत्री महोदय मेरी तसल्ली नहीं करवा सके। मुख्य मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होने मुझे यह अ योरेंस दी है, खास करके फरीदाबाद ग्रामीण क्षेत्र के गरीब किसानो ंऔर हरिजनों को सीमेंट नहीं मिल रही है उसकी तरफ वे ध्यान देगें। चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार को एकसुझाव देना चाहता हूं। जो सीमेंट की भाार्टेज है या जो बनावटी सीमेंट बाजार मे बिकती है या होरडिग होती है। इनकी रोकथाम के लिये हमारी सरकार को आई0पी0एस0 अफसरों की देख रेख में एक फलांइग सक्वैड मुकर्रर करना चाहिय। इस फलाइंग स्कवैड के मुकर्रर होने से मैं समझता हूं कि यह जो सीमेंट की होरडिंग है या लोगों को नहीं मिलनेकी जो समस्या है या जो सीमेंअ की भाोर्टेज है वह फलाइंग सक्वैड इन चीजों पर रेड करेगा और पता लगाएगा कि सीमेट की भाार्टेज क्यों है और

यह बनावटी सींमेट कहां से आ रही हैं। जो पूंजीपति लोग है। जो लाखों रूपये का गलत काम करते है उनको तभी रोका जा सकता है।

श्री मूल चन्द मंगला(पलवल): चेयरमैन साहब, सरकार की वितरण प्रणाली बहुत डिफैक्टिव हैं पिछले दिनों पलवल में वितरण प्रणाली के खिलाफ एक डिमोन्सट्रे ान हुआ था जिसमें हजारों आदमियों ने भाग लिया। पलवल में जो सीमेंट आता है उसके तिरण का सिस्टम बडा डिफैंक्टिव है। आफिसर साहिबान अपने मिलने वालों को ही सीमेंट देते है। एक–एक आदमी को दस–दस कट्टों के दस–दस परमिट इ ाु कर देते है। इस प्रकार के कई इन्स्टांसिज है। एक आफिसर ने दस आदमियों को दस–दस कट्टों के दस–दस परमिअ इ ाु किये ओर वे सौ–सौ कट्टे सीमेट के ले गये। मुख्य मंत्री साहब अभी फरमा रहे थे कि बारी बारी से सीमेंट देते है रजिस्टर मौजूद है, जहां तक मूझें मालूम हे , रजिस्टर के मुताबिक कोई सीमेंट नहीं देता, जिसको चाहते है उसी को मिलता है। जब मैंने पूछा कि भाई आप किस तरह से सौ–सौ कट्टे इ ाु कर देते है तो उसने बताया कि दस–दस बोरी के दस परमिट दिये है। मैनें दुकानदार के पास जाकर मोका पर चैक किया ओर ठीक पाया कि उन्होनें वाकई दस –दस कट्टों के परमिट लिये हैं आप हैरान होगें कि एक ही आदमी दस परमिट ले गयाजिसकी कोई बिल्डिगं अंडर कंस्ट्रक ान नहीं है। उसने वह सीमेंट ब्लैंक में बेच दिया। इस प्रकार की दस

बिल्डिंग बन रही है जिन पर ब्लैक का सीमेंट लगा हुआ है इसी सिलसिलें में वितरण प्रणाली के खिलाफ एक बहुत बडा डिमोनसट्रे ान हुआ था लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। इसी तरह चीनी की विरण प्रणाली डिफैक्टिव है। (इस समय श्री उपध्यक्ष पदासीन हुये) पलवल में चीनी का जो कोटा आया था वह दो जगह पर बिल्कुल नहींदिया गया या तोउस चीनी का गबन हो गया या बडे बडे लोगों को देकर उनको खुा ा कर दिया लेकिन जिन लोगों की वह चीनी आई थी उनको बिल्कुल नहीं दी गई। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस केस की छानबीन की जाये ि कवह चीनी कहां गई, किसको दी गई। अगले महीने जो चीनी आयेगी उसके साथ साथ पिछले महीने का कोटा भी लोगों को मिलना चाहिये ताकि उन गरीबों की पिछले महीने की कमी पूरी हो सके। मेरा कहने का मतलब है कि वितरण प्रणाली को सुधारना चाहिये। पलवल में कई बिलिडंग्ज बन रही है, कई कई हजार कट्टे सीमेंट का उन पर लग चुका है , वह कहां से आता है? क्या उन्होने परमिट लिया है? बिल्कुल नहीं लिया और सारा सीमेंट ब्लैक में खरीदा गया है। इस बात की छानबीन होनी चाहिये कि उन बिल्डिंग्ज पर सीमेंट कहां से आता है? अन्त में यही कहूंगा कि सरकार वितरण प्रणाली को सुधारे ताकि आम पब्लिक को असैन्ि ायल कमोडिटीज मिलने में दिक्कत न हो।

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (चौधरी गजराज बहादुर नागर): डिप्टी स्पीकर साहब, मैंबर साहिबान ने असैन्ि ायल कमोडिटीज

की भाार्टेज के बारे में फरमाया है। यह बात हाउस के सारे मैंबरान बखूबी जानते है कि भाार्टेज सरकार के कारण नही थी और नह ही रहेगी। भाार्टेज का मेन कारण नैचूरल कलैमिटीज है। पिछले साल बरसात न होने के कारण नदियों मे पानी कम रहा, पानी न होने के कारण बिजली की सप्लाई नहीं हो सकी जिसकी वजह से फैक्ट्रियां बन्द रही। अगर फैक्ट्रियां बन्द रहें तो प्रोडक ान कैसे हो सकती है। अब सवाल यह है कि सरकार अगर अपने काम में नाकामयाब रही हो , फिर तो बात समझ में आती है, लेकिन जब मामला ही सरकार के कंट्रोल से बाहर हो और कोई नैचुरल क्लैमिटी आ जाये तो इसका इलाज हमारे पास तो क्या किसी के पास नहीं हैं जहां तक सीमेंट की कमी का सवाल है, परसों मैने कहा था कि हरियाणा में एक सीमेंट फैक्टरी बन्द पडी है इसका सबको बखूबी पता है। मैंबर साहेबान ने अपने ब्यान मे कहा कि इस फैक्टरी को चालू किया जाये। डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार इसको दोबारा चलाने का प्रयत्न कर रही है और बहुत जल्दी फैक्टरी चालू कर दी जायेगी। इसके इलावा हमें सीमेंट की जो एलोके ान होती है वह तमाम राजस्थान से आती है लेकिनवहां की फैक्ट्रियां बन्द पउी रही और उनका आटोमिक प्लांट भी बन्द रहा जिसकी वजह से सीमेंट की पैदावार बहुत ही कम रही। राजस्थान में ही नहीं, सारे दे ा में सीमेंट की पैदावार कम रही जिसका प्रभाव यह पडा कि सैन्टर की तरफ से स्टेटस को सीमेंअ की जो एलोके ान होती थी उस में 20 परसैट की कट लगा दी। हरियाणा को 20 परसैंट सीमेट कम मिला।

श्री बीरेन्द्र सिंहः आप डिस्ट्रिब्यू ान सिस्टम पर बोलें इसका तो भट्ठा ही गुल हो रहा है।

चौधरी गजराज बहादुर नागरः इसी प्लांट पर आ रहा हूं जहां तक सीमेंट की प्रोक्योरमेंट का सवाल है, सीमेंट की फैक्ट्रीज बन्द रही, पहले भी थी और अब भी है जिसकी वजह से सीमेंट बिल्कुल गायब ही रहा है। इसके बावजूद भी, हमारे सी0एम0 साहब ने स्पैशल ऐफर्टस की और सैंटर से 10 हजार बैग का स्पै ाल एलोके ान हरियाणा के लिये करवाया। फारेन सीमेंट जो बाहर से इम्पोर्ट होता है, उस में से हरियाणा को सीमेंट एलोकेट कियाहैं डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार पूरा इन्तजाम कर रही है कि जयादा से ज्यादा सीमेंट प्रोक्योर किया जाये लेकिन दे ा में सीमेंट की कमी होने के कारण, फैक्ट्रीज बन्द होने के कारण पब्लिक को दिक्कत रही हैं दूसरी बात प्रेक्योरम्ैट के बारे में ही परसों सी0एम0 साहब ने कहा था, हाउस में मैंरान को बताया था कि डिस्ट्रिब्यू न सिस्टम को ठीक करने के लिये एक कमेटी बना दी गई है। सी0एम0 साहब ने उस कमेटी के सदस्यों के नाम भी हाउस में पढे थे । यह कमेटी सिर्फ सीमेट के लिये नहीं है, सारी असैन्ि ायल कमोडिटीज के बारे मे बनाई गई है ओर डी0सीज0 को आदे ा दिये गये हे कि महीने में इस कमेटी की कम से कम एक मीटिंग जरूर होनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री बीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, बडी इम्पौटेंट डिस्क ान हो रही है लेकिन स्वामी आदित्यवे ा, सी0एम0 साहब

के पास बैठकर तबादले का जिक्र कर रहे है ओर हमें मिनिस्टर साहब की बात नही सुनने दे रहे है। आप इनको कहें कि तबादलें तो वहां बैठ कर करवा लें लेकिन हमें बात सूनने दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः आप बैठ जाइये। नो इन्ट्रप ान्ज प्लीज। (व्यवधान)

परिवाहन मंत्री (श्री जगन नाथ): आन ए पवांयट आफ आर्डर।

Mr. Deputy Speaker: No point of order, please sit down.

डा0 मंगल सेनः डिप्टी स्पीकर साहब, इन से रूल पूछें कि किस रूल के तहत बोलना चाहते है। (व्यवधान)

श्री जगन नाथः डिप्टी स्पीकर साहब, इनके खिलाफ मैं एक लफज भी नहीं कहूंगा। आप मेरा प्वायंट आफ आर्डर सुन लें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

चौधरी गजराज बहादुर नागरः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं वितरण प्रणाली के बारे मे अर्ज कर रहा था। जैसा कि हाउस में बतया गया है कि वितरण ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। इन बातों को मद्देनजर रखते हूये सी0एम0 साहब ने फैसला किया कि

डिस्ट्रिक्ट लैवल पर एक कमेटी बनाई जाये जो तमाम वितरण प्रणाली को कन्ट्रोल करे।

श्री बीरेन्द्र सिंहः यह तो एडवाइजरी कमेटी है, डिस्ट्रिब्यू ान के साथ इस कमेटी का कोई ताल्लूक नहीं है।

श्रीमती डा0 कमला वर्माः आन ए प्वांयट आफ आर्डर । डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो इन्होने कमेटी बनाई है, यह आई–वा ा करने के लिये बनाई है। क्योकि इस कमेटी में भाहर के सिटीजन नहीं भाामिल कियें, केवल कांग्रेस के आदमी ही भाामिल किय` है, भाहर के सिटीजन्ज को कोई महत्व नहीं दिया गया जो किसी मामले पर निश्पक्ष निर्णय ले सकें। कमेटी में ऐसे आदमी होने चाहिये जो पब्लिक के लिये निश्पक्ष निर्णय ले सकें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः यह प्वांयट आफ आर्डर नहीं है। बहन जी आप बैठिये। (व्यवधान)

चौधरी गजराज बहादूर नागरः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं हाउस का ध्यान नोटिुकि ान की तरफ दिलानाचाहता हूं। एग्जैक्ट लफ्ज क्या है, अगर आप चाहते है तो मैं पढ देता हूं। सदस्यों का यह कहना कि कमेटी में सिटीजन्ज भाामिल नहीं किये गये है , यह नोटिफिके ान की वर्डिंग से साफ जाहिर हो जाएगा, मैं इसको पढ देता हू।

श्री उपाध्यक्षः उसे पढने की जरूरत नहीं है।

श्री बीरेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, इन्हे आप टाईम दे दे क्यौंकि यह सारे प्रदे ा का मामला है। थोड़े टाईम मे ंये हाउस की तसल्ली नहीं कर सकते।

चौधरी गजराज बहादुर नागरः डिप्टी स्पीकर साहब, आज के सिटिंग एम0एल0एज0 उस कमेअी के मैंबर है, ऐक्स एम0एल0एज0 भी उसके मैंबर है। इसमें पार्टी का कंसिड्रे ान नहीं है। म्यूनिसिपल कमेटीज के प्रैजिडैन्टस और ऐक्स प्रैजिडैन्टस भी उसके मैंबर है। हमने यह नही देखा कि कौन सी पार्टी के वे सदस्य है। (व्यवधान) हमने कमेटीज को खूब लम्बा चौडा बनाया है ताकि वे वितरण पर कंट्रोल कर सकें, जो वितरण में गलत बातें हो उनको हमारे नोटिस में ला सकें। जहां तक इनके इस विचार का सम्बन्ध है कि इन कमेटीज का केवल ऐडवाइजरी फंक ान है, मैं ऐसा नहीं मानता। सब साथी जो फैसला करेगें वह बिल्कुल लागू किया जाएगा। (व्यवधान) डिप्टी कमि नर्ज को पहले ही इंस्ट्रक ान्ज दे दी गई है। They are authorized to take necessary steps at every stage.

Shri Verender Singh: There are no such intructions. अगर है तो उन्हे जरा आप हाउस को पढ कर सुना दे।

चौधरी गजराज बहादुर नागरः डिप्टी स्पीकर साहब, इस वक्त तो वे मेरे पास नहीं है लेकिन उनकी एक एक कापी सब मैबर्ज साहेबान को भेज दी जाएगी।

दूसरी बात यहां यह कही गई कि चीनी 8 चीनी 8 रूपये किलों बिक रही है और गरीब आदमियों को मुअसर नही होती। डा० साहब ने वि ोशकर इस बात पर बड़ा जोर दिया लेकिन मै उनके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि गरीब आदमियों को सरकार लैवी की चीनी दो रूपये पच्चीस पैसे किलो देती है। (ाोर)

श्री वीरेन्द्र सिंहः 2 रूपये 85 पैसे किलों चीनी का भाव गरीबों के लिए ही नही अमीरों के लिए भी लेकिन अफसोस की बात यह है कि गांव में गरीबों को यह चीनी कतई नही मिलती। (ाोर)

चौधरी गजराज बहादुर नागरः डिप्टी स्पीकर साहब, यह चीनी बाकायदा सबाकों मिल रही है। इस बारें में मै हाउस को यह भी बता देना चाहता हूं कि 2 रूपये 85 पैसे किलों चीनी का रेट संससार में सबसे कम है। (विघ्न)

चौधरी गजराज बहादुर नागरः डिप्टी स्पीकर साहब, एक बात और यहां पर कही गई है। उसकी तरफ भी मै हाउस का ध्यान दिलाना चाहताा हूं। आज से पहले किसी साथी ने मुझे यह इत्तलाह नही दी कि भिवानी के अन्दर एक ऐसा कारखाना लगा हुआ है जो जाली सीमेंट बनाता है। इसी तरह से पलवल की बात है। पहली दफा हाउस में यह बात कही गई है। फिर भी मै हाउस

को वि वास दिलाता हूं कि इस सम्बन्ध मतें सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अभी एक और हाफ एन अवर डिस्क ान बाकी रहती है। इसलिए अगर हाउस इजाजत दे तो सदन का समय आधे घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाए।

आवाजेः बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्षः हाउस का समय आधा घंटा बढ़ाया जाता है।

आधे घंटे की चर्चा

(i) ग्राम उद्योगीकरण योजना के सम्बन्ध में तारांकित प्र न संख्या 1750 उत्तर सम्बन्धी।

श्री उपाध्यक्षः अब चौधरी राम लाल वधवा तारांकित प्र न संख्या 1750 के सम्बन्ध में हाफ एन अवर डिस्क ान भुरू करेंगे।

चौधरी राम लाल वधवाः डिप्टी स्पीकर साहब, उस तरफ से तो ये सब बोलेगे इधर से केवल हम दो बोलेगे। तो पहले डा० साहब बोलेगे उसे बाद में बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्षः ठीक है।

डा० मंगल सैन (रोहतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैने यह तारांकित प्र न दस तारीख को प्रस्तुत किया था जिसके जवाब में मंत्री महोदय ने एक ऐसा उत्तर दिया जिससे हाउस की तसल्ली नही हुई। मैने पूछा था कि क्या सरकार ग्रामीण उद्योग योजना में कोई परिवर्तन कर रही है अथवा उसके विस्तार के लिए सरकार के विचारधीन कोई बात नही है? मंत्री महोदय ने संक्षेप में कहा 'नही' और उसके बाद कहा कि प्र न ही नही उठता। उसके उपरान्त कई पूरक प्र न पूछे गए और उनके उत्तर यहां दिए गए लेकिन सदस्यों की मांग पर उस सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा का अवसर भी आज हमें मिला है। डिप्टी स्पीकर साहब, रूरल इंडसिट्रयलाइजे ान स्कीम 1977 में, जनता पार्टी के भाासन में आने के बाद बनाई गई। यह इसलिए बनाई कि हमारा प्रदे ा 1 करोड़ 10 लाख की आबादी का प्रदे ा है, रोजगार के साधन इसमें बड़े सीमित है, दफ्तरों में नौकरी सबकों नही दी जा सकती, धरती किसान के पास बंट कर थोड़ी रह गई है, वह किसान का सहारा नही है, गांव का जीवन दूभर हो गया है, दो समय भर पेट भोजन खाने को नही मिलता, हृदय में और भी भावनाएं है जिनकी पूर्ति रोजगार के अवसर न होने के कारण नही हो पाती जिसकी वजह से परिवार में तनाव का वातावरण रहता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उस समय की सरकार ने जो चौधरी देवी लाल के नेतृत्व वाली सरकार थी, जिसमें चौधरी भजन लाल जी के बाद में सहकारिता मंत्री बने, सरदार तारा सिंह जी भी मंत्री बने, चौधरी जगन नाथ जी भी चीफ पालियामेंटरी सैक्रेटरी थे, यह

स्कीम बनाई थी। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, हमनें गांव मैं पढ़े–लिखे नौजवानों को रोजगार देने का प्रबन्ध किया। हमने उस किसान का, जिसकी जोत अनइकानौमिक है, जिसकी होलडिग अनइकनौमिक है, एक स्तर तय कर दिया कि इतनी जमीन वाला व्यक्ति, एक पिछड़ी जाति का भाई, एक अनुसूचित जाति का भाई तथा एक व्यवसायी चारों मिल कर गांव में उद्योग लगा सकते है। डिप्टी स्पीकर साहब, कुछ दिनों के बाद इन्होने अनुभव किया कि चार व्यक्ति नही दो व्यक्ति ही काम चलाएं क्यों कि चार आदमी मिल कर ठीक से काम नही कर सकते। कहते है कि दो भाई भी आपस में लड़ झगड़ जाते है लेकिन मै चौधरी भजन लाल जी से पूछना चाहता हूं कि पोकर राम के साथ आपका काम कैसे चलता है? आप तो सगे भाई भी नही हो लेकिन आपका प्यार सगे भाइयों से भी ज्यादा है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो ईमानदार है वे आज भी निभाना जानते है। ये कहते है कि आपस में नही चल सकते है। गांव वालों को तो आप छूट देते है लेकिन भाहर वाला को उचित कहते है कि उनको छोट मिलनी चाहिए। भाहरों में तो आपने छूट दी है, यह तो मै भी दे सकता था क्योंकि मै भी रोहतक कांस्टचुएंसी का रहने वाला हूं लेकिन जो हरियाणा में सदियों से गांवों में रह रहे है जिनके छप्पर में भी उजाना नही है, क्या हम उसकों फिर जिन्दा न करें, उसके घर में उजाला न करें ? डिप्टी स्पीकर साहब हमैं कोई एतराज नही है कि गांवों और भाहर वालों को काम

दिया जाना चाहिए। हम भाहर वालों न दे पाये, वह श्रेय इनकों लेना चाहिए लेकिन यह ग्रामीण उद्योगीकरण योजना नही बनी, यह तो उसी बात तक फिर सीमित हो गई कि भाहर वालों को इजाजत दे दो। मैने सरकार से यहां पर पूछा कि क्या आप आपने और पहले की स्कीम में जोड़ा हैं सरकार ने जवाब दिया कि सेल्ज टैक्स को माफ किया है, बिजली का कनै ान मिलेगा। जो पहले कोटा मिलता है,वह दुगुना मिलेगा और जो भी माल तैयार होगा, उसकों बिकवा देंगे। मैने पूछा कि आप उस माल को किस के माध्यम से बिकवायेगे तो उत्तर मिला कि एक्सपोर्ट कार्पोरे ान के थ्रू बिकवा देगें जहां पर आजकल सात दिन से हड़ताल चल रही है।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): किस न करवा रखी है ?

डा० मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहब, क्या सारे बखेड़े की जड़ हम ही है। हमने तो उस दिन भी बखेड़ा किया था जिस दिन 28 जून, 1979 को आपकों चीफ मिनिस्टर बनाया। डिप्टी स्पीकर साहब, मै भी ग्रामीण विकास योजना के पक्ष में हूं। इस सरकार ने जो अच्छे कदम उठाये है तो बड़ी अच्छी बात है, सब को रोजगार देना चाहिए। मैने सरकार से यह भी पूछा कि आपने कोई वि ोश बात की है। इन्होने कहा कि जो कुछ हम से हो पाया है, हमने किया है।

डिप्टी स्पीकर साहब, ज्यादा कुछ ग्रामीणों के लिये ये नही कर सकें क्योंकि इनकी भी अपनी मजबूरी है कि कभी राज्य सभा के चुनाव आ जाते है और कभी कुछ आ जाता है। ये अकेले ही भागे–भागे फिरते हैं जब कोई सवाल का जवाब देने का वक्त आता है तो अकेली ही खड़े हो कर जवाब देना पड़द्यता हैं सारा काम ही इनका टैम्परेरी है, काम चलाऊ है। ये भी किसी कारण से मजबूर है क्योंकि उद्योग का, ि ाक्षा का और स्वास्थ्य का सारा का सारा काम इनके ही पास है। डिप्टी स्पीकर साहब, मै तो यही कहूंगा कि हमने जो भी काम चालू किया था, उसमे इन्होने कुछ जोड़ा नही या कोई नया काम नही कर सकें।

डिप्टी स्पीकर साहब जब चौधरी बंसी लाल जी चीफ मिनिस्टर थे तो इनकों एमरजैन्सी के टाईम में मंत्री परिशद से हटा दिया और इन पर एक इल्जाम भी दफा 376 का लगा था, उस मामले पर इनकों हटाया गया। हमें एमरजैंसी में जल में डाल दिया गया। डिप्टी स्पीकर साहब, आप हैरान होगे चौधरी बंसी लाल जी के टाईम पर 900 टन मोम आया करता था वह केवल 15 आदमियों में बंट जाया करता था लेकि जब हमारी सरकार आयी तो हमने उसकों 350 आदमियों में बांटना भुरू कर दिया। पहले यह सारा मोम को कोट फरीदाबाद में ही सीमित था लकिन हमने हरियाणा के गांव–गांव में मोम भेजना भुरू किया। यह लिस्ट मुंह बोलती हुई तस्वीर है (श्रीमती भाान्ति राठी की ओर से

विघ्न) बहिन जी आप न ही बोलते तो अच्छा है क्योंकि आप भी मेरे पास आयी थी कि मेरे भाई को मोम का कोटा दे दो।

मुख्य संसदीय सचिव (श्रीमती भाान्ति देवी): आप हमारी कोई मिसाल बताये। हमरे त्याग का आप कोई मुकाबाल नही कर सकते।

डा० मंगल सैन: डिप्टी स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने एक लिस्ट दी हुई है ओर यहां सदन में उसकी चर्चा हुई। एक पूरक प्र न पूछा गया जिसके जवाब में जवाब दिया कि डा० मंगल सैन जी जब उद्योग मत्री थे, उन्होने जो कोटे दिये चाहे वे मोम के थे या दूसरे कच्चे माल के दिये है उन लोगो के पते नही हैं यानी कि पता नही नही कि वे कहां के रहने वाले थे। जुलाई 1977 से दिसम्बर, 1977 तक पंजीकृत इकाईयों की सूची मतें जांच करने के बाद मोम के कोटे का जो दुरूपयोग पाया गया, उसकी सूची है। इस सूची मे ंयह नही कहा गया है कि जहां एग्जिस्ट नही करते हैं हमने ग्रामीण उद्योग योजना का लागू करते समय कैबिनेट के निर्णय लिये हैं नीति सम्बन्धी जी भी कार्य किये जाते है वे सचिवालय या डायरेक्टारेट करता है मिनिस्टर नही करता है लेकिन इन्होने लिखा है कि अपनी कलम से आर्डर किया है, यह गलत बात है। कोई अफसर मेरे नोअिस में लाया हो कि फलां नाम की इंडस्ट्री नही है। और कोटे का मिस–यूज कर रहा है, मैने ऐक ान न लिया हो तो मेरी गलती होती लेकिन यहां पर ऐसी कोईबात नही हुई। मेरी सरकार से मांग है कि इसकी जांच

की जाये औरसदन को एक कमेटी बनायी जाये जो सारी तथ्यय सदन के सामने जाये ताकि आनाधी को सजा किले। आप लोग जो यहां अनाप– ानाप बात करत`हो यह गलत बात है। मै पूरी जिम्मेदीारी से कहता हूं कि मैने मन, वचन और कर्म से कोई गलत काम नही किया है औ न ही कोई गलत आदे ा दिये हैं मैने जो सौगन्ध सदन में खायी है उसका अक्षरत पालन किया है जो भी तथ्य बताये गये है वे सब कमेटी के सामने आए, उसके बाद निर्णय हो जायेगा कि कौन गलत है और कौन नही हैं डिप्टी स्पीकर साहब, मै बड़ी फराखदिली से कहता हूं कि हाउस को मेरी आफर को स्वीकार करना चाहिए और यह बात भी सदा–सदा के लिए खत्म हो जाये कि हम भी जो गलत बात किसी के खिलाफ कहे तो यह कमेटी हामरे खिलाफ ऐक ान ले और उधर के भाई गल्त बात करें तो उनके खिलाफ ऐक ान ले। सब बातों को निर्णय हो जायेगाा, कोई इस फोर्म का इस्तेमाल नही करेगा। धन्यवादं

श्री वीरेन्द्र सिंह (नारनौद): डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा इंडसिट्रयलाईजे ान स्कीम पर आधे घन्टे की चर्चा में भाग लेते हुए डा० मंगल सैन ने काफी कुछ कहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मै मुख्य तौर पर सिर्फ दो–तीन बातों को ही बारें में अर्ज करनार चाहूंगा। कल–परसों मुख्य मंत्री ने अपना जवाब देते हुए यह तो माना ही है कि यह स्कीम हरियाणा के अन्दर पहली बार

मुख्य मंत्री चौधरी देवी लाल के मुख्य मन्त्रित्व काल में भाुरू हुई थी। (ाोर)

चौधरी भजन लालः उस मिनिस्ट्री में हम भी भाामिल थे और आप भी भाामिल थे। (व्यवधान)

श्री बीरेन्द्र सिंहः यह तो कैबिनैअ में बडत्री देर सेा आए और खु ाामद करने को बाद आए। (व्यवधान) जब यह स्कीम भाुरू हुई तो ये कैबिन्ेट में नही थे। (व्यवधान) जनता मे ंथे। (व्यवधान) यह ठीक है कि आप जनता पार्टी में थे और आप हर पार्टी में जा सकते है। (व्यवधान)

Mr. Deputy Speaker: Order Please. No interruptions बीरेन्द्र सिंह जी आप अपने प्वायंट पर बोले।

श्री वीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मै अर्ज कर रहा था कि यह रूरल इंडस्ट्रियलाईजे ान स्कीम जिस मकसद के लिए भाुरू की गई उसका उद्दे य यह था कि ग्रामीण बच्चों को रोजगार के अधिका से अधिक साधन प्राप्त हो। लेकिन इस सरकार की गलत नीतियों के कारण यह स्कीम समाप्त सी हो गई है। मै मुख्य मंत्री से कम से कम इतना तो अर्ज अव य करूंगा कि वे इस स्कीम का नाम बदल दें, लोगों को धोखे में रखने से कोई फायदा नही होगा। धोखे मैं रख इंडस्ट्रियलाईजे ान के नाम पर उन लोगों को प्रोत्साहन दे रहे है जो भाहर में पूंजीपति है। वे हजारों–सैकड़ों सालों से इन्डस्ट्रीज का धन्धा करते आ रहे है।

हम इस बात को मानते है कि हम ग्रामीण लोग बैकवार्ड है, पिछड़े हुए हैं हम भाहरियों की अपेक्षा तालीम के लिहाज से, माली हालत के लिहाज से हर तरह से पिछड़े हुए हैं हम ने पिछली सरकार के दौरान इन बेराजगारी लोगों को ऊपर उठाने की पूरी पूरी कोि ा ा की थी लेकिन इस सरकार की गलत नीतियों के कारण सारी प्लानिग पर बड़ी भारी चोट पहुंची है और तकरीबन तकरीबन यह स्कीम समाप्त हो चुकी है। मै केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इस दे ा में बेरोजगारों को रोजगार देने की स्कीम जैसे 'रूरल इंडसिट्रयलाइजे ान स्कीम और कोटेज इन्डस्ट्रीज स्कीम' जैसे 'रूरल इंडसिट्रयालाईजे ान स्कीम और कोटेज इन्डस्ट्रीज स्कीम' लोकदल के नेता द्वारा ही भाुरू की गई थी। (हंसी) (ाोर एवं तालिया)

श्री उपाध्यक्षः आर्डर प्लीज, कृपया भाोर न करें।

श्री वीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, राश्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस दे ा में रूरल इंन्डस्ट्रीज, कोटेज इन्डस्ट्रीज स्कीम को चालू किया था। अब तमाम राजनीतिक पाटियों में से केवल लोकदल पार्टी ने ही इस नीति को अपनाया है। हमारी पार्टी के नेता चौधरी चरण सिंह जी ने ही इस स्कीम को देहात के अन्दर चालू करने की कोि ा ा की। अब मै आपके द्वारा इस पार्टी के नेता चौधरी भजन लाल जी से कहना चाहता हूं कि यदि हरियाणा के बेरोजगारों की बेरोजगारी को समाप्त करना है तो

केवल रूरल इन्डस्ट्रीज और कोटेज इन्डस्ट्रीज से ही की जा सकती है।

श्री उपाध्यक्षः कृपया अब आप समाप्त करें।

श्री वीरेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो बोलना भाुरू किया है, कुछ बातें कही नही जायेगी तो पढ़ेगा कौन? तो मै उपाध्यक्ष महोदय, अर्ज कर रहा था कि जिस ढंग से यह सरकार अपनी गलत नीति के कारण इस स्कीम को चला रही है। उससे रूरल इन्डस्ट्रीज को प्रोटे ान यानी बढ़ाया नही मिल रहा हैं एक बात और मै अर्ज करना चाहता हूं जो कि डा० मंगल सैन जी फरमा रहे थे कि इस सरकार का केवल एक मात्र काम है कि किस प्रकार से पावर मे बना रहा जा सके। जो नुक्ता डा० साहब ने कहा है और जो नुक्ता श्रीमती इन्दिरा गांधी का 20 सूत्री कार्यक्रम का है उस नुक्ते में मै श्री एक नुक्ता जोड़ना चाहता हूं। वह यह है कि इस 20 प्वायंट कार्यक्रम में जो 14 नम्बर नुक्ता जो इस सरकार ने अपनाया है उसमें यह है कि इस दे ा में से मिडलमैन खत्म होना चाहिए। सरकार ने तथा वजीरों ने मिल कर इस प्रान्त से मिडलमैन कतई तोर पर समाप्त कर दिया है। अब कोई मिडलमैन नही रहा। अब इनका सीधा रास्ता हो गया है। (ाोर) अब मै ज्यादा कुछ न कहते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार को गांवों के बेरोजगारों को रोजगार देने के अधिक से अधिक साधन रूरल इन्डस्ट्रीज, कोटेज इन्डस्ट्री के अपनाने चाहिएं ताकि हरियाणा प्रांत के बेरोजगार व्यक्तियों को काम मिल

सके। डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। आप का धन्यवाद करते हुए मै अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

चौधरी संत कंवर (हसनगढ़): डिप्टी स्पीकर साहब, मै आपका ध्यान जो ग्रामीण औद्योगिक स्कीम है उसकी तरफ आकर्शित करना चाहता हूं। दो तीन सुझाव मै यहां हाउस के सामने रखना चाहूंगा और मुझ वि वास है कि सरकार मेरे इन सुझावों के ऊपर गौर करेगी तथा उचित ध्यान देगी। डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो स्कीम है यह हरियाणा के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हैं पहली बात तो मै यह कहना चाहता हूं कि हमारे ग्रामीण लड़के जो इन्डस्ट्रीज लगाये जाने के संबंध में लोन लेने के लिए फार्म भरते है, उनकों भाहर के कई–कई चक्कर काटने पड़ते है। इस संबंध में कई बार भाायद बैकों की मीटिंग भी हो चुकी है। लेकिन आज तक कोई एक केस भी ऐसा नही है जिसमें किसी लड़के को या लड़कों को बिना किसी प्रकार की दिक्कत उठाये हुए लोन मिल गया हो। इस लोन को जो लड़के लेने की किसी ने किसी प्रकार कोि ा ा भी करते है तो बिना रि वत के उनका काम नही होता क्योकि खुलेआम रि वत चल रही है। जब से यह सरकार आई है तब से तो इस स्कीम पर उल्टा ही असर पड़ा है। (ाोर) इसलिए मेरा इस सरकार से यह निवेदन है कि गांवों के बेरोजगारों को बैको से लोन दिलाये जाने के लिए बैकों की मीटिग बराबर करनी चाहिए और उनके ऊपर दवाब डालना

चाहिए ताकि ग्रामीण लड़कों को किसी प्रकार का लोन लेते समय दिक्कत नह आये। जो भी कोई बेरोजगार व्यक्ति कोटेज इन्डस्ट्रीज आदि लगाने के लिए फार्म भरने के बाद बैक से पैसा लेने के लिए आये तो उनको पैसा इन बैकों में जमा पड़ा हैं इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह बैकों के ऊपर दवाब डाले कि रूरल इंडसिट्रयलाइजे ान स्कीम तथा कोटेज इंन्डस्ट्रीज स्कीम के लिए जो भी बेरोजगार व्यक्ति लोन लेने के लिए आये उसे लोन तुरन्त दे दिया जाये।

दूसरी बात मै यह अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार ने जिस तरीके से इस स्कीम के तहत भाहर वालों को भी लोन देने की छूट दी है यह ठीक नही हैं अब सरकार ने यह कर दिया है कि कोई भाहर वाला गांव में जा कर के इन्डस्ट्रीज लगा सकता है यह सरकार ने बिल्कुल गल्त नीति अपनाई है क्योंकि भाहर के लड़के ज्यादा पढ़े लिखे है और हमारे देहात के भाई भाहर वालों की अपेक्षा तालीम में काफी पीछे है। भाहर वाले अधिक पढ़े–लिखे होने के कारण लोन लेने से संबंधित फार्मो की फार्मेलीटीज गांव वालों की निस्वत जल्दीकर लेते है और उनकौं लोन जल्दी मिल जाता है। गांव वालों को इतना नोलेज नही होता इसलिए वे उनसे पीछे रह जात `है। इस लिये आपके माध्यम से सरकार को मेरा सुझाव यह है कि इस बारें मैं जो बैन हटाया गया है कि गांव के लड़के जरूरी नही, भाहर के लड़के भी इसमें सम्मिलित हो सकते है, यह नही होना चाहिए। जब यह योजना गांव की बेरोजगारी दूर

करने के लिये है इसलिए जरा गौर से सुनें। एक सुझााव मैं आपके माध्यम से सरकार को और देना चाहता हूं और वह यह है कि जो इंडस्ट्रीज लगाने के लिये फार्म हमारे गांव के लड़के भरते है, उनकों हमारे मुख्य मंत्री महोदय को यह आ वासन दिलाने के लिये अपने अफसरान को यह आदे ा देना चाहिये कि आप उद्योग लगाओं, आपका माल यदि बाजार में नही बिकेगा तो सरकार खरीदेगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि उनकों यह गारन्टी दिलायी जाये कि उनका माल अगर बाजार में नही बिकेगा तो हरियाणा स्माल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कारपोरे ान खरीदेगी। इस बारें में मुख्य मंत्री महोदय अपने अधीन सभी जिला स्तर के अधिकारियों वे लोक सम्पर्क के अधिकारियों को आदे ा दे कि इस बात का प्रचार ठीक तरीके से करें ताकि आम गरीब गांव के आदमी को इस बात का पता चल जाये कि अगर उनका माल कही नही बिकता तो उस माल को खरीदने के लिये सरकार तैयार है। अगर ऐसा होगा तो गांव–गांव में इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा लगेगी और गांव के पढ़े–लिखे बेरोजगार नौजवान इस स्कीम के तहत कर्जा लेकर इंडस्ट्रीज लगायेगे। इन भाब्दों के साि मै आपका धन्यवाद करते हुए मुख्य मंत्री महोदय से यह आ ाा करूंगा कि जब वह जवाब देगे तो मेरे सुझावों के बारें में भी बतायेगे। धन्यवाद।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री उपाध्यक्षः मैने कुछ अनाउन्समैंअ भी करनी है और अभी मुख्य मंत्री महोदय ने भी जवाब देना है, इसलिए मेरा सुझाव है कि आधा घंटा संदन का समय और बढ़ा दिया जाये?

आवाजेः हां जी, बढ़ा लीजिये।

श्री उपाध्यक्षः सदन का समय आधा घंआ और बढ़ाया जाता है।

आधे घंटे की चर्चा (पुनरारम्भ)

सरदार सुखदेव सिंह (रोड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, मै यदि अपनी साथी डाक्टर साहब को बुजुर्ग और मोहतरिम साथी कहूं तो कोई हर्ज नही, उनका मै बड़ा आदर करता हूं। एक रिपोर्ट का बार–बार यहां पर उन्होने अपनी स्पीच में जिक्र किया। यह जो रिपोर्ट हमें जुलाई, 1977 से दिसम्बर, 1979 तक पंजीकृत इकाईयों इकाईयों की सूची, जिनकी जांच करने पर मोम, कागज तथा लोहे व इस्पात के कोर्ट का दुरूपयोग पाया गया, दी गयी है, मै इस बारें में उन्हें बताना चाहता हूं। डाक्टर साहब ने बोलते हुय यह कहा कि हमारे से पहले यह जो मोम का कोटा दिया जाता था, यह केवल 18 आदमियों को दियाजाता था, इन्होने वह कोटा 350 आदमियों को दिया है। इसमें जो स्टेटमैट आन दी टेबल आफ दी हाउस और मैम्बरान को दी गयी है, उससे यह पता चलता है कि 50 यूनिट्स ऐसे थे जो बोगस थे। (ाोर व व्यवधान)

डा० मंगल सैनः क्या आप जवाब दे रहे हो? (ाोर व व्यवधान)

चौधरी गंगा रामः यह 50 पता नही अफीम के या किसी और चीज के कट्टे है। (ाोर व व्यवधान)

सरदार सुखदेव सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, अब मै एक बात और बताने लगा हूं। (ाोर व व्यवधान) सुनने की हिम्मत होनी चाहिए मेरे दोस्तों में। (ाोर व व्यवधान) मैने यह तीनों चीजें अपने क्वै चन मे पूछी थी। मै आपकों मोम, कागज और लोहे के कोटे की बात बता रहा हूं। अब मै लोहे के कोटे की बात करूंगा। लोहे का कोटा लेने वाली बोगस फर्मे या इकाईया जिन्होने इस कोटे का मिसयूज किया है, वह इस लिस्ट में 30 दी गयी है और उनमें से 21 रोहतक की है।

डा० मंगल सैनः 21 रोहतक जिले की है। सिर्फ 4 रोहतक भाहर की है बाकी सारे जिले की है। (ाोर व व्यवधान)

चौधरी संत कंवरः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि यहां पर रूरल इंडस्ट्रियलाइजे ान स्कीम पर बहस चल रही हैं डाक्टर मंगल सैन ने अपनी तकरीर में जो कुछ कहा है, उसका जवाब तो मंत्री या मुख्य मंत्री महोदय ने देता है। वह कोई मंत्री नही है।

श्री उपाध्यक्षः देखिये डाक्टर सुखदेव सिंह जी, रिपोर्ट सब मैम्बर्ज को मिल गयी है और डाक्टर मंगल सैन जी ने उस पर

कुछ कहां है। डाक्टर साहब ने इस बारें में जांच कमेटी बिठाने की मांग की है। और यह कहा है कि जो भी दोशी पाया जाये, उसे सजा दी जाये। हाउस का समय हम पहले ही तीन–चार बार बढ़ा चुके है। इसलिए मेरी प्रार्थना यह है कि आप उनके बारें में कुछ न कहें तो अच्छा है।

सरदार सुखदेव सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मेरी सबमि ान यह है कि जो रोहतक में बोगस इकाईयों को लोहे व इस्पात के कोर्ट दिये गये उनकी संख्या 21 है जबकि बाकी के सारे हरियाणा में ऐसी इकाईयों की संख्या सिर्फ 9 है। (ाोर व व्यवधान) जो देवी लाल जी ने इसकों डिसमिस किया था, वह ठीक ही किया था। (ाोर व व्यवधान) देर आयद दरूस्त आयद। इस बारें में चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने जो इंक्वायरी करके रिपोर्ट दी थी, वही सही थी जिस पर इनकों डिसमिस किया गया था। (ाोर व व्यवधान)

डा० मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहब, आपने क्या इनकों सुबह से लेकर भााम तक अनाप– ानाप कहने की इजाजत दे रहखी है। देखिये, यह करैक्टर असैसीने ान की बाते कर रहे है। फिर मुझे भी इनकों पोल खोलनी पड़ेगी कि कहां से इसने कितने पैसे खाये हैं। (ाोर व व्यवधान)

Mr. Deputy Speaker: Kindly wait and listen to me. (Interruption) Please do not cast aspeersions on anybody.

सरदार सुखदेव सिंहः यह जो कहते है कि इस रूरल इंडस्ट्रियलाइजे ान की स्कीम में जो अमैडमैंट की गयी है कि भाहर के लड़के भी इस में भाामिल हो सकते है, यह गलत बात लेकिन मै सरकार को इस बात के लिये दाद देता हूं कि इसने हर हरियाणा को एक समान समझा हैं चाहे वह भाहर को रहने वाला है या गांव का रहने वाला है, है तो वह हरियाणवी। इस सरकार ने हर हरियाणा निवासी को जोकि गरीब है, पढ़ा लिखा हुआ है और बेरोजगार है, यह जो सहूलियत दी है। यह ठीक दी हैं इतना ही कहते हुए मै अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह (उचाना कंला): उपाध्यक्ष महोदय, रूरल इंडसिट्रलाइजे ान की स्कीम के बारें में हमारे लोक दल के कई साथियों ने यह हा कि हमारी सरकार ने यह स्कीम चलाई थी। (व्यवधान व भाोर)

एक आवाजः आपके मुख्य मंत्री भी उसमें भाामिल थे। (व्यवधान व भाोर)

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः दरअसल अगर 20 सूत्री कार्यक्रम में ऐसी बात न होती तो आपकी इन इलैक ानों में इतनी पिटाई न होती। जिस नजरिये से इस ग्रामणी औद्योगिकरण योजना को 20 सूत्री कार्यक्रम में भाामिल किया गया था, असल में उस नजरिये से 1977 में आने वाली सरकार इसे इम्पलीमैंट नही कर सकी। यही वजह है कि सदन में आज इस बारें में चर्चा होते समय यह

कहा गया कि वह स्कीम फेल होती हुई नजर आ रही है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आज चौधरी गंगा राम जी बहुत बोल रहे है। इनकी फ्लडं कमेटी का मैम्बर बनाया गया। मुझे ये एक दिन बता रहे थे कि मेरा सोलह हजार का उस टाईम का टी०ए० बाकी है। (व्यवधान)

चौधरी गंगा रामः इनके चेयरमैन तो इतना टी०ए० ले सकते है, मै इतना टी०ए० कैसे ले सकता हूं। जो कुछ ये कह रहे है यह ठीक नही है। मैने ऐसा कभी नही कहा।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, 1977 में एक तरफ तो गरीब लोगों के मकानों में फ्लड का पानी घु रहा था लेकिन चौधरी गंगा राम की जेब मे ंनोट घुस रहे थे। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, दरअसल हरियाणा में जिस समय ग्रामीण औद्योगिकरण की स्कीम इंट्रोड्यूस की जा रही थी उस समय हरियाणा की ग्रामीण जनता को ऐसा नारा दिया जा रहा था, देहात के अन्दरी ऐसा वातावरण बनाया जा रहा था कि अब किसानों का राज है, हरियाणा के अन्दर अब वह राज नही है जो पहले था। ओद्योगिकरण की स्कीम के महत अपने खास आदमियों को इस बात के लिये उकसाया गया कि वे कोई इंडस्ट्री स्थापित करे। उपाध्यक्ष महोदय, आदमी चाहता है कि उसे सगे सम्बन्धी कोई कारखाना लगाएं, कोई इंडस्ट्री स्थापित करें और यह अच्छी बात है। लेकिन इस स्कीम के अन्डर जिनकों फायदा पहुंचना चाहिए था उनकों फायदा नही पहुंचा। दरअसल इस स्कीम के

अन्डर जिनकों फायदा पहुंचना चाहिए था उनकों फायदा नही पहुंचा। दरअसल इस स्कीम के तहत यह होना चाहिए था कि जो आदमी बिल्कुल बेसहारा है, जिसका कोई कमाई का साधन नही है उस आदमी को इस स्कीम के अन्डर ऊपर उठाना चाहिए लकिन ऐसा नही किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, भाुरू में इस स्कीम के तहत बारह सौ या तेरह सौ यूनिट लगे और बे ाक आप सर्वे करवा कर देखे ले, ये यूनिट उन लोगों ने लगाये जो पहले ही खाते पीते आदमी थे, जिनके पास पैसे का साधन अच्छा था। जिस मुद्दे से यह स्कीम चलाई गई थी कि गरीब लोागें की, बेरोजगार लोगों की, साधनहीन लोगों की इस स्कीम के तहत मदद की जाए, वह कोई बात नही की गई। एक भी गरीब आदमी को इस स्कीम का फायदा नही पहुंचा। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने बताया है कि इस स्कीम के अन्डर भाहर के लड़कों को भी भाामिल किया जा रहा हैं मै मुख्य मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि अगर ऐसा किया जा रहा है तो जो कुछ अब तक हुआ है उससे भी भविश्य में कम होगा। अब तक गांव के एफिलूऐंट लोगों ने ही इस स्कीम का फायदा उठाया हैं अगर भाहर के लड़कों को इसमें भाामिल किया जाएगा तो भाहर के अमीर लोग ही इसका फायदा उठाएंगे। अगर सरकार ने भाहर के लोगों को फायदा पहुंचाना है तो उनके लिये अलग से स्कीम बनाई जाए। सरकार को चाहिए कि वह इस स्कीम के तहत एक सर्वे करवा कर देखे कि गरीब का बच्चा कौनसा है, हरिजन का बच्चा कौनसा है जिसके पास कमाई का कोई साधन नही है ओर जिन्होने दसवी या बी०ए० पास किया

हुआ है, उनकी सरकार मदद करे तभी ग्रामीण औद्योगिकरण की स्कीम सफल हो सकती हैं आज के पैटर्न पर अगर यह स्कीम भविश्य मे ंचलाई जाएगी तो वह पूरी तरह फेल रहेगी। इतना ही कहकर मै समाप्त करता हूं।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू (पाई): डिप्टी स्पीकर साहब, रूरल इंडसिट्रयलाइजे ान की जो स्कीम हरियाणा के अन्दर चल रही है यह बहुत अच्छा कमद है क्योंकि आज जमीन के ऊपर बहुत बोझ है और लोगों के पास बहुत थोड़ी जमीन है। लोगों का गुजारा जमीन से नही हो रहा है। खेती की पैदावार बहुत घट गई हैं किसान अपनी जरूरत की जो भी चीज खरीदता है वह उसे मंहगी मिलती है। उसकी कौस्ट आफ प्रोडक ान बहुत ज्यादा हो गई है लकिन उसकी आमदनी कम है इसलिये इस स्कीम को देहात के घर–घर में भेजा जाए। (व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, जो पहले जनता पार्टी की सरकार थी उसने ढ़ाई साल तक किसान का नाम लेकर सरकार चलाई लेकिन उस अढ़ाई साल के अर्से में किसान की किसी चीज की कीमत नही मिली। उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय राव साहब की मिनिस्ट्री थी और मै उसमें मिनिस्टर था उस समय हमने किसान का अनाज अंगूरों के भाव बिकवा दिया लेकिन गरीब आदमी को आठ आने किलों आटा दिलवाया। उस सरकार ने दोटे आदमी की मदद की और बड़े आदमी से पूरा भाव लेकर किसान की मदद की। पिछली सरकार जो अपने आपकों किसान की सरकार कहती थी, असल में वह

किसान की मदद की। पिछली सरकार जो अपने आपकों किसान की सरकार कहती थी, असल में वह किसान की सरकार नही थी, उसने किसान को गन्ने का भाव ठीक नही दिय। डिप्टी स्पीकर साहब, लकड़ी का भाव आठ दस रूपया मन और गन्ने का भाव दो रूपया क्विंटल उस सरकार ने जमाने में था (व्यवधान) किसानों के ऊपर बहुत कर्जा चढ़ गया। आप अन्दाजा लगाएं कि कौन किसान गन्ना बोएगा। जब हमारी सरकार थी उस समय हमने गन्ने का भाव किसान को चार–पांच रूपये क्विटल दिया और उस समय चीनी का भाव एक रूपया चालीस पैसे किलों था लेकिन आज चीनी सात आठ रूपये किलों बिक रही हैं यह सब इन मेरे अपोजी ान के भाईयों के देन है। आप किसान को उसकी फसल का पूरा भाव देकर चौधरी छोटू राम के स्वप्न को पूरा करें। (व्यवधान) दो अढ़ाई साल तक किसान को उसकी पैदावार का जो कम भाव मिला उससे किसान काफी दु:खी रहा, मेरी अब सरकार से प्रार्थना है कि पूरा भाव देकर उसकी सहायता करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः पोहलू साहब, आप इस बात का ध्यान रखे कि यह भाशण कई बार हो चुका है। आप रूरल इंडस्ट्रियलाईजे ान की पोलिसी पर ही बोले (व्यवधान)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः उपाध्यक्ष महोदय, हम भाव मिलने के कारण गरीब किसान और मजदूर पर जो कर्जा चढ़ा है, मेरी सरकार से प्रार्थना है कि एक बिल लाकर किसान और मजदूर पर चढ़ा हुआ सारा कर्जा माफ किया जाए और ऐसा करके सर

छोटू राम का सपना पूरा किया जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, यहां पर मोम के कोटे का, कागज के कोटे का जिक्र किया गया। मै इस बारें में सुझाव देना चाहता हूं कि आप चोर को क्यो मारते हो, चोर की मां को मारों। इस सब चीज की इंक्वायरी करवाई जाए और जिसने गल्त इस्तेमाल किया है उनसे वसूल किया जाए और सरकार के खजाने मे जमा किया जाए। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मै कहना चाहता हूं कि जनसंघ के लोगों को मोम का कोटा दिया गया था। (व्यधान)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण उद्योग योजनाएं, 1977 में भाुरू की गई, इसमें दो राय नही हैं उस समय चौधरी देवी लाल जी मुख्य मंत्री थे। उसी दौरान ही स्कीमें चालू हुई लेकिन उस समय हम भी उसमे हिस्सेदार थे, जनता पार्टी की सरकार थीं चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने मुझ पर यह यह इल्जाम लगाया कि आप भी उसमें मंत्री थे और पता नही क्या कहा कि हाथ जोड़कर मंत्री बने थे। (ाोर)

श्री वीरेन्द्र सिंह: मै ने यह कहा था कि खु ाामद करके आये थे और वि वासघात करके चले गये। (ाोर)

चौधरी भजन लाल: चौधरी देवी लाल खुद बाबू जगजीवन राम जी के पास गये थे और मुझ मन्त्रिमण्डल में दाखिल करवाने के लिये उनसे कहलवाया थाा, तब मै जाकर केबिनेट में भाामिल हुआ था। (ाोर)

श्री वीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, यह राज मेरे और इनके बी ही रहे तो अच्छा रहेगा। (ाोर)

चौधरी भजन लालः उपाध्यक्ष महोद, आपकों पता होगा कि चौधरी देवी लाल तो डिप्टी चीफ मिनिस्टरि ाप लेकर मेरे पीछे–पीछे फिरते थे और ये कहते है कि हाथ जोड़कर आये थे (ाोर) चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने बोलते हुए इस स्कीम में ढील दिये जाने की बात कही कि इस स्कीम में ढील द देने से देहाती लोगों को कोई फायदा नही हो रहा है। मै आपकों बतानाचाहता हूं कि चौधरी देवी लाल के वक्त में जब यह स्कीम चालू हुई थी उस वक्त यह किया गया है कि चार आदमी बिरादरी के मिल कर अगर इस तरह की इकाई लगाना चाहें तेा लगा सकते है, उनकों सरकार की तरफ से पूरी तरह की सुविधाए दी जाएंगी इस तरह के यूनिटस लगाये गये पर हुआ कि यह काम 6 महीने भी न चल पाया और बहुत से यूनिटस फेल हो गये। उसके बाद फिर सरकार ने यह फैसला किया कि अगर कोई दो आदमी मिलकर इस तरह का यूनिट लगाया चाहे तो लगा सकते हैं उसके बाद यह कर दिया कि चालो कोई सगे भाई मिल कर ही अपना चूनिट लगा सकते है लेकिन ये सभी काम बुरी तरह से फेल हो गये क्योंकि इन में बहुत सारी रिदक्कते भी थी क्योंकि इन यूनिटस के लिये बैक्स से लोन वगैरह मिलता है और फिर वैक्स वगैरह को यह भी देखना पड़ता है कि इस तरह की यूनिटस है भी कि नही, आया इन यूनिटस से कर्जा भी वसूल हो सकेगा कि नही, आया

सांझेदारी का हिसाब किताब ठीक तरह से चलता है कि नही? इन सभी दिक्कतों को दखते हुए हमने अब इस स्कीम की पालिसी को बदल दिया और यह कर दिया कि कोई भी एक व्यक्ति, चाहे किसान, हरिजन या बैकवर्ड क्लासिज से सम्बन्ध रखता हो, महाजन हो, पंजाबी भाई हो, वह देहात में जाकर अपनी फैक्ट्री लगा सकता हैं इस स्कीम के महत जहां पहले यह था कि वह आदमी देहात का ही वोटर हो, इस पालिसी को भी हमारी सरकार ने बदल दिया हैं अब भाहर का कोई भी आदमी देहात में जाकर इस तरह की इकाईयों लगा सकता है जिसकों देखकर देहात के दूसरे भाई इस तरफ खिचेगे और उनका भी इस तरफ ध्यान आकर्शित होगा और जिसके पास कोई साधन नही होगे, उद्योग नही होगा, वह भी प्रोत्साहित होगा और इस तरह से उद्योग गांवों में लगाएगा। इसके साथ–साथ उपाध्यक्ष महोदय, मै इस बारें में कुछ आंकडे कोट करना चाहता हूं। जब चौधरी देवी लाल की सरकार थी उस वक्त 1977–78 में केवल 123 इकाईयां थी, उस वक्त डाक्टर मंगल सैन उ़द्योग मंत्री हुआ करत `थे और उसके अगल `साल 1978–79 में यह बढ़कर 697 हो गयी और अब 1979–80 में जब से यह सरकार आई, इनकी संख्या बढ़ाकर एक सकाल के अन्दर 1,688 हो गयी है। यह संख्या पिछले दोनों सालों से ज्याद है और इन इकाइयों से कोई लगभग 5131 लोगों को रोजगार भी मिला हैं 1977–78 में केवल 700 लोगों को इन इकाईयों से रोजगार मिला था और 1978.79 में 1986 लोगों को इन इर्कायों से रोजगार मिला और फिर ये कहते कि इस सरकान

ने कोई नया काम नही किया। इसमें कोई भाक नही कि यह स्कीम चौधरी देवी लाल जी की चलायी हुई थी। हमने उसे बाद 26 ट्रेनिग सेन्टर्ज खोले और उन सेन्टर्ज में जो लड़के ट्रेनिग लेते थे,उनकों 150 रूपये महीन वजीफा के तौर पर दिया जाता था इस तरह से 594 लोगों को हम ट्रेनिग दे चुके है और उन ट्रेनिग लेने वालों में से 259 ने अपने गांवों में इस तरह की इकाईयां लगायी है। (तालिया)

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ मै सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि इस स्कीम के तहत लोगों को 31–5–80 तक 2 करोड़ साढ़े 31 हजार रूपये का कर्जा भी दिलवाया है, उन इकाईयों में 1977–78 में 4 लाख 80 हजार रूपये का माल बनकर तैयार हुआ था, 1978–79 में 16 लाख 22 हजार रूपये का माल और 1979–80 में 1 करोड़ 3 लाख 6 हजार रूपये का माल इन इकाईयों के द्वारा बनाया गया है और फिर से अपोजी ान के मैम्बर साहेबान कहते है कि इन्हेाने एक साल में क्या किया। (ाोर)

चौधरी गंगा रामः डिप्टी स्पीकर साहब, और भी एक काम किया। 39 आदमियों कोअपने साथ लेकर चले गये। (ाोर)

चौधरी भजन लालः 39 आदमियों को साथ लेकर जाना भी क्या आसान काम है? आजकल तो एक सगा भाई भी आपके साथ नही चल सकता। (ाोर) तो मै कहना चाहता हूं कि इस

योजना को हम सुचारू रूप से चलाना चाहते है, क्योंकि ये योजनाएं देहात का गरीब हो, या भाहर का गरीब हो, उसकों ऊपर उठाने के लिये बड़ी हितकारी हो सकती है। यही एक साधन है जोकि गांवों के भाईयों के लिये हितकारी हो सकता है क्योकि अगर किसी के पास पहले 30 किल्ले जमीन थी तो बाद में वह 5 किल्ले रह गई और इसी तरह से वह घटती–घटती एक किलले पर आ जाएगी इसलिये आज कल किसान को जमीन से इतनी आमदनी नही हो सकती कि वह अपने बाल बच्चों का पालन पोशण अच्छी प्रकार से कर सके, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसे ठोस, कदम उठाये है ताकि लोगो ंके बेरोजगारी का सामना न करना पड़े और इस तरह से छोटे छोटे उद्योग धन्धों से दे ा की गुरबत भी दूर हो जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नही बल्कि हम एक और बात भी करने जा रहे है ताकि लोगों को, देहाती भाईयों कोा, जिनको रोज रोज दफतरों में चक्कर काटने पड़ते है, कोई दफतर कही है, कोई दफतर कही है, डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्ज पर और सब–डिवीजन लैवल पर सभी दफतरों को एक ही जगह पर इकट्ठा किया जा रहा है ताकि लोगों को किसी प्रकार की परे ाानी न उठानी पड़े। इसक साथ–साथ मै आपकों बताता हूं कि जब हमने कई ऐसे गड़बड़ वाले केस डा० मंगल सैन क सामने रखे तो डाक्टर मंगल सैन जी हाथ हिला हिला कर बोल रहे थे, कह रहे थे कि इसमें मेरा कोई कसूर नही है, मुझ इन सब बातों

को कुछ पता नही है। मै आपकों बताता हूं मेरे पास फिग्गर्ज है कि 53 मोम और कागज के कोटे इन्होने गल्त आदमियों को दिये और हमने जो इंक्वायरी करवाई, उससे यह पता चला, अभी इंक्वायरी जारी है, पता नही और कितनी गलतियां मिलेगी। इंक्वायरी करने पर यह पाया गया है कि मौके पर तो कोई इकाई नही है, अगर कही पर कोई चिह्न पाया है तो केवल वहो पर बोर्ड ही लटका रखा है, और कुछ नही। (ाोर) कोई सिी तरह काी वहां पर म ाीनरी नही है। हुआ क्या है कि लोगों ने गल्त कोटे वगैरह लेकर आगे ब्लैक में बेचे है। यही नही इसके साथ साथ मै आपकों यह बता देता हूं कि 30 स्टील के कोटे भी इन्होने लोगों को दिये है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि यह जो चीफ मिनिस्टर साहब ने लिस्ट सप्लाई की है, इसमें हम देख रहे है और इससे जाहिर होता है कि जिस आदमी को कोटा दिया गया है, वहां ही मिसयूज हुआ है। परन्तु मुख्य मंत्री जी ने इसमें यह नही बताया कि ऐसी कौन–कौन सी और कितनी इकाईयां है जो कि वास्तव में वजूद में नही है। कृपया इनकी लिस्ट भी जरा हमें बता दें तो मेहरबानी होगी।

चौधरी भजन लालः इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं मिनिस्टर होता था उस समय संत कंवर जी मेरे पीछे बैठा करते थे। उस समय ये कहा करते थे डा. मंगल सैन जी मोम का कोटा खा गये। (ाोर) यह रिकार्ड की बात है। (ाोर)

डा. मंगल सैनः उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा, आप गलत कह रहे हैं। (ाोर)

श्री दीप चन्द भाटियाः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैं आपके द्वारा हाउस को बताना चाहता हूं। (ाोर)

आवाजेंः डिप्टी स्पीकर साहब, प्वायंट आफ आर्डर द्वारा बताया जाता है या पूछा जाता है ? (ाोर)

श्री उपाध्यक्षः भाटिया साहब, आप बैठें पहले मुख्य मंत्री जी को बोल लेने दो।

चौधरी भजन लालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी सेवा में प्रार्थना कर रहा था कि इन्होंने किस तरह से गलत कोटि दिय। इन्होंने इस्पात के 30 फर्मो को गलत कोटे दिए। तीस में से 22 फर्मे अकेल रोहहतक जिले की हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस लोहे की 1500/– रूपये से लेकर 4000 रूपये टन की ब्लैक है और मोम में 5000/– रूपये क्विंटल तक की ब्लैक है। (ाोर)

डा. मंगल सैनः हाउस की एक कमेटी बना कर आप इसकी इंक्वायरी करवा लें, वैसे ही इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। (ाोर)

चौधरी भजन लालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कह रहा कि डा. मंगल सैन खा गये। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनके

वाली बात करते हैं। (ाोर) यह बात कह कर तो ये खुद को गुनाहगार साबित कर रहे हैं। (ाोर)

श्री वीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। डा. मंगल सैन, उस वक्त उद्योग मंत्री थे, उनके बारे में यह लिस्ट दी गई है और वे बराबर कह रहे है। कि इसकी इन्क्वायरी करवा लो। अगर उन्होंने कोई गुनाह किया होगा तो उनके खिलाफ केस रजिस्टर हो सकता है और कोर्ट में मूव कर सकते हैं लेकिन यह नहीं हो सकता कि वैसे एलिगे ान लगा दिया जाए। (ाोर)

चौधरी भजन लालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा और स्पश्टीकरण करना चाहता हूं। इसमें डा. साहब यह कह सकते हैं कि भाायद इन्क्वायरी स्टेट के अफसरों ने की होगी और गल्त रिपोर्ट दे दी होगी। मै। सदन को बताना चाहता हूं कि इनमें से बहुत सी इकाईयों की इंक्वायरी भारत सरकार के अफसरों ने खुद की है और उनकी रिपोर्ट है कि माल का दुरूपयोग पाया गया है। मेरे पास सभी इकाइयों की लिस्ट है, कहो तो मैं पढ़ कर सुना देता हूं। (ाोर)

चौधरी गंगा रामः उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मुख्य मंत्री जी दुरूपयोग की परिभाशा बता दें। (विघ्न एवं भाोर)

चौधरी राम लाल वधवाः उपाध्यक्ष महोदय ..... (ाोर)

चौधरी गंगा रामः उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैं पूछ रहा था कि मुख्य मंत्री जी पहले दुरूपयोग की परिभाशा बताएं तो ि ाव राम वर्मा जी ने बैठे बैठे कहा कि तेरी टांग। (हंसी) उपाध्यक्ष महोदय, ये किस तरह की भाशा बोलते हैं ? अगर मैं इनको कह दूं कि तेरी मूंछ (चौधरी खुर ाीद अहमद की ओर से विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, अब मूंछ की जगह दाढी आ गई है। (हंसी एवं भाोर)

Mr. Deputy Speaker: Please take your seat. No interruptions please.

बैठक का समय बढ़ाना

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अभी मुख्य मंत्री जी भी बोल रहे हैं और उधर से डा. साहब भी बोलने के लिए कह रहे हैं इसके अलावा मैंने भी कुछ अनांउसमैंटस करनी हैं अगर हाउस की सैंस हो तो सदन का समय 15 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी, बढ़ा दें।

श्री उपाध्यक्षः बैठक का समय 15 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है।

आधे घंटे की चर्चा (पुनरारम्भ)

चौधरी भजन लालः उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि ..... (ाोर)

चौधरी राम लाल वधवाः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मुख्य मंत्री जी दो वर्डज को इंटर मिंगल कर रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं हमने इन्कवायरी करवाई और दूसरी तरफ कहते हैं कि भारत सरकार ने इन्क्वायरी की। क्या यह दुरूपयोग नहीं था। इन दो भाब्दों को मिला कर हमें समझ नहीं आई। ये खुद भी समझ कर नहीं आए कि इन्होंने क्या कहना है। (ाोर)

चौधरी भजन लालः उपाध्यक्ष महोदय, हो सकता है कि वधवा साहब ने समझा हो कि इन्क्वायरी हरियाणा सरकार के अधिकारियों से करवा कर गलत रिपोर्ट मंगवा ली हो। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आधी से ज्यादा इकाईयों की इन्क्वायरी गवर्नमैंट आफ इंडिया के अधिकारियों ने की है। उन अधिकारियों ने लिखा है कि जो लोहा एलोकेट किया गया था उसका दुरूपयोग किया गया है। जिनको माल दिया गया है, उनके यहां कोई म ाीनरी ही नहीं लगी हुई है। (ाोर) आप भाान्ति से सुनने की कृपा करें, मैं सारी असलियत पे ा कर दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, 84 इकाईयों की रिपोर्ट हमारे सामने आई हैं जिनमें मामे और स्टील के कोटे गलत पाए गए। अभी इन्क्वायरी जारी है

रिपोर्ट आने पर पता चलेगा कि कितनी गड़बड़ है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा संत कंवर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि इन इकाईयों में जो माल बनता है उसके बेचने का इन्तजाम सरकार को करना चाहिए। इसके लिए हमने कुछ केन्द्र तो खोल दिय हैं और कुछ और खोलने जा रहे हैं ताकि जो वहां माल बने उसको बेचने का प्रबन्ध किया जा सके। इसके साथ साथ चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने एस.वाई.एल. के बारे में कहा कि उनकी सरकार ने इस बारे में बहुत कुछ किया था लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं किया। (विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंहः मैंने यह नहीं कहा था। मैंने तो यह कहा था कि चूंकि आज यह इ ू उठा है और पंजाब की असैम्बली भी सै ान में है इसलिए सरकार को इस इ ू पर डिस्क ान करने के लिए हमें इनक्रेज करना चाहिए था।

चौधरी भजन लालः उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी देवी लाल जी 2 साल 6 दिन इस प्रदे ा के मुख्य मंत्री रहे और चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी इरीगे ान एण्ड पावर मिनिस्टर रहे। इस 2 साल 6 दिन के अर्से के दौरान उन्होंने कभी नहीं कहा कि एस.वाई.एल. का समाधान होना चाहिए। एक दिन चौधरी देवी लाल जी ने सदन में जहां आज मैं खड़ा हूं इसी जगह पर खड़े हो कर यह कहा था कि 31 मार्च को श्री प्रका ा सिंह बादल की अध्यक्षता में एस.वाई. एल. नहर के बनने के लिए ि ाल्यानास (उद्घाटन) करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, 31 मार्च के बाद उन्होंने एस.वाई.एल. के बारे

कोई जिक्र तक नहीं किया। कुछ दिन के प चात मैं उनके मंत्रिमण्डल में भाामिल हुआ और मैंने चौधरी देवी लाल जी से कहा कि अगर आप हरियाणा के किसानों का कोई भला करना चाहते हैं तो आप एस.वाई.एल. के मामले को भारत सरकार के सामने उठाएं। (ाोर एवं विघ्न)

चौधरी एंत कंवरः डिप्टी स्पीकर साहब, एस.वाई.एल. के मामले पर एक घंटे की चर्चा होनी चाहिए। इसलिए हाउस का समय बढ़ाया जाए। यह बड़ा अहम मामला है।

चौधरी राम लाल वधवाः डिप्टी स्पीकर साहब, यह हाफ एन आवर डिस्क ान पर्टीकुलरली रूरल इंडस्ट्रीयलाइजे ान के बारे में है। यदि मुख्य मंत्री जी एस.वाई.एल. के बारे में जवाब देना चाहत हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है लेनिक उसके बाद फिर हमें भी बोलने की इजाजत दी जाएं क्योंकि हमने भी एस.वाई.एल. के बारे में एक मो ान दिया हुआ है। अगर मुख्य मंत्री जी इस बारे में बोलते हैं तो हमें भी इस पर बोलने की इजाजत होनी चाहिए।

चौधरी भजन लालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कह कर अपना स्थान लेता हूं। हमारे विरोधी पक्ष के भाइयों ने पंजाब के मुख्य मंत्री सरदार दरबारा सिंह और श्री प्रका ा सिंह बादल के बारे में कुछ जिक्र किया। जो उन्होंने कहा है उसके बारे में बाकायदा हमने प्रैस कांफ्रैन्स बुला कर उसका जवाब दे दिया है। जहां तक हरियाणा के किसानों के हितों का सवाल है उसके

बारे में यह सरकार पूरा ध्यान रखेगी। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने बोलने का समय दिया। धन्यवाद।

श्री वीरेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह बिल्कुल मुर्दा जवाब है। वह जवाब कुछ नहीं है बिल्कुल नीरस जवाब है। (ाोर एवं विघ्न)

डा. मंगल सैनः उपाध्यक्ष महोदय, आज हाउस में मोम या स्टली के कोटे के दुरूपयोग के बारे में जो लिस्ट रखी गई है इस बारे में मेरा तो यह विचार था कि मुख्य मंत्री जी मुझे बताते कि हमने यहां पर गड़बड़ की हैं लेकिन इसके बारे में मुख्य मंत्री जी ने घुमा फिराकर जवाब दे दिया। उपाध्यक्ष महोदय, इस लिस्ट में जो कुछ दिया गया हैं मैं चैलेंज करता हूं कि इसके लिए एक कमेटी बनाई जाए और जो यह लिस्ट हैं इसमें कौन गुनाहगार है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। (ाोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लालः उपाध्यक्ष महोदय, यह लिस्ट तो डा. मंगल सैन जी जिस दिन से उद्योग मंत्री पद से हटे हैं उस दिन से लेकर अब तक की है जिन जगहों पर दुरूपयोग पाया गया है। (ाोर एवं विघ्न)

वर्क–चार्ज कर्मचारियों को नियमित करने संबंधी सूचना

Mr. Deputy Speaker: Hon. Members, the Chief Minister had just a short while ago stated that he was sending for a copy of the instructions issued in connection with the regularisation of the work charged establishment. A copy of these instructions has been brought to my notice and I would like to read out the decision taken in the matter:-

"..... Now the Government have decided with the concurrence of the Finance Department to bring on regular cadre all such work charged employees who have completed five year service as work charged employee upto 31-12-78....."

चौधरी राम लाल वधवाः उपाध्यक्ष महोदय, यह फैसला कब का है ?

Mr. Deputy Speaker: The Administrative Department in the Irrigation Branch and the P.W.D. (B&R) Branch had issued these instructions on the 13th May and the 19th May, 1980, respectively.

चौधरी राम लाल वधवाः उपाध्यक्ष महोदय, इस फैसल को तीन महीने हो गये हैं, अभी तक यह सरकार इसको इम्पलीमेंट नहीं कर सकी है। यह सरकार अस्तीफा दें। (ाोर एवं विघ्न)

उपाध्यक्ष द्वारा रूलिंग

अध्यक्ष को हटान के संकल्प सम्बन्धी

Mr. Deputy Speaker: Hon. Members, a notice of resolution for removal of Hon. Speaker was given today at 8.50

a.m. That file has been marked to me by the Hon. Speaker for my decision. Before I give my ruling on it, I would like to draw the attention of this august House to Article 179(c) of the Constitution of India which reads as under:-

"179. Vacation and resignation of, and removal from offices of the Speaker ..... A member holding office as Speaker ..... of an Assembly-

(c) may be removed from his office by a resolution of the Assembly passed by a majority of all the then members of the Assembly;

Provided that no resolution for the purpose of clause(c) shall be moved unless at least fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution....."

Hon. Members, the House met on the 8th July, 1980 and teh report of the Business Advisory Committee was adopted on teh said date. By that time there was no move for giving a notice of the above said resolution. The contents of teh said resolution prove that the signatories had been changing their mind from time to time about the Speaker ie.e sometimes they considered has conduct as worthy of the Speakership and sometimes they did not consider him worthy of the Chair. It is only due to the fact that whenever he hadto be a little harsh to maintain the dignity of the House and had to name the members, the signatories of the notice felt offended and when he gave them latitude they remained satisfied with him. In fact, they could not make out any case of continuing misbehaviour with the Opposition. This shows that they have not given a mature thought on teh matter at

issue. Had they given a mature thought then they should have given the notice at the opening of teh Sessionie i.e. on teh 8th July, 1980.

In addition to the above said facts, the notice of the resolution lacks the prescribed period of 14 days, before that period this resolution can not be taken up in the House. The notice was received at 8.50 a.m. today i.e. on the last day of the session when the House has to adjourn sine-die afte transacting its business.

Hence, keeping in view the above said grounds, the resolution is disallowed.

वाक–आउट

Ch. Ram Lal Wadhwa: As a protest we stage a walk out.

(At this stage all the members of the opposition staged a walk out.)

16.40 hrs.

Mr. Deputy Speaker: The House stands adjourned sine-die.

(The Sabha then adjourned sine-die.)